

<mark>पहली</mark> FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए

FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2018-2019

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

जुलाई, July, 2018

परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2018-2019.

वर्ष 2018-19 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 65 अनुदान मांगें तथा 2 विनियोग हैं। ₹11,697.92 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹5,951.22 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/ वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹5,745.68 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹102 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

करने के लिए कार्यरत लागत लेखाकारों को भुगतान

INTRODUCTORY NOTE

Subject: First batch of Supplementary Demands for Grants, 2018-2019.

The First batch of Supplementary Demands for Grants for 2018-19 includes 65 Grants and 2 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹11,697.92 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹5,951.22 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹5,745.68 crore. Besides, token provision of ₹102 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	^{७ (७५} <i>Ruped</i> पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS'WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
(i) परम्परागत कृषि विकास योजना स्कीम के अंतर्गत आदर्श जैविक खेती (₹18 करोड़) और (ii) फसल अवशिष्टों के यथावत प्रबंधन हेतु कृषि तंत्र के संवर्धन की स्कीम (₹591.62 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त (1) सामान्य सहायता अनुदान तथा (2) ब्याज वित्तीय देयता को पूरा करने के लिए एमआईएस/पीएसएस के अंतर्गत अतिरिक्त राजसहायता के लिए (₹1200 करोड़)	For providing additional 1. Grants-in-aid General (i) for model organic farming under the scheme of Paramparagat Krishi Vikas Yojna (₹18 crore) and (ii) under the scheme for Promotion of Agricultural Mechanisation for In-situ Management of Crop Residues (₹591.62 crore) and 2. Subsidies under MIS/PSS to meet interest financing liability (₹1,200 crore).	1,791.62	-	1,791.62
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
अयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय				
(i) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) और (ii) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार (₹30 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) Grants- in-aid General under the scheme Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (₹2 crore) and (ii) Advertisement and Publicity under the scheme Information, Education and	20.00		20.00
	Communication (IEC) (₹30 crore).	30.00	-	30.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
उसायन और पेट्रो-रसायन विभाग असम गैस क्रैकर परियोजना के लिए सब्सिडी की शेष राशि उपलब्ध कराने के लिए।	6 Department of Chemicals and Petrochemicals For providing balance amount of subsidy for Assam Gas Cracker Project.	200.00	_	200.00
7 उर्वरक विभाग अधिकतम खुदरा मृल्यों की औचित्यता का मृल्यांकन	7 Department of Fertilisers For meeting expenditure towards			

Professional Services to make payments to

			ड़ रुपए Rupee.	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करने के लिए व्यावसायिक सेवाएं तथा संचलन योजना के लिए परिवहन मॉडल के विकास के लिए राइट्स हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Cost Accountants engaged to assess the reasonableness of MRPs and RITES for development of Transport Model for movement plan.	2.00	-	2.00
वाणिज्य मंत्रालय 11 वाणिज्य मंत्रालय (i) शुल्क वापसी स्कीम/सीएसटी की लम्बित देयताओं के भुगतान के लिए सब्सिडी (₹683.39 करोड़) और (ii) व्यापार आदि करने की सरलता में सुधार लाने के लिए चैम्पियन सेवा सेक्टर (₹100 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF COMMERCE 11 Ministry of Commerce For meeting the additional expenditure towards (i) Subsidies (₹683.39 crore) for payment of pending liabilities of Duty Drawback Scheme/CST and (ii) Champion Services Sector for improving ease of doing business, etc. (₹100 crore).	500.00	-	500.00
संचार मंत्रालय 13 डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवाओं को संशोधित समय संबद्ध निरंतर भत्ता (टीआरसीए) की बकाया राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF COMMUNICATIONS 13 Department of Posts For meeting additional expenditure towards payment of arrears of revised Time Related Continuity Allowance (TRCA) to Gramin Dak Sewaks.	600.00	-	600.00
वित्त मंत्रालय 32 निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) (i) विज्ञापन एवं प्रचार (₹19.56 करोड़) (ii) लघु कार्य (₹2.50 करोड़) और (iii) व्यावसायिक सेवाएं (₹7.59 करोड़) के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF FINANCE 32 Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) For establishment related expenditure - (i) Advertisement and Publicity (₹19.56 crore) (ii) Minor Works (₹2.50 crore) and (iii) Professional Services (₹7.59 crore).	27.15	-	27.15
36 भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग अमरावती में कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश को पट्टा प्रभारों के भुगतान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	36 Indian Audit and Accounts Department For meeting expenditure towards payment of lease charges to Andhra Pradesh for construction of office buildings and residential colony at Amravati.	14.00	-	14.00
गृह मंत्रालय 47 मंत्रिमंडल (क) वीएसएनएल और एयर इंडिया को 'अन्य प्रभारों' के अन्तर्गत प्रतिबद्ध और प्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 47 Cabinet (a) For meeting the committed and anticipated expenditure under 'other charges' to VSNL and Air India.	150.00	-	150.00
(ख) अंतरिक्ष अवसंरचना पर व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure on space infrastructure.	-	715.89	715.89
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित) 49 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद (पीबीएमसी) को चुंगी से प्राप्त राजस्व की हानि की वजह से कर्मचारियों के लिए वेतन, मजदूरी, पेंशन आदि हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE) 49 Andaman and Nicobar Islands For meeting additional expenditure towards salaries, wages, pension etc. for the employees due to loss of revenue of the Port Blair Municipal Council (PBMC) from octroi.	86.00	_	86.00
योजना मंत्रालय 73 योजना मंत्रालय (i) सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (₹18.90 करोड़) (ii) विज्ञान	MINISTRY OF PLANNING 73 Ministry of Planning For meeting expenditure towards (i) 'Other Administrative Expenses' for organizing			

			(करो	ड़ रुपए Rupee:	s in Crore)
अनु	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	भवन तथा नीति भवन के नवीकरण/अनुरक्षण संबंधी कार्य के लिए "लघु कार्य" (₹12.21 करोड़) (iii) साथ-ई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपाय भागीदारों को भुगतानों और एसईक्यूआई में अभिकरणों के कार्य विस्तार हेतु भुगतान के लिए व्यावसायिक सेवाएं (₹14.73 करोड़) और (iv) विकेन्द्रीकृत आयोजना के लिए क्षमता का सुदृढ़ीकरण (₹0.04 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Summit and EXPO (₹18.90 crore) (if 'Minor Works' for the work related renovation/maintenance of Vigyan Bhawa and NITI Bhawan (₹12.21 crore) (if Professional Services for payments to the intervention partners from implementation of Project SATH-E and payments towarthe extended work of agencies in SEO (₹14.73 crore) and (iv) Grants-in-a General for 'Strengthening Capacities of Decentralized Planning' (₹0.04 crore).	to in i) ne on ds QI	-	20.90
	त्पति, संसद, केन्द्रीय लोक सेवा आयोग तथा उपराष्ट्रपति का सचिवालय लोक सभा	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNIO PUBLIC SERVICE COMMISSIO AND THE SECRETARIAT OF TH VICE PRESIDENT	N		
76	(क) संसद सदस्य अधिनियम, 1954 में वेतन, भत्तों एवं पेंशन में संशोधन के अनुसार माननीय सभापति और उपसभापति के वृद्धित वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए।	76 Lok Sabha (a) For payment of enhanced salary an allowances of Hon'ble Speaker and Depu Speaker as per amendment in Salar Allowances and Pension to MPs Act, 195	ty y,	-	0.10
	(ख) संसद सदस्य अधिनियम, 1954 में वेतन, भत्तों एवं पेंशन में संशोधन के अनुसार संसद सदस्यों के वृद्धित वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए।	(b) For payment of enhanced salary at allowances to MPs of Lok Sabha aper amendment in Salary, Allowances at Pension to MPs Act, 1954.	as	-	20.00
77	राज्य सभा (क) माननीय सभापति, राज्य सभा के वृद्धित वेतन तथा माननीय उपसभापति, राज्य सभा के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के लिए भारत की आकस्मिक निधि में से आहरित अग्रिम (₹0.74 करोड़) की प्रतिपूर्ति के लिए (₹1.13 करोड़)।	(a) For recoupment of advance drawn fro Contingency Fund of India (₹0.74 crore) f payment on enhanced salary of Hon'b Chairman, Rajya Sabha and Salary Allowances of Hon'ble Dy. Chairman, Raj Sabha (₹1.13 crore).	or le &	-	1.13
	(ख) (i) माननीय नेता विपक्ष, राज्य सभा और सदस्य, राज्य सभा के वृद्धित वेतन पर (₹23.84 करोड़) तथा (ii) भारत का दौरा करने वाले विदेशी संसद के उच्च सदन के प्रतिनिधिमंडलों के लिए (₹0.20 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure on enhanced Salary of Hon'ble Leader Opposition, Rajya Sabha and Member Rajya Sabha (₹23.84 crore) and (ii) f delegations of the Upper Houses of Foreig Parliament visiting India (₹0.20 crore).	of s, or	-	23.84
	परिवहन मंत्रालय पोत परिवहन मंत्रालय जल मार्ग विकास परियोजना (ईएपी घटक) के अंतर्गत वाराणासी और साहिबगंज में आधुनिक भाड़ा ग्राम विकसित करने हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए।	MINISTRY OF SHIPPING 87 Ministry of Shipping For providing Grants for Creation of Capit Assets for developing modern Freig Village at Varanasi and Sahibganj under J Marg Vikas Project (EAP Component).	nt	-	218.59
साम	ाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AN	D		
89	सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग (i) पिछड़े वर्गों के लिए खैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹30 करोड़) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (₹10 करोड़) और कूड़ा बीनने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम (₹50 करोड़) (ii) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए उत्कृष्ट	EMPOWERMENT 89 Department of Social Justice and Empowerment For meeting expenditure towards (i) Grant in-aid General under the schemes Assistant to Voluntary Organisations for Backwa Classes (₹30 crore), National Overse Scholarship for OBCs (₹10 crore) and Seitemployment Scheme for Rehabilitation	s- ce rd as f-		

			ड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
श्रेणी की शिक्षा के अन्तर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (₹30 करोड़) (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्कीम के अन्तर्गत नई व्यावसायिक सेवा (₹3 करोड़)।	Manual Scavengers (₹50 crore) (ii) Scholarship/stipend under the scheme Top Class Education for SCs (₹30 crore) (iii) New Professional Services under the scheme National Commission for Scheduled Castes (₹3 crore).	50.00	-	50.00
वस्त्र मंत्रालय 94 वस्त्र मंत्रालय राज्य स्तर की स्कीम की छूट के अन्तर्गत अन्य शुल्कों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF TEXTILES 94 Ministry of Textiles For meeting additional expenditure towards Other Charges under Remission of State Levies (RoSL) Scheme.	1,500.00	_	1,500.00
कुल नकद खर्च	,	5,235.33	715.89	5,951.22
कुल नकद खय	Total Cash Outgo	5,235.33	/15.09	5,951.22
3. अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बैच में ₹5,745.68 करोड़ के तकनीकी अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल है जिनका मिलान मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा पिछली बचतों से किया जाता है, ये मदें इस प्रकार हैं:	3. This batch of Supplementary Demands for Grasupplementary grants/appropriations for ₹ 5,74 additional receipts/recoveries or corresponding say. The items are as follows:	5.68 crore wings of the M	hich are m	natched by partments
		 राजस्व	<u> पू</u> ंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
अनुदान की तकनीकी पूरक मांगे नागर विमानन मंत्रालय 9 नागर विमानन मंत्रालय कायाकल्प योजना के अंतर्गत एंयर इंडिया में इक्विटी का निवेश। संचार मंत्रालय 14 दूर-संचार विभाग भोपाल, नागपुर और जम्मू एवं कश्मीर सर्कल में रेडियो पेजिंग सेवाओं से संबंधित मैसर्स नीदर लैण्ड भारत संचार उद्यम द्वारा वायर की गई प्रवर्तन याचिका के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अधिनिर्णय को पूरा करने के लिए (₹78.82 करोड़) का भुगतान जिसमें भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है (₹25.97 करोड़)।	 Technical Supplementary Demands for Grants MINISTRY OF CIVIL AVIATION Ministry of Civil Aviation For infusion of equity in Air India under Turn Around Plan. MINISTRY OF COMMUNICATIONS 14 Department of Telecommunications For payment in satisfaction of an award given by High Court Delhi against enforcement petition filed by M/s Netherland India Communication Enterprises limited related to Radio Paging services in Bhopal, Nagpur and Jammu & Kashmir circles (₹78.82 crore) including recoupment of advance (₹25.97 crore) drawn from Contingency Fund of India. MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, 	78.82	980.00	980.00 78.82
वितरण विभाग इनके लिए निधि प्रदान करने के लिए (i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्कीम के एकीकृत प्रबन्धन के अन्तर्गत महाराष्ट्र की राज्य सरकार को सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) और पेनल ब्याज और आयकर देयता के भुगतान के लिए हिन्दुस्तान वनस्पित तेल निगम को सामान्य सहायता अनुदान (₹143.57 करोड़) (ii) चीनी मिलों में सहायता योजना के अन्तर्गत सब्सिडी (₹500 करोड़) और और चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण और रख-रखाव में सहायता योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹500 करोड़) (iii) हिन्दुस्तान वनस्पित तेल निगम से संबंधित ऋण व	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 16 Department of Food and Public Distribution For providing (i) Grants-in-aid General to State Government of Maharashtra under Integrated management of Public Distribution System Scheme (₹2 crore) and to Hindustan Vegetable Oil Corporation towards payment of penal interest and Income Tax liability (₹143.57 crore) (ii) Subsidy under the schemes for Assistance to Sugar Mills (₹500 crore) and Creation & Maintenance of Buffer Stock of Sugar (₹500 crore) and (iii) waiver of loan and interest			
ब्याज माफ करना (₹463.31 करोड़)।	in respect of Hindustan Vegetable Oil	463 31		463 31

Corporation (₹463.31 crore).

463.31

463.31

			इ रुपए Ruped ∩	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
संस्कृति मंत्रालय 18 संस्कृति मंत्रालय इन स्कीमों के अन्तर्गत प्रमुख कार्यों के लिए किए गए व्यय को पूरा करने के लिए (1) कला संस्कृति विकास योजना (₹20 करोड़) राष्ट्रीय पुस्तकालय (₹4.28 करोड़) (iii) राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा (₹11.30 करोड़) और (iv) संग्रहालयों के विकास के अन्तर्गत भारत के प्रधानमंत्री संग्रहालय (₹150 करोड़)।	MINISTRY OF CULTURE 18 Ministry of Culture For meeting expenditure towards Major Works under the schemes (i) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹20 crore) (ii) National Library (₹4.28 crore) (iii) National Gallery of Modern Arts (₹11.30 crore) and (iv) Museum on Prime Ministers of India (₹150 crore) under Development of Museums.	_	150.00	150.00
रक्षा मंत्रालय 19 रक्षा मंत्रालय (विविध) सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के लिए ₹1,157.84 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF DEFENCE 19 Ministry of Defence (Misc) For meeting additional expenditure of ₹1,157.84 crore towards salary and allowances in respect of employees of Border Roads Organisation.	1,057.84	-	1,057.84
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF			
23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इनके लिए निधि प्रदान करने के लिए (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नरकोर्म परियोजना को बढ़ावा देने के लिए (₹48 करोड़) और विज्ञापन और प्रचार, प्रकाशन और सूचना तथा सार्वजनिक संबंध (₹15 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नरकोर्म परियोजना का विस्तार करने के लिए पूंजीगत अस्तियों के सृजन के लिए (₹12 करोड़) और पूर्वोत्तर परिषद योजना के लिए (₹50 करोड़) के लिए अनुदान और (iii) पूर्वोत्तर परिषद योजना के अन्तर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय शीर्ष के अन्तर्गत अतिरिक्त निधि (₹5 करोड़)।	NORTH EASTERN REGION 23 Ministry of Development of North Eastern Region For providing (i) Grants-in-aid General for augmentation of NERCORM project in North Eastern Region (₹48 crore) and Advertisement and Publicity, Publications and Information and Public Relations (₹15 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assts for augmentation of NERCORM project in North Eastern Region (₹12 crore) and schemes of North Eastern Council (₹50 crore) and (iii) additional fund under the heads Other Administrative Expenses (₹5 crore) under the scheme North Eastern Council.	110.00	_	110.00
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
विक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके व्यय को पूरा करने के लिए (1) डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 'अन्य प्रभार' (i) सामान्य घटक (₹401.78 करोड़), (ii) अनुसूचित जाति घटक (₹21 करोड़) और (iii) अनुसूचित जनजाति घटक (₹33 करोरड़)। (2) 'इलेक्ट्रानिक और आईटीएचडब्ल्यू विनिर्माण को बढ़ावा' देने के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹50 करोड़)।	Ministry of Electronics and Information Technology For meeting expenditure towards 1. 'Other Charges' for Promotion of Digital Payments (i) General Component (₹401.78 crore) (ii) Scheduled Caste Component (₹21 crore) and (iii) Scheduled Tribe Component (₹33 crore) 2. Grants in aid General under 'Promotion of Electronics and IT hardware manufacturing' (₹50 crore).	200.00	_	200.00
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT,	200.00		200.00
27 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय प्राधिकरण स्कीम के अन्तर्गत वेतन, डीटीई, सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए। इसे राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण से पूरा किया जाएगा।	FORESTS AND CLIMATE CHANGE Ministry of Environment, Forests and Climate Change For meeting expenditure towards Salary, DTE, Grants-in-aid General under the scheme National Authority to be financed from National Compensatory Afforestation Fund.	50.00	_	50.00

			ड़ रुपए Rupee.	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विदेश मंत्रालय 28 विदेश मंत्रालय इनके लिए व्यय को पूरा करने के लिए (i) अफगानिस्तान को सहायता (₹75 करोड़) (ii) मारीशस को सहायता- (₹175 करोड़) (iii) भूटान को सहायता - मंघढेचू जल विद्युत परियोजना जो पूरी होने को है का विस्तार करना (₹87 करोड़)।	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 28 Ministry of External Affairs For meeting expenditure towards (i) Aid to Afghanistan (₹75 crore) (ii) Aid to Mauritius (₹175 crore) (iii) Aid to Bhutan - Enhancement for Manghdhechu Hydro Electric Project which is nearing completion (₹87 crore).	250.00	-	250.00
वित्त मंत्रालय 31 वित्तीय सेवाएं विभाग नाबार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक की भागीदारी की अधिग्रहण लागत की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF FINANCE 31 Department of Financial Services For additional requirement towards acquisition cost of Reserve Bank of India's stake in NABARD.	-	20.00	20.00
गृह मंत्रालय 46 गृह मंत्रालय जोधपुर के निरूद्ध व्यक्तियों को मुआवजे देने के लिए जिला न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए।	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 46 Ministry of Home Affairs For implementation of District Court Order in respect of payment of compensation to detenues from Jodhpur.	2.17	-	2.17
48 पुलिस (क) महिला सुरक्षा प्रभाग के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (i) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एण्ड डी) द्वारा प्रशिक्षण के लिए डीएनए किट (₹5.71 करोड़) (ii) राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और विधि चिकित्सा शास्त्र संस्थान द्वारा 1000 डाक्टरों का प्रशिक्षण (₹1.38 करोड़) (iii) राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन संबंधी प्रशासनिक व्यय (₹0.50 करोड़) और (iv) चण्डीगढ़ में सीएफएसएल में आधुनिकतम फॉरेन्सिक डीएनए लेब के लिए प्रशासनिक व्यय (₹19.62 करोड़)।	(a) For meeting expenditure of Women Safety Division for (i) DNA Kits for training by Bureau of Police Research and Development (₹5.71 crore) (ii) training of 1,000 doctors by National Institute of Criminology and Forensic Sciences (NICFS) (₹1.38 crore) (iii) Administrative Expenses on National Mission for Safety of Women (₹0.50 crore) and (iv) Administrative expenditure for State of the art Forensic DNA lab at CFSL, Chandigarh (₹19.62 crore).	27.21	_	27.21
(ख) इनमें व्यय को पूरा करने के लिए (i) पांच शहरों में सुरक्षित शहर परियोजना (₹439.10 करोड़) और (ii) चार राज्यों में आधुनिकतम फॉरेन्सिक सांइस लेब (₹50 करोड़)।	(b) For meeting expenditure for (i) Safe City projects in five cities (₹439.10 crore) and (ii) Strengthening of State Forensic Science Labs of four States (₹50 crore).	489.10	-	489.10
(ग) सीएफएसएल, चण्डीगढ़ में आधुनिकतम फॉरेन्सिक डीएनए लैब स्थापित करने के लिए।	(c) For setting up of state of art Forensic DNA lab at CFSL, Chandigarh.	-	25.64	25.64
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC			
70 कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय मशीनरी एवं उपस्करों के अन्तर्गत सीबीआई के लंबित भुगतानों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	GRIEVANCES AND PENSIONS 70 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions For meeting expenditure towards pending payment of CBI under Machinery & Equipments.	-	0.09	0.09
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND			
72 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके लिए निधि प्रदान करने के लिए (i) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1708 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अन्य देय सब्सिडी योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां (₹70 करोड़) और खायत्त निकाय	NATURAL GAS 72 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing (i) Grants for Creation of Capital Assets under various schemes (₹1,708 crore) and (ii) additional funds under the schemes Other Subsidy payable including North Eastern Region (₹70 crore)			

	अनुदानों की पूरक मांगें,	2018	3-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	R GRANTS		(vii)
				(करो	ड़ रुपए Rupe	es in Crore)
अनु	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसाइटी को सहायता (₹0.17 करोड़)।		and Assistance to Autonomous Bodies-Society for Petroleum Laboratory (₹0.17 crore).	1,708.00	-	1,708.00
साम	गाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MI	NISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	89	Department of Social Justice And			
	इनके व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹106.50 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान योजना के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10 करोड़)।		Empowerment For meeting expenditure towards (i) Grants- in-aid General under the scheme Rashtriya Vayoshri Yojana (₹106.50 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Institute of Social Defence (₹10 crore).	106.50	-	106.50
महि	ला एवं बाल विकास मंत्रालय	MI	INISTRY OF WOMEN AND CHILD			
98	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम घटक योजना के अन्तर्गत मुख्य कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	98	DEVELOPMENT Ministry of Women and Child Development For meeting expenditure towards Major Works under scheme National Nutrition Mission-Programme Component.	-	27.00	27.00
कुल	ा तकनीकी	Tot	tal Technical	4,542.95	1,202.73	5,745.68
इस अन्त	नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में, प्रत्येक मद के लिए लाख का पूरक अनुदान लिए जाने का प्रस्ताव है, के सामने दर्शाए गए व्यय को राजस्व अथवा पूंजी के गर्गत बचत के विनियोजन से पूरा किया जाएगा, धित अनुदान का मामला चाहे कोई भी हो।	rea	Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also issted below, the expenditure indicated ppropriation of savings within the Revenue or the relevant grant.	d against w	hich will l	be met by
	दान की सांकेतिक अनुपूरक मांगे	Tol	ken Supplementary Demands for Grants			
कृषि	ो और कृषक कल्याण मंत्रालय	Ml	INISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS'WELFARE			
1	कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	1	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
	(क) स्कीम के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (₹20 करोड़) (ii) तिलहन और ऑयल पाम संबंधी राष्ट्रीय मिशन (₹6.30 करोड़)		(a) For providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under the scheme (i) Organic Value Chain Development for NE Region (₹20 crore) and (ii) National Mission on Oil seeds and Oil palm (₹6.30 crore).	26.30	_	26.30
	(ख) कृषि तंत्रीकरण संबंधी उपमिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (सामान्य		(b) For providing Grants-in-aid General (General Component - ₹2 crore, SCSP - ₹1			
	घटक ₹2 करोड़, एससीएसपी ₹1 करोड़ और टीएसपी ₹1 करोड़)		crore and TSP-₹1 crore) under Sub-Mission on Agricultural Mechanisation.	4.00	-	4.00
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2	Department of Agricultural Research and Education			

राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना स्कीम, आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन और बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹123.78 करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹76.27 करोड़), सहायता अनुदान वेतन (₹196.60 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.11 करोड़)

For providing Grants-in-aid General (₹123.78 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹76.27 crore), Grants-in-aid Salaries (₹196.60 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹1.11 crore) to Indian Council of Agricultural Research under the schemes, National Agricultural Higher Education Project, ICAR Headquarter Administration and Horticulture Institutes, Research and Education Schemes.

397.76 397.76

					ड़ रुपए Rupee.	
अनुव	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
3	पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग (क) निम्निलिखित प्रदान करने हेतु (i) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान (सामान्य घटक ₹58.44 करोड़, एससीएसपी ₹37 करोड़ और टीएसपी ₹15.18 करोड़), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सहायता अनुदान वेतन (₹4.38 करोड़) (ii) मछली पकड़ने के पोतों के स्थानापन्न के लिए पैकेज स्कीम के अंतर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (₹2.92 करोड़)	3	Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (a) For providing (i) Grants-in-aid General (General Component -₹58.44 crore, SCSP -₹37 crore and TSP - ₹15.18 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹4.38 crore) to National Fisheries Development Board and (ii) Grants-in-aid General to Marine Products Export Development Authority under the scheme Package for Replacement of Fishing Vessels (₹2.92 crore).	117.92	-	117.92
	(ख) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान देने हेतु।		(b) For providing Grants-in-aid General to National Fisheries Development Board.	10.00	-	10.00
परम 4	ााणु कर्जा विभाग परमाणु कर्जा (क) कानूनी शुल्कों का भुगतान करने के लिए विकिरण और आइसोटॉप प्रौद्योगिकी बोर्ड को जारी करने हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति करने के लिए।	DE 4	Atomic Energy (a) For recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for release to Board of Radiation and Isotope Technology for making payment of statutory duties.	58.57	_	58.57
	(ख) निम्नलिखित का सहायता अनुदान वेतन हेतु व्यय पूरा करने हेतु (i) सहायताप्राप्त संस्थान (₹50 करोड़) (ii) शिक्षा सोसायटी (₹10 करोड़)		(b) For meeting expenditure towards Grants in Aid Salaries for (i) Aided Institutes (₹ 50 crore) and (ii) Education Society (AEES) (₹10 crore).	60.00	-	60.00
	(ग) रेडियो-एक्टिविटी से बचाव के लिए मुख्य निर्माण कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।		(c) For meeting expenditure towards Major Works for Safety against Radio-activity.	-	45.89	45.89
	(घ) बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरी में अनुसंधान और विकास हेतु मुख्य निर्माण कार्यों के लिए व्यय पूरा करना।		(d) For meeting expenditure towards Major Works for Research and Development in Basic Science and Engineering.	-	110.83	110.83
वाणि	गज्य और उद्योग मंत्रालय	M	INISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11	वाणिज्य विभाग चाय बोर्ड (₹4.70 करोड़), कॉफी बोर्ड (₹61.64 करोड़), रबर बोर्ड (₹65 करोड़) और मसाला बोर्ड (₹31.68 करोड़) के लिए सहायता अनुदान वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	11	Department of Commerce For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salary for Tea Board (₹4.70 crore), Coffee Board (₹61.64 crore), Rubber Board (₹65 crore) and Spices Board (₹31.68 crore).	163.02	-	163.02
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (क) लंबित वचनबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए सब्सिडी हेतु परिवहन सब्सिडी स्कीम/भाड़ा सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	12	Department of Industrial Policy and Promotion (a) For meeting additional requirement under Transport Subsidy Scheme/Freight Subsidy scheme.	151.17	_	151.17
	(ख) स्वायत्तशासी संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता में सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना		(b) For meeting additional requirement towards Grants-in-aid General in Project Based Support to Autonomous Institutions.	20.60	-	20.60
	(ग) लंबित वचनबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए सब्सिडी हेतु परिवहन सब्सिडी स्कीम/भाड़ा सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		(c) For meeting additional requirement under Transport Subsidy Scheme/Freight Subsidy Scheme.	85.30	-	85.30
उपभ	भोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MI	NISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,			
15	उपभोक्ता मामले विभाग एकीकृत उपभोक्ता शिकायत समाधान पद्धति स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा	15	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION Department of Consumer Affairs For meeting expenditure towards Grants-in- aid General (₹2.95 crore), Other Charges			

			राजस्व	ड़ रुपए Rupee पूंजी	जोड़ जोड़
अनुव	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
	करने के लिए (₹2.95 करोड़), अन्य प्रभार (₹3.30 करोड़) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.01 करोड़)।	(₹3.30 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.01 crore) under the scheme of Integrated Consumer Grievance Redressal System.	6.26	-	6.26
	पोरेट कार्य मंत्रालय कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय शोधन अक्षमता और दीवालियापन बोर्ड के लिए सहायता अनुदान वेतन हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 17 Ministry of Corporate Affairs For meeting expenditure towards Grants-in- aid Salaries for Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI).	10.07	-	10.07
	मृति मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय (क) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने हेतु (₹212.85 करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹237.73 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹196.75 करोड़)।	MINISTRY OF CULTURE 18 Ministry of Culture (a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹212.85 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹237.73 crore) and Grants-in-aid Salary (₹196.75 crore) under various schemes.	647.33	_	647.33
	(ख) बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारकों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Support to Buddhist Tibetan Institutions and Memorials.	0.77	-	0.77
पेयर	नल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND			
24	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार करने के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना।	SANITATION 24 Ministry of Drinking Water and Sanitation For providing additional fund for Advertising and Publicity under the scheme National Rural Drinking Water Programme.	95.00	-	95.00
·	विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नोएडा (उ.प्र.) में राष्ट्रीय भूकंपीय भवन केंद्र के सृजन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 'भूकंपीय और भू-विज्ञान (एसएजीई)' योजना के तहत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना।	MINISTRY OF EARTH SCIENCES 25 Ministry of Earth Sciences For providing additional Grant under the Scheme "Seismological and Geoscience (SAGE)" for acquisition of land for construction of National Centre for Seismology building at Noida (UP).	-	2.50	2.50
इलेव	म्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND			
26	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	INFORMATION TECHNOLOGY 26 Ministry of Electronics and Information Technology			
	पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक के लिए डिजिटल भुगतान के संवर्धन के लिए 'अन्य प्रभार' हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	Technology For meeting expenditure towards 'Other Charges' for Promotion of Digital Payments for NER component.	40.00	-	40.00
पर्या	वरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT,			
27	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व्यय को पूरा करने के लिए (i) जलीय पारिस्थितिक तंत्र (ईएपी) के संरक्षण के लिए सामान्य अनुदान-सहायता (₹0.50 करोड़) अर्थात् एकीकृत प्रबंधन वेटलैंड जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं और (ii) उत्कृष्टता के केंद्रों को अनुदान सहायता वेतन (₹5.50 करोड़) सालिम अली सेंटर फॉर ओमिथोलॉजी एंड नेचुरल	FORESTS AND CLIMATE CHANGE Ministry of Environment, Forests and Climate Change For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹0.50 crore) for Conservation of Aquatic Ecosystems (EAP) namely Integrated Management Wetland Biodiversity and Ecosystem Services and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹5.50 crore) to Centres of Excellence for salaries support			

					ड़ रुपए Rupees	
अनु	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	हिस्ट्री (सैकॉन) को सहायता के लिए।		to Salim Ali Center for Ornithology and Natural History(SACON).	6.00	-	6.00
	श मंत्रालय विदेश मंत्रालय भूटान हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए स्वचालित ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए अन्य परियोजनाओं हेतु भूटान को सहायता के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	MI 28	NISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS Ministry of External Affairs For meeting expenditure towards Aid to Bhutan- Loans & Advances for other projects for Automated Transmission system for Bhutan Hydro-Electric Projects.	-	71.00	71.00
	मत्रांलय आर्थिक कार्य विभाग (क) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि में अंशदान के लिए (आईएफएडी)	MI 29	Department of Economic Affairs (a) For contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD)	94.63	-	94.63
	(ख) तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल कोष में अंशदान के लिए।		(b) For contribution to Commonwealth Fund for Technical Cooperation.	9.90	-	9.90
	(ग) भारत-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग के तहत जीआईजेड द्वारा चुकाए गए करों की प्रतिपूर्ति के लिए।		(c) For reimbursement of taxes paid by GIZ under the Indo-German Bilateral Development Co-operation.	10.00	-	10.00
	(घ) यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास (ईबीआरडी) बैंक की भारत की सदस्यता के अभिदान के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए।		(d) For recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for subscription of India's membership to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).	-	14.32	14.32
	(ड.) अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) को ब्रिज लोन की अंतिम किस्त के लिए।		(e) For final instalment of Bridge Loan to African Development Bank (AfDB).	-	34.00	34.00
34	प्रत्यक्ष कर (क) केरल के एर्नाकुलम में कार्यालय परिसर आयकर भवन के सृजन के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	34	Direct Taxes (a) For meeting expenditure towards construction of office complex at Ernakulam, Kerala.	-	12.00	12.00
	(ख) (i) अन्ना नगर, चेन्नई (₹30 करोड़), गया, बिहार (₹0.20 करोड़), महादेवली टोंक, जयपुर (₹1.02 करोड़) आवासीय क्वार्टर के सृजन के लिए व्यय को पूरा करने के लिए और (ii) आयकर कॉलोनी, नवी मुंबई में पंप कक्ष और नई जल आपूर्ति लाइन इत्यादि (₹0.40 करोड़)।		(b) For meeting expenditure towards construction of (i) residential quarters at Anna Nagar, Chennai (₹30 crore), Gaya, Bihar (₹0.20 crore), Mahadevali Tonk, Jaipur (₹1.02 crore) and (ii) Pump Room & New water supply line etc. at Income Tax Colony, Navi Mumbai (₹0.40 crore).	-	31.62	31.62
35	अप्रत्यक्ष कर केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) के तहत संग्रहण शुल्क के लेखाकरण प्रक्रिया में संशोधन के लिए।	35	Indirect Taxes For amendment in accounting prodedure of collection charges under Central Goods and Services Tax (CGST) and Integrated Goods and Services Tax (IGST).	3,500.00	-	3,500.00
खाइ 41	य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (क) ऑपरेशन ग्रीन्स की योजना के तहत 1. सामान्य अनुदान-सहायता (सामान्य घटक - ₹163.50 करोड़, एससीएसपी - ₹ 8 करोड़ और टीएसपी - ₹ 8 करोड़) और पेशेवर सेवाएं (₹0.50 करोड़) प्रदान करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी उद्यमिता और प्रबंधन (₹44.01 करोड़) के लिए भूमि की लागत के भुगतान के लिए पूंजीगत संपत्तियों के सृजन		INISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries (a) For providing 1. Grants-in-aid General (General Component - ₹163.50 crore, SCSP - ₹8 crore and TSP - ₹8 crore) and Professional Services (₹0.50 crore) under the scheme of Operation Greens 2. Grants for Creation of Capital Assets for payment of cost of land to National Institute of Food Technology Entrepreneurship and			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue Total के लिए अनुदान और 3. स्कीमों के तहत Management (₹44.01 crore) and 3. व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधि (i) additional funds for Professional Services पिछड़ा और अग्रणी संबंधों का निर्माण ₹0.19 under the schemes (i) Creation of Backward करोड़) और (ii) मानव संसाधन और संस्था (₹0.80 and Forward Linkages (₹0.19 crore) and करोड़) (ii) Human Resources and Institution (₹0.80 225.00 225.00 (ख) स्कीम ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत सामान्य अनुदान-(b) For providing Grants-in-aid General सहायता प्रदान करने के लिए। under the scheme Operation Greens. 20.00 20.00 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 42 Department of Health and Family (क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) (a) For meeting additional expenditure आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन towards (i) Grants-in-aid General under the (₹2793.60 करोड़) और खाद्य सुरक्षा और भारतीय schemes Ayushman Bharat-National Health खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्कीमों के अंतर्गत Protection Mission (₹2,793.60 crore) and सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़) और (ii) Food safety & Standards Authoriy of India भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण योजना (₹5 crore) and (ii) Grants for Creation of के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान Capital Assets under the scheme Food Safety (₹335 करोड़)। & Standards Authority of India (₹335 crore). 3,133.60 - 3,133.60 (ख) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र स्कीम के तहत सामान्य (b) For meeting additional expenditure सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा towards Grants-in-aid General under the करने के लिए। scheme Population Research Centres. 8.58 8.58 (ग) (i) इन स्कीमों के तहत सामान्य अनुदान (c) For meeting additional expenditure सहायता (₹484.57 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों towards (i) Grants-in-aid General (₹484.57 के सृजन के लिए अनुदान (₹156.36 करोड़) और crore) and Grants for Creation of Capital (ii) (₹8 करोड़) उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय Assets (₹156.36 crore) under various स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग schemes and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹8 को अनुदान सहायता वेतन। crore) to North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & medical sciences, shillong. 648.93 648.93 (घ) राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने (d) For additional requirement under the के लिए सामग्री सहायता योजना के तहत अतिरिक्त scheme Material Assistance for strengthening of National Immunization आवश्यकता के लिए। 300.00 300.00 Programme. (ङ) व्यय को पूरा करने के लिए (i) आयुष्मान (e) For meeting expenditure towards (i) भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन स्कीमों के Major Works under the schemes Ayushman तहत प्रमुख कार्य के लिए (₹50 करोड़), लेडी Bharat-National Health Protection Mission रीडिंग हेल्थ स्कूल, नई दिल्ली (₹2.50 करोड़), (₹50 crore), Lady Reading Health School, डब्ल्यूएचओ - सेरो बिल्डिंग का पुनर्निर्माण, New Delhi (₹2.50 crore), Reconstruction of नई दिल्ली (₹50 करोड़) और डॉ आरएमएल WHO-SEARO Building, New Delhi (₹50 पीजीआईएमईआर, नई दिल्ली (₹99.27 करोड़) crore) and Dr. RML PGIMER, New Delhi छात्रावास ब्लॉक के सृजन के लिए (ii) डॉ (₹99.27 crore) for construction of Hostel आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली को मशीनरी Block (ii) Machinery and Equipment to Dr. और उपकरण (₹5 करोड़) और (iii) लेडी हार्डिंग RML Hospital, New Delhi (₹5 crore) and मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस के अस्पताल, (iii) Machinery and Equipment (₹13.90 नई दिल्ली को मशीनरी और उपकरण (₹13.90 crore) and Motor Vehicles (₹0.65 crore) to करोड़) और मोटर वाहन (₹0.65 करोड़)। Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi. 221.32 221.32 (च) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए (f) For additional requirement under मुख्य निर्माण कार्य योजना के तहत अतिरिक्त the scheme Major Works for Safdarjung आवश्यकता के लिए। Hospital, New Delhi. 4.00 4.00

					ड़ रुपए Rupe	
अनुव	न्न संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
भार्र 44	पद्योग और सार्वजिनक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग विभाग (क) शेष बचे कर्मचारियों के वीआरएस बकाया के भुगतान के लिए हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैचरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ) के लिए भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए। (ख) अपने कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी और अन्य		PUBLIC ENTERPRISES Department of Heavy Industry (a) For recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd (HPF) for payment of VRS dues of ramaining employees. (b) For meeting additional requirement of	-	16.00	16.00
	सांविधिक बकाया के भुगतान के लिए हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।		Hindustan Paper Corporation Ltd. (HPC) for payment of salary/wages and other statutory dues of its employees.	-	90.00	90.00
गृह 46	मंत्रालय गृह मंत्रालय जम्मू-कश्मीर में बसे पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए।	M1 46	NISTRY OF HOME AFFAIRS Ministry of Home Affairs For providing financial assistance to families of West Pakistan Refugees (WPRs) settled in Jammu and Kashmir.	50.00	-	50.00
52	दमन और दीव (क) दीव जिले में स्मार्ट सिटी के लिए काम करने के लिए सामान्य अनुदान-सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	52	Daman and Diu (a) For meeting the additional expenditure towards Grants-in-aid General to carry out works for Smart City at Diu district.	5.00	-	5.00
	(ख) दीव जिले में स्मार्ट सिटी के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम में निवेश हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।		(b) For meeting additional requirement towards Investment in Special Purpose Vehicle for Smart City at Diu District.	-	10.00	10.00
	शै विकास मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (क) व्यय को पूरा करना (i) एलआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)-I के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी का संवितरण (₹300 करोड़), (ii) बीएमटीपीसी द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान (₹672 करोड़) और (iii) वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत पर प्रतिस्पर्धा का आयोजन (₹250 करोड़)।	MI 56	NISTRY OF URBAN DEVELOPMENT Ministry of Housing and Urban Affairs (a) For meeting expenditure for (i) disbursal of subsidy to the beneficiaries for Credit Link Subsidy Scheme-I for LIG (₹ 300 Crore), (ii) payment of interest on loan taken by BMTPC (₹ 672 crore) and (iii) organising competition on Global Housing Technology Challenge-India (₹250 crore).	1,222.00	-	1,222.00
	(ख) शहर के स्तर पर नवपरिवर्तन, एकीकृत और स्थिर करने के लिए निवेश के लिए मिशन के तहत 100 स्मार्ट शहरों(सीआईटीआईआईएस) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।		(b) For meeting expenditure towards Grants- in-aid General under Mission for 100 Smart Cities for City Investment to Innovate, Integrate and Sustain (CITIIS) at City Level.	5.00	-	5.00
	(ग) सीआईटीआईआईएस के लिए 100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।		(c) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under Mission for 100 Smart Cities for CITIIS.	30.00	-	30.00
	(घ) विभिन्न नए निर्माण कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।		(d) For meeting expenditure for various new Public works.	-	134.23	134.23
	(ड) विभिन्न नए निर्माण कार्यों के लिए व्यय पूरा करने के हेतु।		(e) For meeting expenditure for various new works under Housing.	-	49.70	49.70
	(च) मुख्य निर्माण कार्य के तहत महानिदेशक, खान सुरक्षा, रायगढ़ के लिए कार्यालय भवन के सृजन के लिए ।		(f) For construction of Office Building for Director General Mines Safety, Raigarh under Major Works.	-	2.00	2.00
	(छ) पोत परिवहन मंत्रालय कार्यालय जहाज भवन मुंबई के लिए।		(g) For Office Building for Ministry of Shipping Jahaz Bhawan, Mumbai.	-	0.20	0.20

	अनुदानों की पूरक मांगे, 🤈	2018	3-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	R GRANTS		(xiii)
				(करो	ड़ रुपए Rupee	s in Crore)
अनुव	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
मान	व संसाधन विकास मंत्रालय	M	INISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	57	Department of School Education and Literacy			
	(क) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹157.20 करोड़) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (₹297.30 करोड़) के तहत सहायता अनुदान (ii) पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान एनवीएस स्कीम के अंतर्गत (₹811.21 करोड़) और (iii) केवीएस योजना के तहत सहायता अनुदान वेतन (₹752.38 करोड़) और एनवीएस (₹301.85 करोड़)।		(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the schemes Kendriya Vidyalaya Sangthan (KVS) (₹157.20 crore) and Navodaya Vidalaya Samiti (NVS) (₹297.30 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme NVS (₹811.21 crore) and (iii) Grants-in-aid Salary under the scheme KVS (₹752.38 crore) and NVS (₹301.85 crore).	2,319.94	-	2,319.94
	(ख) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना के अंतर्गत (₹350 करोड़) सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए और भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (₹45 करोड़) के तहत।		(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹350 crore) and Appointment of Language Teachers (₹45 crore).	395.00	-	395.00
	(ग) सर्व शिक्षा अभियान स्कीमों के तहत सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹2608.19 करोड़), शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (₹100 करोड़) और भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (₹5 करोड़)।		(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the schemes SSA (₹2608.19 crore), Strengthening of Teacher Training Institutions (₹100 crore) and Appointment of Language Teachers (₹5 crore).	2,713.19	-	2,713.19
58	उच्चतर शिक्षा विभाग (क) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता अनुदान (₹277.10 करोड़) (ii) भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए अनुदान योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) (iii) केंद्र सरकार द्वारा प्रचारित मानद विश्वविद्यालयों के तहत सहायता अनुदान वेतन (₹300 करोड़), और भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए अनुदान (₹7.75 करोड़) और (iv) भारत में अध्ययन योजना के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹1.50 करोड़)।	58	Department of Higher Education (a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under various schemes (₹277.10 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Grants for Promotion of Indian Languages (₹10 crore) (iii) Grants-in-Aid Salaries under the schemes Deemed Universities promoted by Central Government (₹300 crore), and Grants for Promotion of Indian Languages (₹7.75 crore) and (iv) Professional Services under the scheme Study in India (₹1.50 crore).	596.35	-	596.35
	(ख) विभिन्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹501.21 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹84.45 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹480.45 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।		(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹501.21 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹84.45 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹480.45 crore) under various schemes.	1,066.11	_	1,066.11
	(ग) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) -जीबीएस स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹50 करोड़), भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए अनुदान (₹1 करोड़), और उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और जन सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) (₹0.26 करोड़) और (ii) भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए अनुदान स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹13.90 करोड़)।		(c) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the schemes University Grants Commission (UGC)-GBS (₹ 50 crore), Grants for Promotion of Indian Languages (₹ 1 crore), and Higher Education Statistics And Public Information System (HESPIS) (₹ 0.26 Crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Grants for Promotion of Indian Languages (₹ 13.90 crore).	65.16	_	65.16

अनुद	ग्नन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवर ण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सूच	ना और प्रसारण मंत्रालय	Ml	INISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता अनुदान स्कीम के तहत प्रसार भारती के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	59		20.00	-	20.00
	(ख) मुख्य निर्माण कार्य के तहत चलचित्रों (फिल्म्स डिवीजन) के संग्रहालय की स्थापना के लिए।		(b) For setting up of Museum of moving images (Films Division).	-	4.27	4.27
सूक्ष्म	न, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MI	NISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (क) अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹0.10 करोड़), उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण संवर्धन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹1.55 करोड़) और पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹6.34 करोड़)।	64	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (a) For meeting additional requirement under Other Administrative Expenses (₹0.10 crore), Grants-in-aid General (₹1.55 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹6.34 crore) for Infrastructure Development and Capacity Building Promotion.	7.99		7.99
	(ख) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.10 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹0.40 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹12.40 करोड़) एनईआर और सिक्किम में एमएसएमई की क्षमता निर्माण संवर्धन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (ii) घरेलू यात्रा व्यय (₹1 करोड़), कार्यालय व्यय (₹20 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.10 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹1 करोड़) और अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन हेतु प्रकाशन (₹0.05 करोड़) (iii) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (अनुसूचित जाति घटक-₹0.08 करोड़ और सामान्य घटक- ₹0.11 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.19 करोड़) (iv) विपणन संवर्धन और विकास सहायता के लिए युंजीगत आस्तियों (₹0.10 करोड़) के सृजन के लिए अनुदान और (v) अपेक्षित दावों का निपटान करने के लिए अवसंरचना विकास कार्यक्रम और क्षमता सृजन के लिए अनुदान सहायता (₹10 करोड़) (vi) राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) के लिए क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) की लंबित देनदारियों का निपटान करने के लिए सब्सिडी (₹829.25 करोड़)।		(b) For meeting additional requirement towards (i) Other Administrative Expenses (₹0.10 crore), Grants-in-aid General (₹0.40 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹12.40 crore) for Infrastructure Development and Capacity Building Promotion (ii) Domestic Travel Expenses (₹1 crore), Office Expenses (₹20 crore), Other Administrative Expenses (₹0.10 crore), Professional Services (₹1 crore) and Publications (₹0.05 crore) towards Research and Evaluation Studies (iii) Grants-in-aid General (₹0.19 crore) for Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna (SC Component-₹0.08 crore and General Component-₹0.11 crore) (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹0.10 crore) towards Marketing Promotion and Development Assistance and (v) Grants-in-aid General (₹10 crore) for Infrastructure Development Programme and Capacity Building to clear the expected claims and (vi) Subsidies for National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP) to clear the pending liabilities of Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) (₹829.25 crore).	874.59	-	874.59
	(ग) ग्रामीण और लघु उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयोजन शीर्ष मोटर वाहन (₹2 करोड़), मशीनरी और उपकरण (₹1.20 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्य (₹9.80 करोड़) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता		(c) For meeting additional requirement under object heads Motor Vehicle (₹2 crore), Machinery and Equipment (₹1.20 crore) and Major Works (₹9.80 crore) for establishment		10.00	10.00
	को पूरा करने के लिए।		of village and small industries.	-	13.00	13.00

खान मंत्रालय

65 खान मंत्रालर

प्रयोजन शीर्ष घरेलू यात्रा व्यय के तहत अतिरिक्त

65 Ministry of Mines

For meeting additional expenditure under

		(करो	ड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
व्यय को पूरा करने के लिए (₹0.40 करोड़), किराया, दरें और कर (₹1 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.40 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹190.10 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹185 करोड़) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) के लिए।	object heads Domestic Travel Expenses (₹0.40 crore), Rent, Rates and Taxes (₹1 crore), Other Administrative Expenses (₹0.40 crore), Professional Services (₹190.10 crore) and Grants-in-aid General (₹185 crore) for National Mineral Exploration Trust (NMET).	376.90	-	376.90
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
68 पंचायती राज मंत्रालय (क) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹25 करोड़), पेशेवर सेवाएं (₹7.50 करोड़) और अन्य प्रभार (₹2.50 करोड़) के तहत निधि प्रदान करने	68 Ministry of Panchayati Raj (a) For providing funds under Grants-in-aid General (₹25 crore), Professional Services (₹7.50 crore) and Other Charges (₹2.50 crore) under the scheme Rashtriya Gram			
के लिए।	Swaraj Abhiyan (RGSA).	35.00	-	35.00
(ख) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) स्कीम के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid General to North Eastern Areas under the scheme Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA).	80.50	-	80.50
(ग) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान (₹459.41 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (₹145.85 करोड़)।	(c) For providing Grants-in-aid General (₹459.41 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹145.85 crore) to State Governments under the scheme Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA).	605.26	-	605.26
(घ) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान केंद्र (₹0.02 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को अनुदान (₹0.02 करोड़) प्रदान करने के लिए अनुदान।	(d) For providing Grants-in-aid General (₹0.02 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.02 crore) to Union Territory Governments under the scheme Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA).	0.04	-	0.04
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC			
70 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	GRIEVANCES AND PENSIONS 70 Ministry of Personnel, Public Grievances And Pensions			
सामान्य सहायता अनुदान के तहत विभागीय कैंटीन के आधुनिकीकरण के लिए आवंटन करने के लिए।	For making allocation for Modernization of Departmental Canteens under Grants-in-aid General.	0.50	-	0.50
71 केंद्रीय सतर्कता आयोग स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	71 Central Vigilance Commission For meeting expenditure towards Swachhta Action Plan (SAP).	0.10	-	0.10
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND			
72 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय केरोसिन वितरण सुधार के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	NATURAL GAS 72 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing Grants-in-aid General to State Governments under the scheme Cash incentive to State Governments for Kerosene Distribution Reforms.	177.00	-	177.00
विद्युत मंत्रालय 74 विद्युत मंत्रालय सहज बिजली हर घर योजना-शहरी स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (₹800 करोड़) और ग्रामीण (₹2,440	MINISTRY OF POWER 74 Ministry of Power For providing Grants for Creation of Capital Assets under the schemes Sahaj Bijli Har Ghar Yojana-Urban (₹800 crore) and Rural			
करोड़)।	(₹2,440 crore).	3,240.00	-	3,240.00

				गेड़ रुपए Rupe	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विव	л Grant No. & title	e and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रेल मंत्रालय 80 रेल मंत्रालय विभिन्न पूंजीगत कार्यों के तहत अतिरि पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF F 80 Ministry of F व्यय को For meeting a various capita	Railways additional expenditure under	-	2,414.13	2,414.13
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		ROAD TRANSPORT AND			
मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त करने के लिए 1. राष्ट्रीय राजमार्ग र सुधार कार्यक्रम (एनएचआईआईपी) विश्व बैंक विदेशी सहायता प्राप्त योज करोड़) (ii) एशियाई विकास बैंक विदेश प्राप्त योजनाएं (₹129 करोड़) (i अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (₹135 व विश्व बैंक को एनएचआरआईपी के ति सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए काउं (₹56 करोड़) (v) एशियाई विकास सहायता प्राप्त स्कीम के लिए काउं (₹116 करोड़) (vi) जापान अंतर्राष्ट्र एजेंसी विदेशी सहायता प्राप्त योजन काउंटरपार्ट फंड (₹100 करोड़) और (v चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के लिए विशेष कार्यक्रम (₹100 करे	Highways धि प्रदान रिं प्रदान प्रिंगंक प्रिंगंक प्रिंगंक प्रिंगंक प्रिंगंक प्रिंगंक प्रिंगंव प्रिंगंव	additional funds under Major World Bank Externally Aided National Highway Inter-Improvement Programme crore) (ii) Asian Development ally Aided Schemes (₹129 an International Cooperation really Aided Schemes (₹135 a Counterpart Fund to World nally Aided Schemes to croe) (v) the counterpar fund evelopment Bank Externally me (₹116 crore) (vi) the fund for Japan International Agency Externally Aided 00 crore) and (vii) Special for Development of ivity in Left Wing Extermists s (₹100 crore).		675.00	675.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय 82 ग्रामीण विकास विभाग (क) स्कीम के तहत निधि प्रदान कराने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए प्रबंध और जिला आयोजना प्रक्रिया (₹1 करोः बनाना और (ii) बीपीएल सर्वेक्षण के लिए आर्थिक लागत जनगणना (₹311.25	ह लिए (i) (a) For provid सहायता (i) Manage को सुदृढ़ Development I प्रामाजिक District Plant	RURAL DEVELOPMENT of Rural Development ding funds under the scheme ment Support to Rural Programme and Strengthening ing Process (₹1 crore) and momic Cost Census for BPL 25 crore).		_	312.25
(ख) ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण (आरएसईटीआई) के लिए केंद्रीय सहाय सरकार को सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	हेतु राज्य State Governn	ling Grants-in-aid General to nent for Central Assistance for aployment Training Institutes	1.00	-	1.00
(ग) ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण (आरएसईटीआई) के लिए विधानमंडर शासित प्रदेश की सरकार को सामान अनुदान प्रदान करने के लिए।	वाले केंद्र to Union Te सहायता Legislature f	ding Grants-in-aid General erritory Government with for Rural Self Employment tutes (RSETI).	0.01	-	0.01
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		OF SCIENCE AND			
84 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड के व्य करने के लिए 1. सामान्य सहायता सामान्य घटक (₹50 करोड़) और (ii) जनजाति उप-योजना (₹6.50 करोड़) 2 जनजाति उप-योजना के लिए पूंजीग के सृजन के लिए अनुदान (₹3.50 क	को पूरा For meeting नुदान (i) Engineering I अनुसूचित aid General fo अनुसूचित crore) and (ii) आस्तियों (₹ 6.50 cror	of Science and Technology expenditure of Science and Board towards 1. Grants-in- r (i)General Component (₹50) Scheduled Tribe Sub-Plan e) 2. Grants for Creation sets for Scheduled Tribe Sub-	60.00	_	60.00

	अनुदाना का पूरक माग,	2018	-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	R GRANTS		(xvii)
				(करो	ड़ रुपए Rupee.	s in Crore)
अनुव	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
85	जैव प्रोद्योगिकी विभाग (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए।	85	Department of Biotechnology (a) For meeting additional expenditure under NER component.	20.00	-	20.00
	(ख) व्यय पूरा करने के लिए (1) नई स्कीम बायों फार्मा मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) कार्यक्रम घटक (₹49 करोड़) और (ii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक (₹48.50 करोड़) (2) नई स्कीम बायो फार्मा मिशन के लिए पूंजीगत आस्तियों के अनुदान (i) कार्यक्रम घटक (₹49.00 करोड़) और (ii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक (₹48.50 करोड़)		(b) For meeting expenditure towards (1) Grants in Aid General for new scheme Bio Pharma Mission (i) Programme Component (₹49 crore) and (ii) Externally Aided Project component (₹ 48.50 crore) (2) Grants for creation of Capital Assets for new scheme Bio Pharma Mission (i) Programme Component (₹49 crore) and (ii) Externally Aided Project component (₹48.50 crore)	195.00	-	195.00
पोत	परिवहन मंत्रालय	MI	NISTRY OF SHIPPING			
87	पोत परिवहन मंत्रालय पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (i) चार लेन संपर्क सड़क परियोजना (₹4.74 करोड़) और (ii) मुंबई और वाईजेग के लिए सागरमाला के तहत तटीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट को प्रदान करने के लिए (₹25.04 करोड़)।	87	Ministry of Shipping For providing Grants for Creation of Capital Assets (i) to Mormugao Port Trust for completion of Four Lane Connectivity Road Project (₹4.74 crore) and (ii) for Coastal Community Development Programme under Sagarmala for Mumbai and Visakhapatnam (₹25.04 crore).	29.78	-	29.78
साम	ाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MI	NISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND			
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	89	EMPOWERMENT Department of Social Justice And Empowerment			
	अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड स्कीम के तहत निवेश के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।		For meeting additional requirement for Investment under the scheme Venture Capital Fund for Schedule Castes.	-	20.00	20.00
अंतर्ग 91	सिक्ष विभाग अंतिरक्ष विभाग (क) व्यय को पूरा करने के लिए (i) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) के लिए निधि जारी करने हेतु में इसरो उपग्रह केंद्र (आईएसएसी) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹3.40 करोड़) परियोजना और अर्ध-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) के लिए रमन और वेफर फैब सुविधा (₹65 करोड़) और (ii) पूंजीगत वस्तुओं के स्पिल ओवर भुगतान और खरीद (₹170 करोड़) और राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) के लिए अर्ध-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए (₹15 करोड़) उन्नत पेटस्केल कंप्यूटिंग सिस्टम के विकास के लिए।		PARTMENT OF SPACE Department of Space (a) For meeting expenditure towards (i) Grant-in-aid General for ISRO Satellite Centre (ISAC) towards release of funds for Raman Research Institute (RRI) (₹ 3.40 crore) for the Project and Semi-Conductor Laboratory (SCL) and towards AMC expenses for Wafer Fab facility (₹ 65 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets of Semi-Conductor Laboratory (SCL) towards spill over payments & procurement of capital items (₹ 170 crore) and National Atmospheric Research Laboratory (NARL) (₹ 15 crore) towards development of advanced petascale computing system.	253.40	<u>-</u>	253.40
	(ख) नई अनुमोदित परियोजनाओं के 'अन्य पूंजीगत व्यय' शीर्ष के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।		(b) For meeting expenditure under the head 'Other Capital Expenditure' of newly approved Projects.	-	877.00	877.00
सांबि	ख्यकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MI	INISTRY OF STATISTICS AND			
92	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	92	PROGRAMME IMPLEMENTATION Ministry of Statistics and Programme Implementation			
	(क) एमपीएलएडी योजना की तीसरी पार्टी निगरानी		(a) For meeting expenditure under			

की आवश्यकता के लिए व्यावसायिक सेवाओं के तहत व्यय को पूरा करने के लिए क्षमता विकास योजना के लिए क्षमता विकास योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने	Revenue 5.00	पूंजी Capital -	जोड़ Total
तहत व्यय को पूरा करने के लिए। third party monitoring of MPLAD scheme. (ख) अर्हक संस्थाओं/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्षमता विकास योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने third party monitoring of MPLAD scheme. (b) For meeting expenditure towards Grants- in-aid General for Capacity Development Scheme for providing financial assistance		-	5.00
प्रदान करने के लिए क्षमता विकास योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने Scheme for providing financial assistance			5.00
के लिए। to eligible institutions/organizations.	0.32	-	0.32
पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL			
इस्पात मंत्रालय इस्पात सामान्य अस्पताल, राउरकेला को एक सुपर स्पेशिलटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में उन्नयन करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिस्कि व्यय को पूरा करने के लिए। 93 Ministry of Steel For meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for upgradation of Ispat General Hospital, Rourkela to a super speciality hospital and medical college.	10.00	-	10.00
पड़ा मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES			
कपड़ा मंत्रालय (क) स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) मानव संसाधन विकास (₹1.50 करोड़) (ii) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (₹1 करोड़) और (iii) धागा आपूर्ति (₹5 करोड़)। 94 Ministry of Textiles (a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General under the scheme (i) Human Resource Development (₹1.50 crore) (ii) National Handloom Development Programme (₹1 crore) and (iii) Yarn Supply (₹5 crore).	7.50	-	7.50
(ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹0.50) (ii) प्रशिक्षण और विस्तार में वेतन (₹3.50 करोड़) (iii) मानव संसाघन विकास में सामान्य सहायता अनुदान (₹3.20 करोड़) (iv) इस्तशिल्प मेगा क्लस्टर में व्यावसायिक सेवा (₹0.50 करोड़) (v) डीसी (इस्तशिल्प) संग्रहालय कार्यालय में वेतन (₹2 करोड़) (vi) घरेलू यात्रा व्यय (₹0.10 करोड़) और पावर टेक्स इंडिया स्कीम (₹0.10 करोड़ रुपये) में अन्य प्रभार (vii) डीसी (इस्तशिल्प) के कार्यालय में मानव संसाघन विकास के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) (viii) सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) (ix) सामान्य सहायता अनुदान (₹4.85 करोड़) और डिजाइन और तकनीकी उन्नयन योजना में अन्य प्रभार (₹0.15 करोड़) (ix) सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़) और मानव संसाघन विकास में अन्य प्रभार (₹1 करोड़) (x) विज्ञापन और प्रचार (₹0.30 करोड़) और अन्य प्रभार (₹2 करोड़) (xi) विज्ञापन और प्रचार (₹0.10 करोड़), अनुसंघान और विकास योजना में सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) (xi) विज्ञापन और प्रचार (₹0.10 करोड़), अनुसंघान और व्रचार के करोड़) और अन्य प्रभार (₹0.10 करोड़) अनुसंघान और व्रच्या कक्तरोड़) और अन्य प्रभार (₹0.10 करोड़) अनुसंघान और व्रचार करोड़) और अन्य प्रभार (₹0.10 करोड़) अनुसंघान और विकास योजना में सामान्य सहायता अनुदान (₹0.86 करोड़) में सामान्य सहायता अनुदान। (₹0.86 करोड़) विकास कार्यक्रम (₹9.25 करोड़) (xi) विज्ञापन और प्रचार (₹0.10 करोड़) अने सामान्य सहायता अनुदान। (₹0.86 करोड़) और अन्य प्रभार (₹0.10 करोड़) (xi) विज्ञापन और प्रचार (₹0.10 करोड़) (xi) विज्ञापन और प्रचार (₹0.86 करोड़) (xi) विज्ञापन (₹	34.45		34.45
(ग) अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास परियोजना (c) For meeting additional expenditure स्कीम में मुख्य निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त towards Major Works in Infrastructure &			

		(करो	ड़ रुपए Rupee.	s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पर्यटन मंत्रालय 95 पर्यटन मंत्रालय निम्नलिखित हेतु नया प्रयोजन शीर्ष खोलने के लिए (i) स्वदेश दर्शन स्कीमों के अंतर्गत विविध व्यय (₹0.50 करोड़) और तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक वृद्धि अभियान (प्रसाद) (₹0.05 करोड़) और (ii) निदेशन और प्रशासन (स्थापना) स्कीम के तहत नए कार्यालय भवन का किराया, दर और कर (₹6 करोड़)।	MINISTRY OF TOURISM 95 Ministry of Tourism For opening of new object head for (i) miscellaneous expenses under the schemes Swadesh Darshan (₹0.50 crore) and Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) (₹0.05 crore) and (ii) Rent, Rate and Taxes of new office building under the scheme Direction and Administration (Establishment) (₹6 crore).	6.55	-	6.55
जनजातीय कार्य मंत्रालय 96 जनजातीय कार्य मंत्रालय (क) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य।	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 96 Ministry of Tribal Affairs (a) For meeting expenditure towards Grants- in-aid General under the scheme Minimum Support Price for Minor Forest Produce.	25.00	-	25.00
(ख) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (क) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान के लिए स्वच्छता कार्य योजना (₹40 करोड़), आदिवासी उप स्कीमों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (₹52 करोड़) और (ख) लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹30 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (a) Swachhta Action Plan for Grants under provision to Article 275 (1) of the Constitution (₹40 crore), Special Central Assistance to Tribal Sub Schemes (₹52 crore) and (b) Minimum Support Price for Minor Forest Produce (₹30 crore).	122.00	-	122.00
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय 97 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (क) महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के संबंध में स्थापना से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION 97 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (a) For meeting establishment related expenditure in respect of Mahanadi Water Disputes Tribunal.	4.32	_	4.32
(ख) राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के लिए विभिन्न शीर्षों के तहत व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure under various heads for National Water Informatics Centre.	0.01	-	0.01
(ग) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹66 करोड़) और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (ईएपी घटक) को पूंजीगत आस्तियों (₹634 करोड़) के सृजन के लिए अनुदान (ईएपी घटक)।	(c) For providing Grants-in-aid General (₹66 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹634 crore) to National Ganga River Basin Authority (EAP Component).	700.00	-	700.00
(घ) विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के अन्य क्रमिक रूप से सूखा संभावित क्षेत्रों में कृषि की दयनीय स्थिति का निवारण करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी करने के लिए।	(d) For release of Grants for creation of Capital Assets towards Special package for irrigation projects to address agrarian distress in districts of Vidarbha, Marathawada and other chronically drought prone areas of Maharashtra.	900.00		900.00
(डं) राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के लिए मुख्य निर्माण कार्यों और मशीनरी और उपकरण पर व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting expenditure on Major Works and Machinery & Equipment for National Water Informatics Centre.	-	0.01	0.01
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD			
98 महिला और बाल विकास मंत्रालय	DEVELOPMENT 98 Ministry of Women and Child Development			
(क) (i) केन्द्रीय सामाज कल्याण बोर्ड स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹14.91 करोड़),	(a) For (i) Grants-in-aid General under the schemes Central Social Welfare Board			

		(कर	ोड़ रुपए Rupe	es in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (₹1.80 करोड़), एकल केंद्र (₹75.63 करोड़), बाल संरक्षण स्कीम (₹97.30 करोड़) और विधवा आश्रम (₹0.05 करोड़)। (ii) एकल केंद्र स्कीम (₹105.27 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान। (iii) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) स्कीमों के तहत सहायता अनुदान वेतन (₹4.75 करोड़) और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (₹2.45 करोड़), (iv) किशोरी योजना के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹0.25 करोड़) और (v) राष्ट्रीय पोषण मिशनकार्यक्रम घटक स्कीम के तहत किराया, दर और कर (₹1.15 करोड़)।	(₹14.91 crore), Central Adoption Resources Agency (₹ 1.80 crore), One Stop Centre (₹75.63 crore), Child Protection Scheme (₹97.30 crore) and Home for Widows (₹0.05 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme One Stop Centre (₹ 105.27 crore). (iii) Grants-in-Aid Salary under the schemes National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹ 4.75 crore and Central Adoption Resources Agency (₹ 2.45 crore), (iv) Professional Services under the Scheme for Adolescent Girls (₹ 0.25 crore) and (v) Rent, Rate and Taxes under the scheme National Nutrition Mission-Programme Component (₹1.15 crore).	303.56	_	303.56
(ख) एकल केंद्र स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹6.27 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों (₹10.53 करोड़) के सृजन के लिए अनुदान।	(b) For Grants-in-aid General (₹6.27 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹10.53 crore) under the scheme One Stop	17.00		16.00
	Centre.	16.80	-	16.80
(ग) विधवा आश्रम स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(c) For Grants-in-aid General under the scheme Home for Widows.	7.94	-	7.94
(घ) विधवा आश्रम स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(d) For Grants-in-aid General under the scheme Home for Widows.	0.01	-	0.01
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND			
99 युवा मामले और खेल मंत्रालय (क) विभिन्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹327.75 करोड़), सहायता अनुदान वेतन (₹173.30 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹52.40 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	SPORTS 99 Ministry of Youth Affairs and Sports (a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹327.75 crore), Grants-in-aid Salary (₹173.30 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹52.40 crore) under various schemes.	553.45	-	553.45
(ख) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants- in-aid General under the scheme Laxmibai National Institute of Physical Education.	42.65	-	42.65
कुल सांकेतिक	Total Token	0.77	0.25	1.02
5. ₹ 1,45,60,00,000 की अग्रिम राशि आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि में से स्वीकृत की गई थी। अनुदानों की पूरक मांगों के अनुमोदन के पश्चात इस राशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।	5. An advance of ₹ 1,45,60,00,000 was sanctice. India for meeting Contingency requirement. This the Supplementary Demands for Grants are approximately approximately the supplementary Demands for Grants are approximately the supple	s will be rec		
कुल योग	GRAND TOTAL	9,779.05	1,918.87	11,697.92
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	5,235.33	715.89	5,951.22
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	4,542.95	1,202.73	5,745.68
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.77	0.25	1.02

विषय सूची CONTENTS

				(₹ ⋷	करोड़ in ₹	crore)
			राजस्व	पूंजी		पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand	Revenue	Capital	Total	Page
कृषि एवं कृषक		MINISTRY OF AGRICULTURE				
कल्याण मंत्रालय		AND FARMERS' WELFARE				
1 कृषि, सहकारिता और कृषक		1. Department of Agriculture, Cooperation				
कल्याण विभाग	स्वीकृत	and Farmers Welfare Voted	1791.64	•••	1791.64	1
2. कृषि अनुसंधान और		2. Department of Agricultural Research				_
शिक्षा विभाग	स्वीकृत	and Education Voted	0.01	•••	0.01	2
 पशु पालन, डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग 	स्वीकृत	Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries Voted	0.02		0.02	3
आणविक ऊर्जा विभाग	रपापटूरा	Dairying and Fisheries Voted DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY	0.02	•••	0.02	3
4. आणविक ऊर्जा	स्वीकृत	4. Atomic Energy Voted	0.02	0.02	0.04	4
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्र		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND	0.02	0.02	0.0.	·
यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी	•	NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND				
(आयुष) मंत्रालय		HOMOEOPATHY (AYUSH)				
 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक 		5. Ministry of Ayurveda, Yoga and				
चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा		Naturopathy, Unani, Siddha and				
होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	स्वीकृत	Homoeopathy (AYUSH) Voted	30.00		30.00	5
रसायन और उर्वरक		MINISTRY OF CHEMICALS AND				
मंत्रालय 6. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	स्वीकृत	FERTILIZERS	200.00		200.00	
 रसायन आर पंद्रारसायन विभाग उर्वरक विभाग 	स्वाकृत स्वीकृत	Department of Chemicals and Petrochemicals VotedDepartment of Fertilisers Voted	200.00 2.00	•••	200.00	6 7
नागर विमानन मंत्रालय	रपापटूरा	MINISTRY OF CIVIL AVIATION	2.00	•••	2.00	,
9. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation Voted		980.00	980.00	8
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY	•••	,00.00	,00.00	Ü
11. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	11. Department of Commerce Voted	500.01		500.01	9
12. औद्योगिक नीति तथा	C	12. Department of Industrial Policy				
संवर्धन विभाग	स्वीकृत	and Promotion Voted	0.03		0.03	10
संचार मंत्रालय	_	MINISTRY OF COMMUNICATIONS				
13. डाक विभाग	स्वीकृत	13. Department of Posts Voted	600.00	•••	600.00	11
14. दूरसंचार विभाग	भारित	14. Department of Telecommunications Charged	78.82		78.82	12
उपभोक्ता मामले, खाद्य और		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,				
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 15. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	0.01		0.01	12
 उपमाला मानल विमान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभा 		15. Department of Consumer Affairs Voted16. Department of Food and Public Distribution Voted	0.01 463.31	•••	0.01 463.31	13 14
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	1 (4)42(1	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS	403.31	•••	403.31	14
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	17. Ministry of Corporate Affairs Voted	0.01		0.01	15
संस्कृति मंत्रालय	c	MINISTRY OF CULTURE				
18. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	18. Ministry of Culture Voted	0.02	150.00	150.02	16
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE				
19. रक्षा मंत्रालय (विविध)	स्वीकृत	19. Ministry of Defence (Misc) Voted	1057.84		1057.84	18
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF				
मंत्रालय		NORTH EASTERN REGION				
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	स्वीकृत	23. Ministry of Development of North	110.00		110.00	10
मत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता	स्पाकृत	Eastern Region Voted MINISTRY OF DRINKING WATER	110.00	•••	110.00	19
मंत्रालय		AND SANITATION				
24. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	स्वीकृत	24. Ministry of Drinking Water and Sanitation Voted	0.01		0.01	20
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES	0.01		0.01	
25. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	25. Ministry of Earth Sciences Voted	•••	0.01	0.01	21
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना	C	MINISTRY OF ELECTRONICS AND				
प्रौद्योगिकी मंत्रालय		INFORMATION TECHNOLOGY				
26. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना	_	26. Ministry of Electronics and				
प्रौद्योगिकी मंत्रालय	स्वीकृत	Information Technology Voted	200.01	•••	200.01	22
पर्यावरण, वन और जलवायु		MINISTRY OF ENVIRONMENT,				
परिवर्तन मंत्रालय		FORESTS AND CLIMATE CHANGE				
 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 	स्वीकृत	27. Ministry of Environment, Forests and	50.01		50.01	22
पारवतन मन्नालय विदेश मंत्रालय	स्पायृत	Climate Change Voted MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	30.01	•••	50.01	23
28. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of External Affairs Voted	250.00	0.01	250.01	24
	· · · · c · ·					

(xxii) अनुव	ाना का पूरक	र्गाग,	2018-2019 SUPPLEMENTARY DE	MANDS I	FOR GRAN	NTS		
वित्त मंत्रालय		MI	NISTRY OF FINANCE					
29. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	29.	Department of Economic Affairs	Voted	0.03	0.02	0.05	25
31. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	31.	Department of Financial Services	Voted		20.00	20.00	26
32. निवेश और लोक आस्ति	-	32.	Department of Investment and Public					
प्रबंधन विभाग	स्वीकृत		Asset Management (DIPAM)	Voted	27.15		27.15	27
34. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	34.	Direct Taxes	Voted		0.02	0.02	28
35. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत		Indirect Taxes	Voted	0.01		0.01	29
36. भारतीय लेखा विभाग	स्वीकृत		Indian Accounts Department	Voted	14.00	•••	14.00	30
खाद्य प्रसंस्करण 		MI	NISTRY OF FOOD PROCESSING					
मंत्रालय	-	4.1	INDUSTRIES	37 . 1	0.02		0.02	21
41. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	स्वीकृत		Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.02	•••	0.02	31
स्वास्थ्य एवं पारवार कल्याण मंत्रालय		IVIII	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभ	ाग स्वीकत	42	Department of Health and Family Welfare	Voted	0.04	0.02	0.06	32
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम			NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES	roteu	0.01	0.02	0.00	32
मंत्रालय			AND PUBLIC ENTERPRISES					
44 भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	44.	Department of Heavy Industry	Voted		0.02	0.02	34
गृह मंत्रालय			NISTRY OF HOME AFFAIRS					
46. गृह मंत्रालय	भारित	46.	Ministry of Home Affairs	Charged	2.17		2.17	35
	स्वीकृत			Voted	0.01		0.01	
47. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	47.	Cabinet	Voted	150.00	715.89	865.89	36
48. पुलिस	स्वीकृत		Police	Voted	516.31	25.64	541.95	37
संघ राज्य क्षेत्र		UN	ION TERRITORIES					
(विधान-मंडल रहित)			(WITHOUT LEGISLATURE)					
49. अण्डमान और निकोबार द्वीप सर्	-, -		Andaman and Nicobar Islands	Voted	86.00		86.00	39
52. दमन एवं दीव आवास और शहरी गरीबी	स्वीकृत		Daman & Diu	Voted	0.01	0.01	0.02	40
उपशमन मंत्रालय		IVIII	NISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION					
56. आवास और शहरी गरीबी		56	Ministry of Housing and					
उपशमन मंत्रालय	स्वीकृत	50.	Urban Affairs	Voted	0.03	0.04	0.07	41
मानव संसाधन विकास	١٩١٩٢١	MI	NISTRY OF HUMAN RESOURCE	Voica	0.03	0.04	0.07	71
मंत्रालय		.,	DEVELOPMENT					
57. स्कूली शिक्षा और		57.	Department of School Education					
साक्षरता विभाग	स्वीकृत		and Literacy	Voted	0.03		0.03	43
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58.	Department of Higher Education	Voted	0.03		0.03	44
सूचना एवं प्रसारण		MI	NISTRY OF INFORMATION					
मंत्रालय	_		AND BROADCASTING					
59. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01	0.01	0.02	46
सूक्ष्म, लघु और मध्यम		MI	NISTRY OF MICRO, SMALL AND					
उद्यम मंत्रालय			MEDIUM ENTERPRISES					
64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	64.	Ministry of Micro, Small and	Voted	0.02	0.01	0.03	47
रवान मंत्रालय रवान मंत्रालय	स्पापरूरा	мт	Medium Enterprises NISTRY OF MINES	voteu	0.02	0.01	0.03	47
65. खान मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Mines	Voted	0.01		0.01	49
पंचायती राज मंत्रालय	١٩١٩٢١		NISTRY OF PANCHAYATI RAJ	Voica	0.01	•••	0.01	72
68. पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.04		0.04	50
कार्मिक, लोक शिकायत			NISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC					
और पेंशन मंत्रालय			GRIEVANCES AND PENSIONS					
70. कार्मिक, लोक शिकायत		70.	Ministry of Personnel, Public					
और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत		Grievances and Pensions	Voted	0.01	0.09	0.10	51
71. केंद्रीय सतर्कता आयोग	भारित		Central Vigilance Commission	Charged	0.01		0.01	52
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		MI	NISTRY OF PETROLEUM					
मंत्रालय ``			AND NATURAL GAS					
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक		72.	Ministry of Petroleum and		4=00.04		4=00.04	
गैस मंत्रालय	स्वीकृत	3.413	Natural Gas	Voted	1708.01		1708.01	53
योजना मंत्रालय 73. योजना मंत्रालय			NISTRY OF PLANNING	Vatad	20.00		20.00	<i>5</i> 1
73. याजना मन्नालय विद्युत मंत्रालय			Ministry of Planning NISTRY OF POWER	Voted	20.90		20.90	54
74. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Power	Voted	0.01		0.01	55
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा	(419/(1		E PRESIDENT, PARLIAMENT,	Voica	0.01		0.01	33
आयोग और उपराष्ट्रपति का			UNION PUBLIC SERVICE					
सचिवालय			COMMISSION AND THE SECRETAL	RIAT				
			OF THE VICE PRESIDENT					
76. लोक सभा	भारित	76.	Lok Sabha	Charged	0.10		0.10	56
	स्वीकृत			Voted	20.00		20.00	
77. राज्य सभा	भारित	77.	Rajya Sabha	Charged	1.13		1.13	57
	स्वीकृत			Voted	23.84		23.84	
रेल मंत्रालय	0_		NISTRY OF RAILWAYS					2
80. रेल मंत्रालय	स्वीकृत	80.	Ministry of Railways	Voted	•••	0.01	0.01	58

अनुदार	ना का पूरक	भाग, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DE	EMANDS I	FOR GRA	N15		(AAIII)
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT					
मंत्रालय		AND HIGHWAYS					
81. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	81. Ministry of Road Transport and Highway	s Voted		0.01	0.01	60
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
82. ग्रामीण विकास विभाग		82. Department of Rural Development	Voted	0.03		0.03	61
विज्ञान और प्रौद्योगिकी		MINISTRY OF SCIENCE					
मंत्रालय		AND TECHNOLOGY					
84. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	84. Department of Science and Technology	Voted	0.01		0.01	62
85. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	85. Department of Biotechnology	Voted	0.02		0.02	63
पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING					
87. पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	87. Ministry of Shipping	Voted	218.60		218.60	64
सामाजिक न्याय और अधिकारिता		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE					
मंत्रालय		AND EMPOWERMENT					
89. सामाजिक न्याय और		89. Department of Social Justice					
अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	and Empowerment	Voted	156.50	0.01	156.51	65
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
91. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	91. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	67
सांख्यिकी और कार्यक्रम	-	MINISTRY OF STATISTICS AND					
कार्यान्वयन मंत्रालय		PROGRAMME IMPLEMENTATION	ſ				
92. सांख्यिकी और कार्यक्रम		92. Ministry of Statistics and					
कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	Programme Implementation	Voted	0.02		0.02	68
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
93. इस्पात मंत्रालय		93. Ministry of Steel	Voted	0.01		0.01	69
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
94. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	94. Ministry of Textiles	Voted	1500.02	0.01	1500.03	70
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
95. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	95. Ministry of Tourism	Voted	0.01		0.01	72
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय	भारित	96. Ministry of Tribal Affairs	Charged	0.01		0.01	73
	स्वीकृत		Voted	0.01		0.01	
जल संसाधन, नदी विकास		MINISTRY OF WATER RESOURCES,					
और गंगा संरक्षण		RIVER DEVELOPMENT AND GANG	GA				
मंत्रालय		REJUVENATION					
97. जल संसाधन, नदी विकास		97. Ministry of Water Resources, River					
और गंगा संरक्षण मंत्रालय	स्वीकृत	Development and Ganga Rejuvenation	Voted	0.04	0.01	0.05	74
महिला और बाल		MINISTRY OF WOMEN AND					
विकास मंत्रालय		CHILD DEVELOPMENT					
98. महिला और बाल विकास		98. Ministry of Women and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Child Development	Voted	0.04	27.00	27.04	75
युवा मामले और खेल		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS					
मंत्रालय		AND SPORTS					
99. युवा मामले और खेल मंत्रालय		99. Ministry Of Youth Affairs And Sports	Voted	0.02		0.02	77
कुल जोड़		GRAND TOTAL		9779.05	1918.87	11697.92	
	भारित		Charged	82.24	0.00	82.24	
	स्वीकृत		Voted	9696.81	1918.87	11615.68	
अनुबंध		ANNEXURE					

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़	r) (In ₹	crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		46586.30		46586.30
पूंजी	Capital		113.70		113.70
जोड़	Total		46700.00		46700.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		1791.64		1791.64
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		1791.64		1791.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		48491.64		48491.64
राजस्व	Revenue		48377.94		48377.94
प्ंजी	Capital		113.70		113.70
	॥. इस प्र्क अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेग	π:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und		Major Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry		1791.62	(कa)	1791.62
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		1791.64		1791.64

जोड़ (रा	जस्व भा	π) Total (Revenue Section)	
यह पूरक	अनुदान	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The
(क)	(i)	मॉडल जैविक खेती हेतु परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 18 करोड़) जारी करना।	(a)
	(ii)	'स्वस्थाने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को संवर्धन' के लिए सामान्य सहायता अनुदान(₹ 591.62 करोड़) प्रदान करने के प्रयोजनार्थ।	
	(iii)	एमआईएस/पीएसएस (₹ 1200 करोड़) के कार्यान्वयन के तहत ब्याज वितपोषण की देयता के लिए अतिरिक्त 'राजसहायता' प्रदान करने के प्रयोजनार्थ।	
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय होगा।	
(ख)	(i)	पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 20 करोड़) जारी करना।	(b)
	(ii)	राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप- योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 6.30 करोड़ रुपये) जारी करना।	
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत हेतु मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(ग)		कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के तहत सामान्य घटक के लिए (₹ 2 करोड़), अनु सूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए (₹ 1 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र की उप योजना घटक के लिए (₹ 1 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के प्रयोजनार्थ। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद	(c)

व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- release of additional Grants-in-aid General for model organic farming under the scheme of Paramparagat Krishi Vikas Yojna
 (₹ 18 crore).
 - (ii) providing Grants-in-aid General under the Scheme for Promotion of Agricultural Mechanization for In-situ Management of Crop Residue (₹ 591.62 crore).
 - (iii) providing additional 'subsidies' under Market Intervention
 Scheme and Price Support Scheme to meet interest financing
 liability

(₹ 1200 crore).

- Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo.
- (i) release of additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under the scheme of Organic Value Chain Development for NE Region (₹ 20 crore).
 - (ii) release of additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under National Mission on Oil Seeds and Oil Palm (₹ 6.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

release of Grants-in-aid General (General Component- $\ref{2}$ 2 crore, Scheduled Caste Sub Plan - $\ref{2}$ 1 crore and Tribal Sub Plan - $\ref{2}$ 1 crore) under Sub-Mission on Agricultural Mechanization.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करॉड़) (In	₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	7800.00	7800.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		7800.00	7800.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		7800.01	7800.01
राजस्व	Revenue		7800.01	7800.01
पूंजी	Capital		•••	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the following Major F	lead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनु संधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- राष्ट्रीय कृषि उच्चंतर शिक्षा परियोजना योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 123.78 करोड़) और पूजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 76.27 करोड़) जारी करना।
- (ii) आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन योजना के तहत भारतीय कृषि अनु संधान परिषद को वेतन सहायता अन्दान (₹ 196.60 करोड़) जारी करना।
- (iii) बागवानी संस्थानों, अनु संधान एवं शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनु संधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (र 1.11 करोड़) जारी करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- i) release of Grants-in-Aid General (₹ 123.78 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 76.27 crore) to Indian Council of Agricultural Research under the scheme National Agricultural Higher Education Project .
- (ii) release of Grants-in-Aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme ICAR Headquarter Administration (₹ 196.60 crore).
- (iii) release of Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Horticulture Institutes, Research & Education Schemes (₹ 1.11 crore). Taking into account the savings available in the same section of
 - the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ c		crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		3536.11		3536.11
पूंजी	Capital	***	43.89		43.89
जोड़	Total	•••	3580.00		3580.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:			
राजस्व	Revenue	***	0.02		0.02
प्रंजी	Capital	***			
जोड़	Total	•••	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	3580.02		3580.02
राजस्व	Revenue	•••	3536.13		3536.13
पूंजी	Capital	•••	43.89		43.89
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the following Major	r Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries		0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

जाता है।

- (क) (i) राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को (सामान्य घटक ₹ 58.44 करोड़, एससीएसपी
 - ₹ 37 करोड़ और टीएसपी (₹ 15.18 करोड़) वेतन और सामान्य सहायता
 अनुदान (₹ 4.38 करोड़) प्रदान करना।
 - (ii) मत्स्य नौका के प्रतिस्थापन के लिए पैकेज की योजना में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (₹ 2.92 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान जारी करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान
- मांगा जाता है।

 (ख) राष्ट्रीय मत्स्य विकास विकास बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान

 (₹ 10 करोड़) जारी करना।

 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा

The supplementary Grants are required for:

- (i) release of Grants-in-aid General (General Component ₹ 58.44 crore, Scheduled Castes Sub Plan ₹ 37 crore and Tribal Sub Plan ₹ 15.18 crore) and Grant-in-aid Salaries (₹ 4.38 crore) to National Fisheries Development Board.
 - (ii) release of Grants-in-aid General to Marine Products Export Development Authority in the scheme of Package for Replacement of Fishing Vessel (₹ 2.92 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - release of Grants-in-aid General to National Fisheries Development Board (₹ 10 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 4

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

				a		₹) (In ₹ c	
				भारित Chargad	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
		I. ORIGINAL GRANT:		Charged	Voted		Total
!. मू<i>ल अनुदान:</i> : ।जस्व		Revenue		1.00	12020 15		12020 15
ाजस्य ट्रंजी				1.00	13928.15		13929.15
ा नोड़		Capital		0.50	7588.73		7589.23
•		Total		1.50	21516.88		21518.38
	ह रकम का प् रक अनुमान:	Supplementary Estimate of the a	nount now req	uirea:	0.00		0.00
ाजस्व ट्रंजी		Revenue			0.02		0.02
्रा गोड़		Capital Total			0.02		0.02
•	=)		m 4)	 4 50	0.04		0.04
गोड़ (मूल और पूरव ाजस्व	(יי	Total (Original plus Supplemental	· y)	1.50	21516.92		21518.42
		Revenue		1.00	13928.17		13929.17
ूं जी		Capital		0.50	7588.75		7589.25
		II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नी	लेखित मुख्य शीष	र्शें के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants wil	l be accounted				_
				भारित	स्वीकृत		जोड़
				Charged	Voted		Total
प्रजस्व भाग		REVENUE SECTION					
गु ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
852-उद्योग		2852-Industries			0.01	(क a)	0.01
401-परमाणु ऊर्ज	ि अनु संधान	3401-Atomic Energy Research			0.01	(खb)	0.01
गेड़ (राजस्व भाग)	1	Total (Revenue Section)			0.02		0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
नुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
- 1861-परमाण् ऊर्ज	र्ग उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Er	nergy Industrie	s	0.01	(गc)	0.01
•	र्1 अनु संधान पर पूंजी परिव्यय	5401-Capital Outlay on Atomic Er	nergy Research	h	0.01	(ঘd)	0.01
नोड़ (पूंजी भाग)	•	Total (Capital Section)			0.02		0.02
जोड़ (प्रक)		Total (Supplementary)			0.04		0.04
यह परक भनटाने	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplen	nentary Grants are require	d for:		
		ज्याज का भुगतान करने के लिए विकिरण	(a)	recoupment of advan		.57 crore	drawn fr
		जारी की गई भारत की आकस्मिक निधि	(-)	Contingency Fund of			
	में से आहरित ₹ 58.57 करोड़ की औ			Isotope Technology (BR			
	•			duty, penalty and interes			
3	निदान के इसी भाग में उपलब्ध	बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक		Taking into account the		able in the	same section
	एक अनुदान मांगा जाता है।	3 /		the Grant, a token suppl			
		ज्रोड़) और (ii) शिक्षा सोसायटी (एईईएस)	(b)	meeting expenditure to	•	•	aries for (i) aid
		अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(-)	institutes (₹ 50 crore)			. ,
,	,,	3		crore)	()		, , ,
3	निदान के इसी भाग में उपलब्ध	बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक		Taking into account the	savings availa	able in the	same section
	एक अनुदान मांगा जाता है।	.		the Grant, a token supplementary is sought.			
ग) रे	डियो-धर्मिता से सरक्षा हेत मख्य	कार्यों के लिए व्यय पूरा करने के लिए	(c)	meeting expenditure towards Major Works for Safety		r Safetv aga	
	₹ 45.89 करोड़)।	4		Radio-activity (₹ 45.89 c	-		
•	• • •	बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक		Taking into account the	-	able in the	same section
•	एक अनुदान मांगा जाता है।			the Grant, a token suppl	-		220 0000101
ч	, •	नु संधान और विकास के लिए मुख्य कार्यों	(d)	meeting expenditure to		-	r Research
			(~)	Soung Saponalulo II			
घ) <i>म</i>				Development in Basic S	cience and En	gineering	(₹ 110 83 cro
घ) म् हे	तु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 110.			Development in Basic S Taking into account the		-	•

मांग संख्या DEMAND NO 5

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ crore		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	2107.10	2107.10	
पूंजी	Capital	***	23.70	23.70	
जोड़	Total		2130.80	2130.80	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		30.00	30.00	
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		30.00	30.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2160.80	2160.80	
राजस्व	Revenue		2137.10	2137.10	
प्ंजी	Capital	***	23.70	23.70	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	ler the following Major He	ead:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		30.00	30.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1.राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (₹ 2 करोड़) और 2. "स्चना, शिक्षा और संचार (आईइसी) स्कीम के अन्तर्गत विज्ञापन और प्रचार "(₹ 30 करोड़)।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर इस पर नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

GIA General under the scheme 1. Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (₹ 2 crore) and 2. Advertisment and Publicity under the scheme "Information, Education and Communication (IEC)" (₹ 30 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 6

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores		
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		199.65	199.65
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		199.65	199.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		200.00	200.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		200.00	200.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		399.65	399.65
राजस्व	Revenue		399.65	399.65
प्ंजी	Capital	•••		
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिख	ग्रया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the f	ollowing Major Hea	ad:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries		200.00	200.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: असम गैस क्रेकर परियोजना के लिए पूंजीगत सब्सिडी की शेष राशि (₹ 200.00 करोड़) जारी करने के लिए।

उपरोक्त पर नकद व्यय होगा

The supplementary Grant is required for:

releasing the balance amount of Capital subsidy for Assam Gas Cracker Project (₹ 200 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 7

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (Ir	n ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	73485.35	73485.35
पूंजी	Capital		0.04	0.04
जोड़	Total		73485.39	73485.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:		
राजस्व	Revenue		2.00	2.00
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	2.00	2.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		73487.39	73487.39
राजस्व	Revenue	•••	73487.35	73487.35
प्ंजी	Capital	•••	0.04	0.04
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un	der the following Major H	lead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	•••	2.00	2.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्निलिखित के लिए भुगतान करने के लिए व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए (i) एमआरपी के औचित्य का मूल्यांकन करने में कार्यरत लागत लेखाकार और संचलन योजना के लिए यातायात साधनों के विकास के लिए राइट्स (₹ 2 करोड़)। उपरोक्त व्यय पर नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure under Professional Services to make payments to (i) Cost Accountants engaged to assess the reasonableness of MRPs and (ii) RITES for development of Transport Model for movement plan (₹ 2 Crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 9

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करॉड़) (In	₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	5881.86	5881.86
पूंजी	Capital		721.00	721.00
जोड़	Total		6602.86	6602.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
प्ंजी	Capital		980.00	980.00
जोड़	Total		980.00	980.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		7582.86	7582.86
राजस्व	Revenue		5881.86	5881.86
प्ंजी	Capital		1701.00	1701.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	er the following Major He	ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5053-नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation		980.00	980.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: कायाकल्प योजना के अंतर्गत एयर इंडिया में इक्विटी का निवेश (₹ 980 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, उपर्युक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

infusion of equity in Air India under Turn Around Plan (₹ 980 crore) .

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 11

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोंड़) (In) (In ₹	crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मू <i>ल</i> अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		4741.70		4741.70
पूंजी	Capital	***	510.00		510.00
जोड़	Total	***	5251.70		5251.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	***	500.01		500.01
पूंजी	Capital	•••			
जोड़	Total	•••	500.01		500.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	5751.71		5751.71
राजस्व	Revenue	•••	5241.71		5241.71
पूंजी	Capital	•••	510.00		510.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde	r the following Majo	r Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2407-पौधारोपण	2407-Plantations		0.01	(कa)	0.01
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion		500.00	(खb)	500.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	500.01		500.01

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 'वेतन सहायता अनुदान' हेतु चाय बोर्ड के अंतर्गत ₹ 4.70 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
 - (ii) 'वेतन सहायता अनुदान हेतु कॉफी बोर्ड के अंतर्गत ₹ 61.64 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - (iii) 'वेतन सहायता अनुदान' हेतु रबड़ बोर्ड के अंतर्गत ₹ 65 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - (iv) 'वेतन सहायता अनुदान हेतु मसाला बोर्ड के अंतर्गत ₹ 31.68 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।
- (ख) (i) शुल्क वापसी स्कीम/सीएसटी की लंबित देनदारियों का भुगतान करने के लिए 'राजसहायता' के अंतर्गत ₹ 683.39 करोड़ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - (ii) व्यापार करने की सरलता में सुधार लाने, भौतिक और डिजीटल संपर्क के सुदुढ़ीकरण, मूल्यवर्धन के लिए उन सेक्टरों को अभिज्ञात करना जिनकी क्षमता का दोहन नहीं किया गया है, रोजगार स्जन तथा प्रौदोगिकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन देने पर लिक्षित नई स्कीम चैम्पियन सेवाएं सेक्टर हेतु ₹ 100 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, शुल्क वापसी स्कीम के लिए ₹ 500 करोड़ के नकद व्यय और चैम्पियन सेवाएं सेक्टर के लिए ₹ 100 करोड़ के सांकेतिक पूरक अनुदान की आवश्यकता होगी। The supplementary Grants are required for:

- (i) Meeting additional requirement of ₹ 4.70 crore under Tea Board towards 'Grants-in-Aid Salary'.
 - (ii) Meeting additional requirement of ₹ 61.64 crore under Coffee Board towards 'Grants-in-Aid Salary'.
 - (iii) Meeting additional requirement of ₹ 65 crore under Rubber Board towards 'Grants-in-Aid Salarv'.
 - (iv) Meeting additional requirement of ₹ 31.68 crore under Spices Board towards 'Grants-in-Aid Salary'.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Meeting the additional requirement of ₹ 683.39 crore under 'Subsidies' towards payment of Liabilities of Duty Drawback Scheme/CST.
 - (ii) Meeting the additional requirement of ₹ 100 crore towards New Scheme Champion Services Sector aimed at giving an impetus for improving ease of doing business, for strengthening physical and digital connectivity, identifying sectors with untapped potential for value addition, employment generation and technology upgradation.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 500 crore for Duty Drawback Scheme and a token supplementary of ₹ 100 crore for Champion Services Sector.

मांग संख्या DEMAND NO 12

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		5430.56		5430.56
प्रंजी	Capital		709.67		709.67
जोड़	Total		6140.23		6140.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.03		0.03
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	···	0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6140.26		6140.26
राजस्व	Revenue		5430.59		5430.59
प्ंजी	Capital		709.67		709.67
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under				
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(खb)	0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03

(a)

(b)

(c)

यह पूरक अनुदाव	न निम्नालाखत हतु अपाक्षत ह:
(क)	प्रयोजन शीर्ष "राजसहायता" के अंतर्गत परिवहन सब्सिडी स्कीम/भाड़ा सब्सिडी स्कीम के तहत ₹ 151.17 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
(ख)	स्वायत संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता में "सामान्य सहायता अनुदान" के अंतर्गत ₹ 20.60 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
(ग)	प्रयोजन शीर्ष "राजसहायता" के अंतर्गत परिवहन सब्सिडी स्कीम/भाड़ा सब्सिडी स्कीम के तहत ₹ 85.30 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

112 mar 2011 A Description 4

The supplementary Grants are required for:

Meeting additional requirement of ₹ 151.17 crore under Transport Subsidy Scheme/Freight Subsidy Scheme under the object head "Subsidies".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional requirement of ₹ 20.60 crore under "Grants-inaid General" in Project Based Support to Autonomous Institutions.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional requirement of ₹ 85.30 crore under Transport Subsidy Scheme/Freight Subsidy Scheme under the object head "Subsidies".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़)		n ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.80	28514.24	28515.04
पूंजी	Capital		757.52	757.52
जोड़	Total	0.80	29271.76	29272.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		600.00	600.00
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		600.00	600.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.80	29871.76	29872.56
राजस्व	Revenue	0.80	29114.24	29115.04
पूंजी	Capital	•••	757.52	757.52
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un	der the following Major F	Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services		600.00	600.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथानु मोदित श्री कमलेश चन्द्र समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ग्रामीण डाक सेवकों को संशोधित समय संबंधित निरंतर भते (टीआरसीए) के बकाये के भुगतान हेतु ₹ 600 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

इस पर नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

(i) meeting additional expenditure of ₹ 600 crore towards payment of arrears of revised Time Related Continuity Allowance (TRCA) to Gramin Dak Sewaks on implementation of recommendations of Shri Kamlesh Chandra Committee, as approved by the Union Cabinet.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 14

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (Ir	า ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		33052.53	33052.53
पूंजी	Capital		5002.75	5002.75
जोड़	Total		38055.28	38055.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	78.82		78.82
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	78.82		78.82
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	78.82	38055.28	38134.10
राजस्व	Revenue	78.82	33052.53	33131.35
प्ंजी	Capital	•••	5002.75	5002.75
	II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाये	भगा:	
	II. This Supplementary Grant/Appropriation will be acc	counted for under the following	lowing Major Hea	d:
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	78.82		78.82

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मैसर्स नीदरलैण्ड इण्डिया कम्यूनिकेशन्स इन्ट्रप्राइजेज लि. द्वारा दायर की गई प्रवर्तन याचिका के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए ₹ 78.82 करोड़ रुपए का भुगतान। इन प्रयोजनार्थ, भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम के रुप में ₹ 25.97 करोड़ की जो राशि मंजूर की गई थी इस पूरक मांग के अनुमोदन के पश्चात इस राशि से निधि की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

इस पर कोई नकद ट्यय भी नहीं होगा क्योंकि अतिरिक्त ट्यय की पूर्ति अनुदान के स्वीकृत भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचत से हो जाएगी। The supplementary Grant/Appropriation is required for:

payment of ₹ 78.82 crore in satisfaction of an award given by High Court Delhi against enforcement petition filed by M/s Netherland India Communication Enterprises Limited related to Radio Paging Services in Bhopal Nagpur and Jammu & Kashmir circles. Amount of ₹ 25.97 crore, sanctioned as an advance from Contingency Fund of India for this purpose, will be recouped to the fund after approval of this supplementary.

This will also not entail cash outgo as the additional expenditure will be matched by savings available under voted section of the Grant.

मांग संख्या DEMAND NO 15

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In	₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1755.93	1755.93
पूंजी	Capital		48.59	48.59
जोड़	Total		1804.52	1804.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1804.53	1804.53
राजस्व	Revenue		1755.94	1755.94
प्ंजी	Capital		48.59	48.59
	॥. इस प्रक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत '	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	e following Major He	ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के तहत नए शीर्ष खोलना (₹ 2.95 करोड़) अन्य प्रभार (₹ 3.30 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

opening of new heads and making provision under Grants-in-aid General (₹ 2.95 crore), Other Charges (₹ 3.30 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under the scheme of Integrated Consumer Grievance Redressal System.

मांग संख्या DEMAND NO 16

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		173735.00	173735.00
पूंजी	Capital		50424.10	50424.10
जोड़	Total		224159.10	224159.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		463.31	463.31
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		463.31	463.31
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		224622.41	224622.41
राजस्व	Revenue		174198.31	174198.31
पूंजी	Capital		50424.10	50424.10
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	ler the following Major	Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing		463.31	463.31

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन योजना के तहत राज्य सरकार को अनुदान सहायता-अनुदान के रूप में 🛭 2.00 करोड़ के अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए
- (ii) चीनी मिलों को सहायता स्कीम के अन्तर्गत सब्सिडी प्रदान करने के लिए (₹ 500 करोड़) ।
- (iii) चीनी के बड़ा स्टाक तैयार करने व रख-रखाव स्कीम के अन्तर्गत सब्सिडी प्रदान के लिए (₹ 500 करोड़)।
- (iv) सरकारी ऋण माफ करने के परिणामस्वरूप पेन्ट ब्याज व आयकर देयता के भुगतान के लिए हिन्दुस्तान वनस्पित तेल निगम को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए हिन्दुस्तान वनस्पित तेल निगम के ऋण और ब्याज माफ करने के लिए (₹ 143.57 करोड़)।
- (v) हिन्द्स्तान वनस्पति तेल निगम संबंधी ऋण और ब्याज माफी (₹ 463.31 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए और (₹ 463.31 करोड़) के बराबर राशि की प्राप्ति से उपर्युक्त में कोई नकद व्यय नहीं

- providing Grants-in-aid-General to State Government of Maharashtra under Integrated Management of Public Distribution System Scheme (₹ 2 crore).
- (ii) providing subsidy under the scheme for Assistance to Sugar Mills (₹ 500 crore).
- (iii) providing subsidy under the scheme for Creation & Maintenance of Buffer Stock of Sugar (₹ 500 crore).
- (iv) providing Grants-in-aid General to Hindustan Vegetable Oil Corporation towards payment of penal interest and Income Tax liability as a result of waiver of Govt. of India loan (₹ 143.57 crore).
- (v) waiver of loan and interest in respect of Hindustan Vegetable Oil Corporation (₹ 463.31 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant and matched by equivalent amount of receipts of ₹ 463.31 crore, the above expenditure will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करॉड़) (In ₹ crore.		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		567.65	567.65
पूंजी	Capital		26.50	26.50
जोड़	Total	•••	594.15	594.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		594.16	594.16
राजस्व	Revenue		567.66	567.66
पूंजी	Capital	•••	26.50	26.50
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दि	रेखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	following Major He	ad:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारत शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन बोर्ड हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹10.07करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid-Salaries for Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI) (₹10.07 crore)

मांग संख्या DEMAND NO 18

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

` .	•	,	(₹ करॉड़ ,) (In ₹ c	crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	2764.28		2764.28
पूंजी	Capital		79.04		79.04
जोड़	Total	•••	2843.32		2843.32
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital	***	150.00		150.00
जोड़	Total	•••	150.02		150.02
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	***	2993.34		2993.34
राजस्व	Revenue	•••	2764.30		2764.30
पूंजी	Capital		229.04		229.04
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde	r the following Ma	jor Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture		0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.02		0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and		150.00	(गc)	150.00
परिव्यय	Culture				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		150.02		150.02
•					

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

क्त) (i) 1

(i) 1. संग्रहालयों को सहायता ₹ 1.70 करोड़ (सामान्य घटक के अंतर्गत ₹ 1.40 करोड़ और टीएसपी घटक के लिए ₹ 0.30 करोड़), 2. अकादिमयों को सहायता (₹ 36.14 करोड), 3. बौद्ध-तिब्बती संस्थानों और स्मारकों को सहायता (₹ 6.01 करोड़) (बुद्ध जयंती समारोह-सामान्य घटक के लिए ₹ 4.69 करोड़, टीएसपी घटक के लिए ₹ 0.30 करोड़, स्वच्छता कार्रवाई योजना के लिए ₹ 0.42 करोड़, अनुदान-ग्राही निकायों के लिए ₹ 0.60 करोड़), 4. प्स्तकालयों को सहायता (₹ 19.00 करोड़) और 5. शताब्दी एवं वर्षगांठ समारोह (₹ 150 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। (ii) 1. अकादिमयों को सहायता (₹ 3 करोड़), 2. बुद्ध जयंती समारोह के लिए बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारकों को सहायता (₹ 8.05 करोड़), 3. संग्रहालयों को सहायता-अर्धक्ंभ मेले के लिए (₹ 9.60 करोड़), 4. सीआईएचटीएस में सोवा रिग्पा भवन के निर्माण के लिए बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारकों को सहायता (₹ 21.22 करोड़), 5. संग्रहालयों को सहायता-राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के निर्माण के लिए (₹ 45.86 करोड़) और 6. शताब्दी एवं वर्षगांठ समारोह (₹ 150 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान। (iii) 1. बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारकों को सहायता (₹ 1.50 करोड़), 2. सेवा भोज योजना (₹ 150 करोड़) (कला संस्कृति योजना-अम्ब्रेला) {(घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.10 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.20 करोड), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.20 करोड), अन्य प्रभार (₹ 149.50 करोड़)}, 3. भारत के प्रधानमंत्रियों पर संग्रहालय (संग्रहालयों का विकास-अम्ब्रेला) (₹ 45.25 करोड़) {कार्यालय व्यय (₹ 35 करोड़), विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 1.25 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 4 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹ 5 करोड़)} स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान।

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-aid General under the schemes - 1. Support to Museums ₹ 1.70 crore (₹ 1.40 crore under General component and ₹ 0.30 crore for TSP component), 2. Support to Akademies (₹ 36.14 crore), 3. Support to Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 6.01 crore) (₹ 4.69 crore for Buddha Jayanti Celebrations - General Component, ₹ 0.30 crore for TSP component, ₹ 0.42 crore for Swachhta Action Plan, ₹ 0.60 crore for Grantee Bodies). 4. Support to Libraries (₹ 19.00 crore) and 5. Centenary & Anniversary Celebration (₹ 150 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 1. Support to Akademies (₹ 3 crore), 2. Support to Buddhist Tibetan Institutions and Memorials for Buddha Jayanti Celebrations (₹ 8.05 crore), 3. Support to Museums - for Ardh Kumbh Mela (₹ 9.60 crore), 4. Support to Buddhist Tibetan Institutions and Memorials for Construction of Sowa Rigpa Bhawan at Central Institute for Higher Tibettan Studies (CIHTS) (₹ 21.22 crore), 5. Support to Museums - for Construction of National Museum institute (₹ 45.86 crore) and 6. Centenary & Anniversary Celebration (₹ 150 crore). (iii) Grants-in-Aid Salary under the scheme 1. Support to Buddhist Tibetan Institutions and Memorial (₹ 1.50 crore), 2. Sewa Bhoj Yojana (Kala Sanskriti Yojana-Umbrella) (₹ 150 crore) {(Domestic Travel Expenses (₹ 0.10 crore), Other Administrative Expenditure (₹ 0.20 crore), Professional Services (₹ 0.20 crore), Other Charges (₹ 149.50 crore)}, 3. Museum on Prime Ministers of India (Development of Museums-Umbrella) (₹ 45.25 crore) {Office Expenses (₹ 35 crore), Advertisment & Publicity (₹ 1.25 crore), Professional Services (₹ 4 crore) and Office Expenses (₹ 5 crore)}.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।

- (ख) बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारकों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.77 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।
- (ग)
 1. कला संस्कृति विकास योजना (₹ 20 करोड़), 2. राष्ट्रीय पुस्तकालय (₹ (0 4.28 करोड़), 3. राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (₹ 11.30 करोड़) और 4. संग्रहालयों के विकास के तहत भारत के प्रधानमंत्रियों पर संग्रहालय (₹ 150 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत मुख्य कार्य।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 150 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General under the scheme Support to Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 0.77 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Major Works under the scheme 1. Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 20 crore), 2. National Library (₹ 4.28 crore), 3. National Gallery of Modern Arts (₹ 11.30 crore) and 4. Museum on Prime Ministers of India (₹ 150 crore) under Development of Museums

Taking into account the surrender of savings of ₹ 150 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा मंत्रालय (विविध)

MINISTRY OF DEFENCE (MISC.)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करॉड़) (In ₹ crores,		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.76	28457.28	28458.04	
पूंजी	Capital	35.00	6616.73	6651.73	
जोड़	Total	<i>35.76</i>	35074.01	35109.77	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		1057.84	1057.84	
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		1057.84	1057.84	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>35.76</i>	36131.85	36167.61	
राजस्व	Revenue	0.76	29515.12	29515.88	
प्ंजी	Capital	35.00	6616.73	6651.73	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत f	देखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under th	e following Major H	Head:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services		1057.84	1057.84	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों के वेतन और भर्तों के लिए ₹ 1,157.84 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 100 करोड़ की बचत के मद्देनजर ₹ 1,057.84 करोड़ की शेष राशि के लिए तकनीकी पूरक मांगा जाता है।

चूंकि इस अनुदान के पूंजी भाग के अन्तर्गत हु ई बचत से इस व्यय की पूर्ति हो जाएगी, इसलिए इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of \mathfrak{F} 1,157.84 crore towards salary and allowances in respect of employees of Border Roads Organisation. After taking into account the saving of \mathfrak{F} 100 crore available within the same section of the Grant, a technical supplementary for the balance amount of \mathfrak{F} 1,057.84 crore is sought.

As this will be matched by equivalent savings under Capital section of the grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores		
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2326.00	2326.00	
पूंजी	Capital		734.00	734.00	
जोड़	Total		3060.00	3060.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		110.00	110.00	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		110.00	110.00	
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		3170.00	3170.00	
राजस्व	Revenue		2436.00	2436.00	
प्ंजी	Capital		734.00	734.00	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	er the following Major H	ead:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		110.00	110.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(I) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में एनईआरसीओआरएम एस परियोजना का संवर्धन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 48 करोड़) और विजापन एवं प्रचार, प्रकाशन एवं सूचना तथा जनसंपर्क (₹ 15 करोड़) (ii) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में एनईआरसीओआरएस परियोजना का संवर्धन के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 12 करोड़) और उत्तर-पूर्व परिषद की स्कीमें (₹ 50 करोड़); और (iii) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 5 करोड़),उत्तर-पूर्व परिषद स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने के लिए।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 110 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 20 करोड़ की बचत का उपयोग करने के पश्चात, उपर्युक्त में किसी नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी। The supplementary Grant is required for:

Providing (i) 'Grants-in-Aid General' for 'Augmentation of NERCORM Project in North Eastern Region' (₹ 48 crore) and 'Advertisement and Publicity, Publications and Information and Public Relations' (₹ 15 crore); (ii) 'Grants for Creation of Capital Assets for 'Augmentation of NERCORM Project in North Eastern Region' (₹ 12 crore) and 'Schemes of North Eastern Council' (₹ 50 crore); and (iii) additional fund under the heads' Other Administrative Expenses' (₹ 5.00 crore), under the scheme 'North Eastern Council'.

Taking into account the surrender of savings of ₹ 110 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 20 crore available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 24

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		22356.60	22356.60	
पूंजी	Capital	***	***	***	
जोड़	Total		22356.60	22356.60	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	•••	0.01	0.01	
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		22356.61	22356.61	
राजस्व	Revenue	•••	22356.61	22356.61	
प्ंजी	Capital	•••			
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	under the following Major H	łead:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 95 करोड़) I

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Providing additional fund for Advertising and Publicity under the scheme 'National Rural Drinking Water Programme' (₹ 95 crore);

मांग संख्या DEMAND NO 25

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores,		
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		1704.28	1704.28	
प्ंजी	Capital		100.00	100.00	
जोड़	Total		1804.28	1804.28	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue				
प्ंजी	Capital		0.01	0.01	
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1804.29	1804.29	
राजस्व	Revenue		1704.28	1704.28	
पूंजी	Capital	•••	100.01	100.01	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the following Major H	ead:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5455-मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय	5455-Capital Outlay on Meteorology		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नोएडा (उ.प्र.) में राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केन्द्र भवन के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए "भूकंप-विज्ञान तथा भू-विज्ञान (एसएजीई)" स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान (₹ 2.50 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

providing additional Grant (\mathfrak{T} 2.50 crore) under the Scheme "Seismological and Geoscience (SAGE)" for acquisition of land for construction of NCS building at Noida (UP).

मांग संख्या DEMAND NO 26

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़	.) (In ₹	crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		5675.00		5675.00
पूंजी	Capital		325.00		325.00
जोड़	Total		6000.00		6000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		200.01		200.01
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		200.01		200.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6200.01		6200.01
राजस्व	Revenue		5875.01		5875.01
पूंजी	Capital		325.00		325.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for ur	nder the following Major	r Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries		200.00	(खb)	200.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		200.01		200.01

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 'अन्य प्रभार' हेतु व्यय
पूरा करने के लिए (₹ 40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) सामान्य घटक (₹ 401.78 करोइ) (ii) अनुस्चित जाति घटक (₹ 21 करोइ) और (iii) अनुस्चित जनजाति घटक (₹ 33 करोइ) के लिए डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 'अन्य प्रभार' और 2. 'इलेक्ट्रानिक्स और स्चना प्रौथोगिकी एचडब्ल्यू विनिर्माण का संवर्धन' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50 करोइ) के व्यय को पूरा करने के लिए।

मांग सं. 29-आर्थिक कार्य विभाग में उपलब्ध ₹ 200 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के पश्चात्, उपर्युक्त के लिए किसी अतिरिक्त नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी। The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards 'Other Charges' for Promotion of Digital Payments for North Eastern Region (NER) (₹ 40 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards 1. 'Other Charges' for Promotion of Digital Payments for (i) General Component (₹ 401.78 crore)
 (ii) Scheduled Caste Component (₹ 21 crore) and (iii) Scheduled Tribe Component (₹ 33 crore) 2. Grants in aid General under 'Promotion of Electronics and IT HW manufacturing' (₹ 50 crore)

Taking into account the surrender of savings of ₹ 200 crore available in the Demand No. 29-Department of Economic Affairs, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 27

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ व	न्रॉड़) (In र	₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2594.67		2594.67
पूंजी	Capital		88.75		88.75
जोड़	Total		2683.42		2683.42
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now requir	red:			
पूरक अनुमान:					
राजस्व	Revenue	***	50.01		50.01
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		50.01		50.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	···	2733.43		2733.43
राजस्व	Revenue		2644.68		2644.68
पूंजी	Capital	•••	88.75		88.75
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों व	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for		ad		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life		50.00	(कa)	50.00
3435-पारिस्थितीकी और	3435-Ecology and Environment		0.01	(खb)	0.01
पर्यावरण	•			, ,	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	***	50.01		50.01
		ानों में नीचे दर्शार्ड गयी वसलियों को	शामिल नहीं किया ग	ाया है जिन्हें व	त्र्यय में से
	घटाकर समायोजित किया जाता है !	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			•
	Note: The above estimates of additional requirement	ents do not take into account the	e recoveries show	vn below. w	hich are
	adjusted in reduction of expenditure.			, ••	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				

राजस्व माग

(ख)

REVENUE SECTION

2406-वानिकी और वन्य जीवन 2406-Forestry and Wild Life

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
(क) राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि से वित्तपोषित की जाने वाली नई स्कीम
'राष्ट्रीय प्राधिकरण' के लिए एक बजट लाइन खोलने के लिए वेतन, डीटीई,

सामान्य सहायता अनुदान आदि के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 50 करोड)।

चूंकि स्कीम राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि से वितपोषित होती है, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(I) एकीकृत प्रबंधन आर्द्रभूमि जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं नामक नई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु नया बजट शीर्ष सामान्य सहायता अनुदान खोलना (ह 0.50 करोड़)।

(II) सालिम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केन्द्र (एसएसीओएन) को वेतन सहायता के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों हेतु नया बजट शीर्ष वेतन सहायता अनुदान खोलना (₹ 5.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards Salary, DTE, Grants in aid General etc. for opening a budget line for new scheme 'National Authority' to be financed from National Compensatory Afforestation Fund (₹ 50 crore).

(-)50.00

As the scheme is funded from National Compensatory Afforestation Fund, this will not entail any cash out go.

(-)50.00

- (I) Opening a new budget head Grants-in-aid General (₹ 0.50 crore) to Conservation of Aquatic Ecosystems (EAP) for a new Externally Aided Project namely Integrated Management Wetland Biodiversity and Ecosystem Services.
 - II) Opening a new budget head Grants-in-aid Salaries (₹ 5.50 crore) to Centres of Excellence for salaries support to Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History (SACON).

मांग संख्या DEMAND NO 28

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores)		crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.03	13374.47		13374.50
पूंजी	Capital		1636.50		1636.50
जोड़	Total	0.03	15010.97		15011.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		250.00		250.00
प्ंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		250.01		250.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	15260.98		15261.01
राजस्व	Revenue	0.03	13624.47		13624.50
प्ंजी	Capital	***	1636.51		1636.51
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 🖯	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the	ne following Majo	or Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और	3605-Technical and Economic Co-operation with Other	***	250.00	(कa)	250.00
आर्थिक सहयोग	Countries				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 7605-विदेशी सरकारों को अग्रिम	7605-Advances to Foreign Governments		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	···	250.01		250.01

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अफगानिस्तान को सहायता (₹ 75 करोड़) (ii) मॉरिशस को सहायता -(₹ 175 करोड़) (iii) भूटान को सहायता-मंगढेचू एचईपी के लिए वृद्धि की मांग है (₹ 87 करोड़)।
 - अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 250 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु एऔर अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के पश्चात, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) भूटान को सहायता भूटान एचईपी के लिए स्वचालित पारेषण प्रणाली के लिए अन्य परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिम हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 71 करोइ)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।

- (a) meeting expenditure towards (i) Aid to Afghanistan (₹ 75 crore) (ii) Aid to Mauritius- (₹ 175 crore) (iii) Aid to Bhutan- Enhancement is sought for Manghdhechu Hydro Electric Project (HEP) (₹ 87 crore).
 - Taking into account the surrender of savings of ₹ 250 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - meeting expenditure towards Aid to Bhutan- Loans & Advances for other projects for Automated Transmission system for Bhutan Hydro Electric Projects (HEPs) (₹ 71 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 29

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(ede page e i ei alle Belliande lei	Grants of German Government for the year 2010	20.0)	/ ≇ =-1 7=	r) //n #	crores)
		भारित	(र <i>फराड़</i> स्वीकृत) (111 €	<i>टा छा छऽ।</i> जॊड
		मारत Charged	Voted		जाड़ Total
। मन थनरानः	I. ORIGINAL GRANT:	Criargeu	Voled		Iotai
<i>l. मूल अनुदान:</i> राजस्व	Revenue		4871.23		4871.23
पूंजी	Capital	•••	13458.23		13458.23
्रा जोड	Total	•••	18329.46		18329.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		10329.40		10329.40
राजस्व	Revenue		0.03		0.03
पूंजी	Capital	•••	0.03		0.03
जोड़	Total		0.05		0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		18329.51		18329.51
राजस्व	Revenue		4871.26		4871.26
पूं जी	Capital		13458.25		13458.25
χ _{σ11}	•		10430.23		10400.20
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नतिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत II. This Supplementary Grants will be accounted for under t				
	ii. This Supplementary Grants will be accounted for under t	ne iollowing iviajo <i>भारित</i>	ा ⊓ead स्वीकृत		जॊड
		Charged	Voted		Total
		Charged	Volod		Total
गानम्त भाग	PEVENI IE SECTION				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		0.01	(æa)	0.01
मुख्य शीर्ष 2416-कृषि वितीय संस्थान	MAJOR HEAD 2416-Agricultural Financial Institutions		0.01	(कa)	0.01
मुख्य शीर्ष 2416-कृषि वितीय संस्थान 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	MAJOR HEAD 2416-Agricultural Financial Institutions 3475-Other General Economic Services		0.01	(खb)	0.01
मुख्य शीर्ष 2416-कृषि वितीय संस्थान 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और	MAJOR HEAD 2416-Agricultural Financial Institutions 3475-Other General Economic Services 3605-Technical and Economic Co-operation with Other			` '	
मुख्य शीर्ष 2416-कृषि वितीय संस्थान 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	MAJOR HEAD 2416-Agricultural Financial Institutions 3475-Other General Economic Services 3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	 	0.01 0.01	(खb)	0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 2416-कृषि वितीय संस्थान 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग जोड़ (राजस्व भाग)	MAJOR HEAD 2416-Agricultural Financial Institutions 3475-Other General Economic Services 3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries Total (Revenue Section)		0.01	(खb)	0.01
मुख्य शीर्ष 2416-कृषि वितीय संस्थान 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग	MAJOR HEAD 2416-Agricultural Financial Institutions 3475-Other General Economic Services 3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION	 	0.01 0.01	(खb)	0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 2416-कृषि वितीय संस्थान 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD 2416-Agricultural Financial Institutions 3475-Other General Economic Services 3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	 	0.01 0.01 0.03	(खb) (गc)	0.01 0.01 0.03
मुख्य शीर्ष 2416-कृषि वितीय संस्थान 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 5466-अंतर्राष्ट्रीय वितीय संस्थानों में निवेश	MAJOR HEAD 2416-Agricultural Financial Institutions 3475-Other General Economic Services 3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 5466-Investments in International Financial Institutions	 	0.01 0.01 0.03	(평b) (गc) (ঘd)	0.01 0.01 0.03
मुख्य शीर्ष 2416-कृषि वितीय संस्थान 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 5466-अंतर्राष्ट्रीय वितीय संस्थानों में निवेश	MAJOR HEAD 2416-Agricultural Financial Institutions 3475-Other General Economic Services 3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 5466-Investments in International Financial Institutions 7466-Loans to International Financial Institutions	 	0.01 0.03 0.03	(खb) (गc)	0.01 0.01 0.03 0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 2416-कृषि वितीय संस्थान 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 5466-अंतर्राष्ट्रीय वितीय संस्थानों में निवेश	MAJOR HEAD 2416-Agricultural Financial Institutions 3475-Other General Economic Services 3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 5466-Investments in International Financial Institutions	 	0.01 0.01 0.03	(평b) (गc) (ঘd)	0.01 0.01 0.03

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान (₹ 94.63 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।
- (ख) तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि को अंशदान (₹ 9.90 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।
- (ग) भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग के अंतर्गत जीआईजेड द्वारा अदा किए गए करों की प्रतिपूर्ति (₹ 10 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक
- अनुदान मांगा जाता है।
 (घ) यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी) में भारत की सदस्यता के अभिदान के लिए भारत की आकस्मिक निधि में प्रतिपूर्ति (₹ 14.32 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।
- (इ) अफ्रीका विकास बैंक (एएफडीबी) को ब्रिज ऋण की अंतिम किस्त (₹ 34 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।

- (a) contribution to International Fund for Agricultural Development(IFAD) (₹ 94.63 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Contribution to Commonwealth Fund for Technical Cooperation (₹ 9.90 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- c) reimbursement of taxes paid by GIZ under the Indo-German Bilateral Development Co-operation (₹ 10 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- recoupment of contingency Fund of India for subscription of India's membership to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (₹ 14.32 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) final instalment of Bridge Loan to African Development Bank (AfDB) (₹ 34 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 31

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ cror		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1739.05	1739.05
पूंजी	Capital		69838.01	69838.01
जोड़	Total		71577.06	71577.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		20.00	20.00
जोड़	Total		20.00	20.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		71597.06	71597.06
राजस्व	Revenue		1739.05	1739.05
प्ंजी	Capital		69858.01	69858.01
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत र्1	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under th	e following Major	Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions		20.00	20.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नाबार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के हिंतलाभ की अधिग्रहण लागत के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (र 20 करोड़ा।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए₹ 20 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

additional requirement for acquisition cost of Reserve Bank of India's stake in NABARD (₹ 20 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the technical supplementary of $\overline{\epsilon}$ 20 crore is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 32

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

DEPARTMENT OF INVESTMENT AND PUBLIC ASSET MANAGEMENT (DIPAM)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोंड़) (In ₹ cr		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल</i> अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		44.00	44.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		44.00	44.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		27.15	27.15
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		27.15	27.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		71.15	71.15
राजस्व	Revenue		71.15	71.15
पूंजी	Capital		•••	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाय	। जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the follo		ad:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		27.15	27.15

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्थापना संबंधी व्यय (i) विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 19.56 करोड़) (ii) लघु कार्य (₹ 2.5 करोड़) और (iii) व्यावसायिक सेवाएं (₹ 7.59 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 2.5 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 27.15 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

establishment related expenditure (i) Advertisement and Publicity (\mathfrak{T} 19.56 crore), (ii) Minor works (\mathfrak{T} 2.5 crore) and (iii) Professional Services (\mathfrak{T} 7.59 crore).

Taking into account the savings of ₹ 2.5 crore available within the same section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 27.15 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 34

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ cro		crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		6728.00		6728.00
पूंजी	Capital		254.00		254.00
जोड़	Total	•••	6982.00		6982.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital		0.02		0.02
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6982.02		6982.02
राजस्व	Revenue	•••	6728.00		6728.00
पूंजी	Capital		254.02		254.02
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und	ler the following Majo	r Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(क a)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूंजीभाग)	Total (Capital Section)	···	0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) एर्नाकुलम , केरल में कार्यालय परिसर का निर्माण (₹ 12 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) अन्ना नगर चेन्नै में क्वार्टरों का निर्माण (₹ 30.00 करोड़), गया, बिहार, (₹ 0.20 करोड़), महादेवली टोंक, जयपुर (₹ 1.02 करोड़) और इनकम टैक्स कॉलोनी, सीबीडी, बेलापुर, नवी मंबई में पम्प रूम एवं नई वाटर सप्लाई लाइन आदि का निर्माण (₹ 0.40 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (a) Construction of office complex at Ernakulam, Kerala (₹ 12 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Construction of quarters at Anna Nagar, Chennai (₹ 30 crore), Gaya, Bihar (₹ 0.20 crore), Mahadevali Tonk, Jaipur (₹ 1.02 crore) and construction of Pump Room & new water supply line etc. at Income Tax Colony, CBD Belapur, Navi Mumbai (₹ 0.40 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 35

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ croi				
		भारित	स्वीकृत	जॏड़		
		Charged	Voted	Total		
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	0.50	7418.00	7418.50		
प्ंजी	Capital		407.00	407.00		
जोड़	Total	0.50	7825.00	7825.50		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.01	0.01		
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	•••	0.01	0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	7825.01	7825.51		
राजस्व	Revenue	0.50	7418.01	7418.51		
प्ंजी	Capital		407.00	407.00		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2042-केंद्रीय वस्तुह और सेवा कर एवं एकीकृत	2042-Collection Charges under Central Goods and		0.01	0.01		
वस्तुप और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	Services Tax and Integrated Goods and Services Tax					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मांगा जाता है।

 (i) केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) के अन्तर्गत संग्रहण प्रभारों की गणन प्रक्रिया में संशोधन (₹ 3500 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान The supplementary Grant is required for:

 (i) Amendment in accounting procedure of collection charges under Central Goods and Services Tax (CGST) and Integrated Goods and Services Tax (IGST) (₹ 3500 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 36

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In	₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	जॏड़		
		Charged	Voted	Total		
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	160.53	4453.59	4614.12		
पूंजी	Capital		16.00	16.00		
जोड़	Total	160.53	4469.59	4630.12		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		14.00	14.00		
प्ंजी	Capital					
जोड़	Total		14.00	14.00		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	160.53	4483.59	4644.12		
राजस्व	Revenue	160.53	4467.59	4628.12		
प्ंजी	Capital		16.00	16.00		
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	er the following Major H	ead:			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit		14.00	14.00		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आन्ध्र प्रदेश में विद्यमान कार्यालयों के पुनर्विन्यास तथा अमरावती में दो कार्यालयों को बनाने के कारण कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए 14.05 एकड़ भूमि के आबंटन के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को पट्टा प्रभारों का भुगतान करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (र 14 करोड़)।

उपरोक्त खर्च में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards payment of lease charges to Andhra Pradesh Government for allocation of 14.05 acres of land for construction of office building and residential colony on account of re-organisation of existing offices in Andhra Pradesh as well as creation of two offices at Amravati (₹ 14 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 41

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़		crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	1400.00		1400.00
प्रंजी	Capital				
जोड़	Total		1400.00		1400.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	***	0.02		0.02
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	1400.02		1400.02
राजस्व	Revenue		1400.02		1400.02
पूंजी	Capital				
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अ	तर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un	nder the following Major	Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing		0.01	(क a)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	···	0.02		0.02

यह प्रक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) स्कीम "आपरेशन ग्रीन्स" के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (सामान्य घटक) (₹ 163.50 करोड़ रुपए), सामान्य सहायता अनुदा (अनुस्चित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) (₹ 8 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (जनजातीय उप योजना) (₹ 8 करोड़) एवं व्यवसायिक सेवाओं (₹ 0.50 करोड़) के लिए उपलब्ध कराना ।
- पूँजीगत आस्तियों के स्जन हेतु अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय खाय प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान को भूमि लागत का भुगतान करने के लिए (₹ 44.01 करोइ) जारी करना ।
- (iii) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज स्जन स्कीम के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं के अंतर्गत (₹ 0.19 करोड़) अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना ।
- (iv) मानव संसाधन एवं संस्थान स्कीम के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं के अंतर्गत (₹ 0.80 करोड़) उपलब्ध कराना । अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) स्कीम "आपरेशन ग्रीन्स" के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20 करोड़) उपलब्ध कराना । अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है ।

- a) (i) release of Grants-in-aid-General (General component-₹ 163.50 crore, Scheduled Caste Sub Plan - ₹ 8 crore and Tribal Sub Plan - ₹ 8 crore) and Professional Services (₹ 0.50 crore) under the scheme Operation Greens.
 - release of Grants for creation of Capital Assets for payment of cost of land to National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (₹ 44.01 crore).
 - (iii) providing additional funds for Professional Services under the scheme for Creation of Backward and Forward Linkages (₹ 0.19 crore).
 - (iv) providing additional funds for Professional Services under the scheme of Human Resources and Institutions (₹ 0.80 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - release of $\,$ Grants-in-aid-General under the scheme Operation Greens (₹ 20 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 42

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

	•	•	(₹ करोड़	r) (In ₹	crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		74349.45		74349.45
पूंजी	Capital		2720.40		2720.40
जोड़	Total		77069.85		77069.85
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.04		0.04
पूंजी	Capital		0.02		0.02
जोड़	Total		0.06		0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		77069.91		77069.91
राजस्व	Revenue		74349.49		74349.49
प्ंजी	Capital		2720.42		2720.42
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गित दिखाया जायेग	T:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und	der the following I	Major Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	(कa)	0.01
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare		0.01	(खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment		0.01	(ਬd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.04		0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	***	0.01	(ਤe)	0.01
**** * *					
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		0.01	(चf)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय जोड़ (पूंजी भाग)	4216-Capital Outlay on Housing Total (Capital Section)		0.01 0.02	(चf)	0.01 0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

The supplementary Grants are required for:

- (क) (i) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. आयुषमान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (₹ 2793.60 करोड़) और 2. भारतीय खाय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (₹ 5 करोड़)। (ii) भारतीय खाय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 335 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान
 - जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.58 करोड)।
 - . अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग)

 (i) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. आयुषमान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन/आरएसबीवाई (₹ 358.40 करोड़) 2. आरसीएच फ्लेंक्सीबल पूल दिनचर्या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पीपीआई कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नियंत्रण कार्यक्रम सिहत (₹ 27.58 करोड़-₹ 18.48 करोड़, सामान्य के लिए ₹ 1.65 करोड़, एससीएसपी के लिए और ₹ 7.45 करोड़, टीएसपी के लिए) 3. आरसीएच फ्लेंक्सीबल पूल दिनचर्या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पीपीआई कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नियंत्रण कार्यक्रम सिहत-ईएसी (₹ 25 करोड़-₹ 16.75 करोड़, सामान्य के लिए ₹ 1.50 करोड़, एससीएसपी के लिए और ₹ 6.75 करोड़, टीएसपी के लिए) 4. स्वास्थ्य पद्धति सुदृढ़ीकरण के तहत एनआरएचएन के अंतर्गत कार्यक्रलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य पद्धति

- (i) Grants-in-aid General under the schemes 1. Ayushman Bharat
 National Health Protection Mission- (₹ 2793.60 crore) and 2.
 Food Safety & Standards Authority of India (₹ 5 crore). (ii) Grant for Creation of Capital Assets under the scheme Food Safety & Standards Authority of India (₹ 335 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Grants-in-aid General under the scheme Population Research Centres (₹ 8.58 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) Grants-in-aid General under the schemes 1. Ayushman Bharat-National Health Protection Mission/RSBY-(₹ 358.40 crore), 2. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, PPI Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (GC) (₹ 27.58 crore ₹ 18.48 crore for General, ₹ 1.65 Crore for SCSP and ₹ 7.45 crore for TSP), 3. RCH Flexible Pool including routine Immunization Programme, PPI Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme EAC (₹ 25 crore ₹ 16.75 crore for General, ₹ 1.50 crore for SCSP and ₹ 6.75 Crore for TSP), 4. Other Health System for activities

(₹ 28.76 करोड- ₹ 20.70 सामान्य घटक के अंतर्गत, ₹ 2.88 एससीएसपी घटक के लिए और ₹ 5.18 टीएसपी घटक के लिए) 5. राज्य औषध सुदृढ़ीकरण विनियासक पत्रित का (₹ 17.36 करोड़- ₹ 5.03 करोड़ सामान्य घटक, ₹ 0.95 करोड़ एससीएसपी घटक और ₹ 11.38 करोड़ टीएसपी घटक) 6. पूर्वीततर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग (₹ 5.05 करोड़) और 7. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान इंफाल (₹ 22.42 करोड़) (ii) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान-1. एनआरएचएन के साथ फॉरवड लिंकेज (₹ 101.26 करोड़) 2. स्वास्थ्य पद्धति के सुदृढ़ीकरण के तहत एनआरएचएन के अंतर्गत क्रियाकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य पद्धति (₹ 3.20 करोड़-₹ 2.30 करोड़-सामान्य घटक, ₹ 0.32 करोड एससीएसपी घटक के लिए और ₹ 0.58 करोड. टीएसपी घटक के लिए), 3. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग (₹ 40 करोड़) और 4. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान इंफाल (₹ 11.90 करोड़) (iii) पूर्वीतर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 8 करोड)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(घ) राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए सामग्री सहायता स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 300 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(इ)

(i) स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य 1. आयुषमान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (₹ 50 करोइ) 2. लेडी हार्डिंग स्वास्थ्य स्कूल, नई दिल्ली (₹ 2.50 करोइ) 3. डब्ल्यूएचओ का पुनर्गठन केवल एसईएआरओ भवन, नई दिल्ली (₹ 50 करोइ) और 4. डॉ. राममनोहर लोहिया पीजीआईएमईआर, नई दिल्ली (₹ 99.27 करोइ हॉस्टल ब्लॉक के निर्माण हेतु) (ii) डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली (₹ 5 करोइ), मशीनरी और उपकरण हेतु। (iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 14.55 करोइ)- (₹ 13.90 करोइ) मशीनरी और उपकरण के लिए तथा (₹ 0.65 करोइ) मोटर वाहनों के लिए)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(च) सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के लिए मुख्य निर्माण कार्य स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 4 करोइ)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

under NRHM under Health System Strengthening (₹ 28.76 crore-₹ 20.70 crore under General component, ₹ 2.88 crore for SCSP component and ₹ 5.18 crore for TSP component), Strengthening of State Drug Regulatory System (₹ 17.36 crore - ₹ 5.03 crore - General component, ₹ 0.95 crore - SCSP component and ₹ 11.38 crore - TSP component), 6. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & medical Sciences, Shillong (₹ 5.05 crore) and 7. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 22.42 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets -1. Forward Linkages to NRHM (₹ 101.26 Crore), 2. Other Health System for activities under NRHM under Health System Strengthening (₹ 3.20 Cr - ₹ 2.30 Crore - General component, ₹ 0.32 Crore for SCSP component and ₹ 0.58 Cr for TSP component), 3. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & medical Sciences, Shillong (₹ 40 crore) and 4. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 11.90 crore). (iii) Grant in aid Salaries under the scheme North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & medical Sciences, Shillong (₹ 8 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Additional Requirement under the scheme Material Assistance for Strengthening of National Immunization Programme (₹ 300 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Major Works under the scheme 1. Ayushman Bharat-National Health Protection Mission (₹ 50 crore), 2. Lady Reading Health School, New Delhi (₹ 2.50 crore), 3. Reconstruction of WHO-SEARO Building, New Delhi (₹ 50 crore) and 4. Dr. RML PGIMER, New Delhi (₹ 99.27 crore. for construction of Hostel Block, (ii) Dr. RML Hospital, New Delhi (₹ 5 crore) for Machinery & Equipment, (iii) Lady Hardinge Medical College & Smt. S. K. Hospital, New Delhi. (₹ 14.55 crore)- (₹ 13.90 crore. for Machinery & Equipment and ₹ 0.65 crore. for Motor Vehicles)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Additional requirement under the scheme Major Works for Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 4 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 44

भारी उदयोग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crore		crores)	
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	739.24		739.24
पूंजी	Capital	***	386.49		386.49
जोड़	Total	•••	1125.73		1125.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital		0.02		0.02
जोड़	Total	•••	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1125.75		1125.75
राजस्व	Revenue	•••	739.24		739.24
पूंजी	Capital		386.51		386.51
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 6858-अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	6858-Loans for Engineering Industries		0.01	(क a)	0.01
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (प्ंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.02		0.02

यह प्रक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- हिन्द्स्तान फोटोफिल्म्स मेन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ) के शेष (क) कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की देयताओं के भ्गतान के लिए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 29.06.2017 के आदेश का अनुपालन और संघ सरकार द्वारा दायर एसएलपी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 19.02.2018 के आदेश से खारिज करने के लिए एचपीएफ को स्वीकृत सीएफआई अग्रिम (₹ 16 करोड़) की प्रतिपूर्ति। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अन्दान मांगा जाता है।
- हिन्दस्तान पेपर कार्पीरेशन लि. (एचपीसी) के कर्मचारियों को वेतन/मजदरी (ख) और सांविधिक देयताओं का भुगतान करने के लिए एचपीसी की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 90.00 करोड़) को पूरा करने के लिए।
 - अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- Recoupment of CFI Advance of Rs16 crore sanctioned to Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd (HPF) to comply with Hon'ble Madras High Court order dated 29.06.2017 and dismissal of SLP filed by UoI by the Hon'ble Supreme Court vide order dated 19.02.2018 for payment of VRS dues of remaining employees in the HPF.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting additional requirement of ₹ 90.00 crore of Hindustan Paper Corporation Ltd. (HPC) for payment of salary/wages and statutory dues to its employees
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 46

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	4468.89	4468.91
पूंजी	Capital		324.45	324.45
जोड़	Total	0.02	4793.34	4793.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:		
राजस्व	Revenue	2.17	0.01	2.18
पूंजी	Capital			•••
जोड़	Total	2.17	0.01	2.18
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>2.19</i>	4793.35	4795.54
राजस्व	Revenue	2.19	4468.90	4471.09
पूंजी	Capital	•••	324.45	324.45
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के :	अंतर्गत दिखाया जायेगा:	:	
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be	accounted for under	the following Major	Heads:
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	2.17	(कa)	2.17
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	***	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	2.17	0.01	2.18

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) ऑपरेशन ब्ल्यु स्टार के दौरान जौधपुर में नजरबन्द रखे गए उन कैदियों को मुआवजा देने के न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन (₹ 2.17 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में (स्वीकृत में) उपलब्ध समान वस्तियों को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय पर कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) जम्मू और कश्मीर में बस चुके पिश्वम पािकस्तान के शरणािर्थियों के पिरवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए (₹ 50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकोतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) implementation of Court Order in respect of payment of compensation to detenues from Jodhpur arrested during Operation Blue Star (₹ 2.17 crore).
 - Taking into account the matching recoveries available in the same section (voted) of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) providing financial assistance to families of West Pakistan Refugees (WPRs) settled in Jammu and Kashmir (₹ 50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 47

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोंड़) (In ₹ cro		crores)
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		770.00		770.00
पूंजी	Capital	***			
जोड़	Total		770.00		770.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		150.00		150.00
प्ंजी	Capital		715.89		715.89
जोड़	Total		865.89		865.89
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1635.89		1635.89
राजस्व	Revenue		920.00		920.00
पूंजी	Capital	•••	715.89		715.89
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Maj	or Head		
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2013-मंत्रिपरिषद	2013-Council of Ministers	•••	150.00	(क a)	150.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services		715.89	(खb)	715.89
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		865.89		865.89

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) वीएसएनएल और एयर इंडिया को 'अन्य प्रभारों' के अन्तर्गत प्रतिबद्ध तथा प्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 150 करोड़)।
 उपर्युक्त में नकद व्यय होगा;

(ख) अंतरिक्ष अवसंरचना पर व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 715.89 करोड़)। उपर्युक्त में नकद व्यय होगा। The supplementary Grants are required for:

releasing the committed and anticipated expenditure under 'other charges' to VSNL and Air India (₹ 150 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(b) meeting expenditure on Space Infrastructure (₹ 715.89 crore).The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 48

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(See page 38 of the Der	mands for Grants of Central Government for	trie year 2018-2019)			
			•	करोड़) (In	₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	9.56	77305.24		77314.80
पूंजी	Capital	6.10	11057.35		11063.45
जोड़	Total	<i>15.66</i>	88362.59		88378.25
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:				
पूरक अनुमान:					
राजस्व	Revenue		516.31		516.31
पूंजी	Capital		25.64		25.64
जोड़	Total		541.95		541.95
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>15.66</i>	88904.54		88920.20
राजस्व	Revenue	9.56	77821.55		77831.11
पूंजी	Capital	6.10	11082.99		11089.09
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अ	तर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u		ad		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	-			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2055-पुलिस	2055-Police		27.21	(कa)	27.21
3601-राज्य सरकारों को	3601-Grants-in-aid to State Governments		489.10	(खb)	489.10
सहायता अन्दान				, ,	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		516.31		516.31
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		25.64	(गc)	25.64
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		541.95	` ,	541.95
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों	में नीचे दर्शाई गयी वस्लियों को :	शामिल नहीं किया ग	या है जिन्हें व	यय में से
	घटाकर समायोजित किया जाता है !				
	Note: The above estimates of additional requirements	do not take into account the	e recoveries show	vn below, w	hich are
	adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2055-पुलिस	2055-Police	***	(-)27.21		(-)27.21
3601-राज्य सरकारों को	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)489.10		(-)489.10
सहायता अनुदान					
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		(-)516.31		(-)516.31
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		(-)25.64		(-)25.64
3 "	•				

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

(i) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा प्रशिक्षण के लिए डीएनए किटें (₹ 5.71 करोड़), (ii) राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस) द्वारा 1000 चिकित्सकों का प्रशिक्षण (₹ 1.38 करोड़), (iii) राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन पर प्रशासनिक व्यय (₹ 0.50 करोड़) और (iv) सीएफएसएल चंडीगढ़ में अत्याधुनिक फॉरेंसिक डीएनए प्रयोगशाला के लिए प्रशासनिक व्यय (₹ 19.62 करोड़) हेतु महिला सुरक्षा

त्रमान का लिए। निर्भया निधि से समतुल्य वस्लियों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त में कोई

अतिरिक्त व्यय नहीं होगा; (i) पांच शहरों (अहमदाबाद, चेन्नई,हैदराबाद,कोलकाता और मुंबई) में सुरक्षित शहर परियोजना (₹ 439.10 करोड़) और (ii) चार राज्यों की राज्य फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण (₹ 50.00 करोड़)। The supplementary Grants are required for:

(a) Women Safety Division for (i) DNA Kits for training by Bureau of Police Research and Development (BPR&D) (₹ 5.71 crore), (ii) training of 1000 doctors by National Institute of Criminology and Forensic Sciences (NICFS) (₹ 1.38 crore), (iii) Administrative Expenses on National Mission for Safety of Women (₹ 0.50 crore) and (iv) Administrative expenditure for State-of-the- art Forensic DNA lab at CFSL, Chandigarh (₹ 19.62 crore).

Taking into account the matching recoveries from Nirbhaya Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

 (i) Safe City projects in five cities (Ahmedabad, Chennai, Hyderabad, Kolkata and Mumbai) (₹ 439.10 crore) and (ii) Strengthening of State Forensic Science Labs of four states (₹ 50.00 crore). निर्भया निधि से समतुल्य वस््लियों को ध्यान में रखते हु ए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा;

(ग) सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना (c) (₹ 25.64 करोड़)।

निर्भया निधि से समतुल्य वस्लियों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा; Taking into account the matching recoveries from Nirbhaya Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

setting up of state-of-the-art Forensic DNA lab at CFSL, Chandigarh (₹ 25.64 crore).

Taking into account the matching recoveries from the Nirbhaya Fund , the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 49

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोंड़) (In ₹ cı		
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	3992.99	3993.00
पूंजी	Capital		600.86	600.86
जोड़	Total	0.01	4593.85	4593.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		86.00	86.00
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	86.00	86.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	4679.85	4679.86
राजस्व	Revenue	0.01	4078.99	4079.00
पूंजी	Capital		600.86	600.86
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	ler the following Major H	lead:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development		86.00	86.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण चुंगी से प्राप्त राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 86 करोड़)। ₹ 30 करोड़ की अग्रिम राशि भारत की आकस्मिक निधि से पहले ही प्राप्त हो चुकी थी जिसकी प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त में ₹ 86 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting establishment expenditure of Port Blair Municipal Council (PBMC) to compensate loss of revenue from octroi due to implementation of GST (₹ 86 crore). An amount of ₹ 30 crore obtained from the Contingency Fund of India as advance is proposed to be recouped.

The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 86 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 52

दमन और दीव DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करॉड़) (In			₹ crores)	
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	0.02	1364.06		1364.08	
पूंजी	Capital	***	311.41		311.41	
जोड़	Total	0.02	1675.47		1675.49	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue	***	0.01		0.01	
प्ंजी	Capital		0.01		0.01	
जोड़	Total		0.02		0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	1675.49		1675.51	
राजस्व	Revenue	0.02	1364.07		1364.09	
पूंजी	Capital	•••	311.42		311.42	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	***	0.01	(क a)	0.01	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development		0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.02		0.02	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क) (I) दीव जिले में स्मार्ट सिटी के लिए निर्माण कार्यों के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹ 5 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

(ख) (II) दीव जिले में स्मार्ट सिटी के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम के साथ निवेश के अंतर्गत ₹ 10 करोड़ कीअतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अन्दान अपेक्षित है।

The supplementary Grants are required for:

(I) meeting the additional requirement of ₹ 5 crore under 'Grant-inaid General' to carry out works for Smart city at Diu district.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

b) (II) meeting the additional requirement of ₹ 10 crore under Investment with SPV for Smart City at Diu District. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 56

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

	•		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	88.22	25509.93		25598.15
पूंजी	Capital	101.16	16314.69		16415.85
जोड़	Total	189.38	41824.62		42014.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	***	0.03		0.03
पूंजी	Capital		0.04		0.04
जोड़	Total	***	0.07		0.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	189.38	41824.69		42014.07
राजस्व	Revenue	<i>88.22</i>	25509.96		25598.18
पूंजी	Capital	101.16	16314.73		16415.89
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अ	तर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u		ajor Head		
	* * *	भारित			
		भारत	स्वीकृत		जॊड़
		भारत Charged	Voted		जाड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				•
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD				•
				(कa)	•
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD	Charged	Voted	(कa) (खb)	Total
मुख्य शीर्ष 2216-आवास	MAJOR HEAD 2216-Housing	Charged	Voted 0.01	. ,	Total 0.01
मुख्य शीर्ष 2216-आवास 2217-शहरी विकास	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development	Charged 	0.01 0.01	(खb)	0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 2216-आवास 2217-शहरी विकास 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments	Charged 	0.01 0.01 0.01	(खb)	0.01 0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 2216-आवास 2217-शहरी विकास 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जोड़ (राजस्व भाग)	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments Total (Revenue Section)	Charged 	0.01 0.01 0.01	(खb)	0.01 0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 2216-आवास 2217-शहरी विकास 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION	Charged 	0.01 0.01 0.01	(खb)	0.01 0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 2216-आवास 2217-शहरी विकास 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	Charged	0.01 0.01 0.01 0.01 0.03	(खb) (गc)	0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
मुख्य शीर्ष 2216-आवास 2217-शहरी विकास 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4059-Capital Outlay on Public Works	Charged	0.01 0.01 0.01 0.03	(평b) (गc) (ঘd)	0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
मुख्य शीर्ष 2216-आवास 2217-शहरी विकास 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिट्यय 4216-आवास पर पूंजी परिट्यय	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4059-Capital Outlay on Public Works 4216-Capital Outlay on Housing	Charged	0.01 0.01 0.01 0.03	(평b) (邦c) (ঘd) (롱e)	0.01 0.01 0.01 0.03 0.03
मुख्य शीर्ष 2216-आवास 2217-शहरी विकास 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय 4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4059-Capital Outlay on Public Works 4216-Capital Outlay on Housing 4250-Capital Outlay on other Social Services	Charged	0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01	(평b) (गc) (ঘd) (동e) (ঘf)	0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 2216-आवास 2217-शहरी विकास 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय 4216-आवास पर पूंजी परिव्यय 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 5052-नौवहन पर पूंजी परिव्यय	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4059-Capital Outlay on Public Works 4216-Capital Outlay on Housing 4250-Capital Outlay on other Social Services 5052-Capital Outlay on Shipping	Charged	0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01	(평b) (गc) (ঘd) (동e) (ঘf)	0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

जाता है।

(क) (i) एलआईजी हेतु सीएलएलएस-। के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी संवितिरित करने के लिए (₹ 300 करोड़), (ii) बीएमटीपीसी द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ 672 करोड़) और(iii) ग्लोबल हाउसिंग टैक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया प्रतियोगिता आयोजित करना (₹ 250 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) शहर स्तर पर सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत सीआईटीआईआईएस (नवपरिवर्तन, एकीकृत करने और बनाए रखने के लिए शहरी निवेश) 100 स्मार्ट सिटीज हेतु मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान का नया शीर्ष खोलना (₹ 5 करोड)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक प्रक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) सीआईटीआईआईएस (नवपरिवर्तन, एकीकृत करने और बनाए रखने के लिए शहरी निवेश) के लिए 100 स्मार्ट सिटीज हेतु मिशन के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु नया शीर्ष अनुदान खोलना ₹ 30 करोड़)। अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अन्दान मांगा
- (घ) निम्नलिखित नए निर्माण कार्य (i) नई दिल्ली, मुंबई और बिलासपुर में सामान्य पूल आवास (₹ 71.20 करोइ)। (ii) नई दिल्ली में फिल्टर न किए गए जलापूर्ति लाइने/ग्रिड प्रदान करना/बिछाना (₹ 4.53 करोइ)। (iii) आयोजना और वास्तुकला स्कूल (₹ 5 करोइ)। (iv) प्रेजीडेंसियल डायस (₹ 5 करोइ) (v) गणतंत्र दिवस समारोह (₹ 5 करोइ) (vi) सेंट्रल विस्ता (₹ 18 करोइ) (vii) शास्त्री भवन में पार्किंग (₹ 0.50

- (a) (i) meeting expenditure towards disbursal of subsidy to the beneficiaries for Credit Link Subsidy Scheme-I for LIG (₹ 300 Crore), (ii) payment of interest on loan taken by BMTPC (₹ 672 crore) and (iii) organising competition on Global Housing Technology Challenge-India (₹ 250 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) opening of new head GIA-General under Mission for 100 Smart Cities for CITIIS (City Investment to Innovate, Integrate and Sustain) at City Level under GIA General (₹ 5 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) opening new head Grants for Creation of Capital Assets under Mission for 100 Smart Cities for CITIIS (City Investment to Innovate, Integrate and Sustain) (₹ 30 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) (i) General Pool Accommodation at New Delhi, Mumbai and Bilaspur (₹ 71.20 crore), (ii) Providing & laying unfiltered water supply lines/grids in New Delhi (₹ 4.53 crore), (iii) School of Planning & Architect (₹ 5 crore), (iv) Presidential Dias (₹ 5 crore), (v) Republic Day Celebration (₹ 5 crore), (vi) Central Vista (₹ 18 crore), (vii) parking at Shastri Bhawan

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (इ) निम्नलिखित नए निर्माण कार्य (i)लखनऊ में सामान्य पूल आवासी क्वाटर और सीपीडब्ल्यूडी पूछताछ कार्यालय (₹ 3.50 करोड़), (ii) इंदौर, मध्यप्रदेश में होलीडे होम (₹ 7 करोड़), वाराणसी, उत्तर प्रदेश (₹ 2 करोड़), इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (₹ 2.50 करोड़) (iii) मुंबई में सामान्य पूल रिहायशी आवास (₹ 0.20 करोड़), रायपुर (₹ 25 करोड़), बिलासपुर (₹ 5 करोड़) (iv) बिलासपुर में गेस्ट हाउस और सामुदायिक केंद्र (₹ 1 करोड़) (v) नई दिल्ली में रूफ टॉप सोलर पैनल (₹ 3.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए साकेतिक पूरक अनुदान मागा जाता है।
- (च) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत डीजीजेएमएस, रायगढ़ के लिए कार्यालय भवन का निर्माण (₹ 2 करोड़)
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा
- (छ) पोत परिवहन मंत्रालय के जहाज भवन, मुम्बई के लिए कार्यालय भवन (₹ 0.20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (₹ 0.50 crore) and (viii) Office Building for IT Department, Rajasthan (₹ 3 crore), Bilaspur (₹ 7 crore) and Bhubaneswar (₹ 15 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- e) (i) General Pool Residential Qtrs. and CPWD enquiry office at Lucknow (₹ 3.50 crore), (ii) Holiday Home at Indore, MP (₹ 7 crore), Varanasi, UP (₹ 2 crore), Allahabad, UP(₹ 2.50 crore), (iii) General Pool Residential Accommodation, at Mumbai (₹ 0.20 Crore), Raipur(₹ 25 crore), Bilaspur (₹ 5 crore),(iv) Guest House and community centre at Bilaspur (₹ 1 crore) and (v) Rooftop solar panels at New Delhi (₹ 3.50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- f) Construction of Office Building for Directorate General Mines Safety, Raigarh under Major Works (₹ 2 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (g) Office Building for M/o Shipping " Jahaz Bhawan" , Mumbai $\ (\mbox{\it \colored}\ \ 0.20$ crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 57

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ c		₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		82516.30		82516.30
प्रंजी	Capital				
जोड़	Total		82516.30		82516.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.03		0.03
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		82516.33		82516.33
राजस्व	Revenue		82516.33		82516.33
प्ंजी	Capital				
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde				
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹ 157.20 करोइ) और 2. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (₹ 297.3 करोइ)। (ii) सीवीएस स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत, आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 811.21 करोइ) (iii) इस स्कीम के अन्तर्गत वेतन सहायता अनुदान 1. केवीएस (₹ 752.38 करोइ) और 2. एनवीएस (₹ 301.85 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) इन स्कीमों के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (₹ 350 करोड़) और भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (₹ 45 करोड़) ।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाना है।
- (ग) इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. एसएसए (₹ 2608.19 करोड़) 2. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुद्रद्वीकरण (₹ 100 करोड़) और 3. भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (₹ 5 करोड़) । अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (i) Grants-in-aid General under the schemes 1. Kendriya Vidalaya Sangthan (KVS) (₹ 157.20 crore) and 2. Navodaya Vidalaya Samiti(NVS)
 - (₹ 297.30 crore). (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme NVS (₹ 811.21 crore). (iii) Grants-in-Aid Salary under the scheme 1. KVS (₹ 752.38 crore), and 2. NVS (₹ 301.85 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- b) Grants-in-aid General under the schemes 1. Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)(₹ 350 crore), and Appointment of Language Teachers (₹ 45 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- c) Grants-in-aid General under the schemes 1. SSA (₹ 2608.19 crore), 2. Strengthening of Teacher Training Institutions (₹ 100 crore), and 3. Appointment of Language Teachers (₹ 5 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 58

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करॉड़) (In ₹ croi		₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	46778.08		46778.08
पूंजी	Capital		2752.00		2752.00
जोड़	Total		49530.08		49530.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.03		0.03
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		49530.11		49530.11
राजस्व	Revenue		46778.11		46778.11
पूंजी	Capital	•••	2752.00		2752.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		or Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		0.01	(कa)	0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education		0.01	(खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. केंद्रीय सरकार द्वारा संवर्धित डीम्ड विश्विद्यालय [₹ 30 करोड़], 2. समुदाय कॉलेजों सिहत कौशल-आधारित उच्चतर शिक्षा के लिए सहायता [₹ 40 करोड़], 3. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान [₹ 58.60 करोड़], 4. सामाजिक विज्ञान में प्रभावपूर्ण नीति अनुसंधान [₹ 25 करोड़], 5. भारत में अध्ययन [₹ 48.50 करोड़] और 6. अकादिमिक और अनुसंधान सहयोग में संवर्धन की स्कीम (एसपीएआरसी) [₹ 75 करोड़]। (ii) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान [₹ 10 करोड़], (iii) 1. केंद्रीय सरकार द्वारा संवर्धित डीम्ड विश्वविद्यालय [₹ 300 करोड़], और 2. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान [₹ 7.75 करोड़], स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान तथा (iv) भारत में अध्ययन स्कीम के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं [₹ 1.50 करोड़]।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों की ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।
- (ख) इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), आंध प्रदेश [₹ 44 करोड़], नैनो विज्ञान और इंजीनियरी केन्द्र [₹ 8.21 करोड़], भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), आंध्र प्रदेश
 - [₹ 4 करोड़], 4. नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना (नएआईआईटी) [₹ 300 करोड़], 5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-जीबीएस [₹ 135 करोड़] और 6. राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरण [₹ 10 करोड़]। (ii) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस), बैंगलोर [₹ 33.45 करोड़], 2. प्लानिंग और आर्किटेक्चर के नए स्कूलों की
 - [₹ 50 करोड़] और 3. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी [₹ 1 करोड़] स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (iii) 1. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता [₹ 20 करोड़], 2. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), आंध्र प्रदेश [₹ 3 करोड़], 3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)-जीबीएस [₹ 453.45 करोड़], तथा 4. राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरण

िर 4 करोड़] स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों की ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants-in-aid General under the schemes - 1. Deemed Universities promoted by Central Government[₹ 30 crore], 2. Support for skill-based higher education including community colleges[₹ 40 crore], 3. Grants for Promotion of Indian Languages [₹ 58.60 crore], 4. Impactful Policy Research in Social Science [₹ 25 crore], Study in India (₹ 48.50 crore) and 6. Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration (SPARC)(₹ 75 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Grants for Promotion of Indian Languages (₹ 10 crore), (iii)Grants-in-Aid Salaries under the scheme 1. Deemed Universities promoted by Central Government[₹ 300 crore], and 2. Grants for Promotion of Indian Languages [₹ 7.75crore] and (iv) Professional Services under the scheme Study in India (₹ 1.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grants-in-aid General under the schemes 1. National Institute of Technology (NIT) Andhra Pradesh [₹ 44 crore], 2. Centre for Nano Science and Engineering [₹ 8.21 crore], 3. Indian Institute of Science for Education Research (IISER) Andhra Pradesh [₹ 4 crore], 4. Setting up of new Indian Institutes of Technology (New IITs) (₹ 300 crore), 5. Indian Institutes of Technology (IITs)-GBS (₹ 135 crore) and 6. National Testing Agency[₹ 10 crore]. (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 1. Indian Institute of Science (IISc), Bangalore [₹ 33.45 crore], 2. Setting up of New Schools of Planning & Architecture [₹ 50 crore].
 - 2. Setting up of New Schools of Planning & Architecture [₹ 50 crore], and 3. National Testing Agency[₹ 1 crore] (iii)Grants-in-Aid Salaries under the scheme 1. Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [₹ 20 crore], 2. Indian Institute of Science for Education Research (IISER) Andhra Pradesh [₹ 3 crore], 3. National Institutes of Technology (NITs)-GBS [₹ 453.45 crore], and 4. National Testing Agency [₹ 4 Crore].

- (ग) इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)-जीबीएस [₹ 50 करोड़], 2. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान [₹ 1 करोड़], और 3. उच्चतर शिक्षा सांख्यिकीय और सार्वजनिक स्चना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) [₹ 0.26 करोड़], स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, (іі) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान स्कीम के अंतर्गत प्रंजीगत आस्तियों के स्जन के लिए अनुदान[₹ 13.90 करोड़]
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों की ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।
- (i) Grants-in-aid General under the schemes 1. University Grants Commission (UGC)-GBS [₹50 crore], 2. Grants for Promotion of Indian Languages [₹1 crore], and 3. Higher Education Statistics And Public Information System (HESPIS) [₹0.26 Crore]. (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Grants for Promotion of Indian Languages [₹13.90 crore].

मांग संख्या DEMAND NO 59

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		4065.58		4065.58
पूंजी	Capital		23.40		23.40
जोड़	Total		4088.98		4088.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
प्ंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total	•••	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4089.00		4089.00
राजस्व	Revenue	···	4065.59		4065.59
प्ंजी	Capital		23.41		23.41
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde	er the following Major Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4220-सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	4220-Capital Outlay on Information and Publicity		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रसार भारती की उसकी स्कीम अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता अनुदान (₹ 20.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।

(ख) प्रयोजन शीर्ष मुख्य कार्य के अंतर्गत चल छायाचित्रों के संग्रहालय की स्थापना (फिल्म्स डिवीजन) स्कीम के लिए (₹ 4.27 करोड़)। अनदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक परक

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।

- (a) Prasar Bharati under its scheme "Grants-in-aid to Prasar Bharati for Arun Prabha Channel" under the object head Grants-in-aid-General in North Eastern Area (₹ 20.00 Crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - the scheme "setting up of Museum of Moving images (Films Division)" under the object head 'Major Works' (₹ 4.27 Crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 64

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crore			crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मू <i>ल</i> अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		6540.04		6540.04
पूंजी	Capital		12.57		12.57
जोड़	Total		6552.61		6552.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6552.64		6552.64
राजस्व	Revenue		6540.06		6540.06
प्ंजी	Capital	•••	12.58		12.58
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the		r Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(क a)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.03		0.03

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- क) उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम में स्क्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण संवर्धन हेतु प्रयोजन शीर्ष 'अन्य प्रशासनिक व्यय', 'सामान्य सहायता अनुदान' और 'प्ंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान' के अंतर्गत क्रमश ₹ 0.10 करोड़, ₹ 1.55 करोड़ और ₹ 6.34 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक
- पूर्क अनुदानमांगा जाता है।

 (ख) (i) उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण संवर्धन हेतु प्रयोजन शीर्ष 'अन्य प्रशासनिक व्यय', 'सामान्य सहायता अनुदान' और 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान' के अंतर्गत क्रमश ₹ 0.10 करोड़, ₹ 0.40 करोड़ और ₹ 12.40 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - (ii) अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन हेतु प्रयोजन शीर्ष 'घरेलू यात्रा व्यय ', 'कार्यालय व्यय ', 'अन्य प्रशासनिक व्यय ', 'व्यावसायिक सेवाएं ' और 'प्रकाशन ' के अंतर्गत क्रमश ₹ 1 करोड़, ₹ 20 करोड़, ₹ 0.10 करोड़, ₹ 1 करोड़ और ₹ 0.05 करोड़ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - (iii) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (अनुस्चित जाति घटक) हेतु 'सामान्य सहायता अनुदान' के अंतर्गत ₹ 0.08 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - (iv) विपणन संवर्धन और विकास सहायता हेतु 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान ' के अंतर्गत ₹ 0.10 करोड़ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - (v) स्क्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रौंघोगिकी केन्द्रों द्वारा अनुस्चित जाति घटक तथा अनुस्चित जनजाति घटक के उम्मीदवारों द्वारा वस्ते गए प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति करने हेतु चालू वर्ष के दौरान प्रत्याशित दावों को निपटाने के लिए अवसंरचना विकास कार्यक्रम और क्षमता निर्माण के लिए 'सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹ 10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा

- a) Meeting additional requirement of ₹ 0.10 crore, ₹ 1.55 crore and ₹ 6.34 crore under the object head 'Other Administrative Expenses', 'Grants-in-Aid General' and 'Grants for Creation of Capital Assets' respectively towards Infrastructure Development and Capacity Building Promotion of MSME in NER and Sikkim.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Meeting additional requirement of ₹ 0.10 crore, ₹ 0.40 crore and ₹ 12.40 crore under the object head 'Other Administrative Expenses', 'Grants-in-Aid General' and 'Grants for Creation of Capital Assets' respectively towards Infrastructure Development and Capacity Building Promotion of MSME in NER and Sikkim.
 - (ii) Meeting additional requirement of ₹ 1 crore, ₹ 20 crore, ₹ 0.10 crore, ₹ 1 crore and ₹ 0.05 crore under the object head 'Domestic Travel Expenses', 'Office Expenses', 'Other Administrative Expenses', 'Professional Services' and 'Publications' respectively towards Research and Evaluation
 - (iii) Meeting additional requirement of ₹ 0.08 crore under 'Grantsin-Aid General' towards Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna (SC Component).
 - (iv) Meeting additional requirement of ₹ 0.10 crore under 'Grants for Creation of Capital Assets' towards Marketing Promotion and Development Assistance.
 - (v) Meeting additional requirement of ₹ 10 crore under 'Grants-in-Aid General' towards Infrastructure Development Programme and Capacity Building to clear the expected claims during the current financial year to reimburse the training fee for the aspirants of Schedule Caste Component and Schedule Tribe

करने के लिए।

- (vi) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (सामान्य घटक) हेतु 'सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹ 0.11 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के विग्रा
- (vii) क्रेडिट संबद्ध पूंजीगत सिंह्सिडी स्कीन (सीएलसीएसएस) के लंबित देयताओं को निपटाने के लिए राजसहायता हेतु राष्ट्रीय विनिमार्णकारी प्रतिस्पधार्त्मकता कायर्क्रम (एनएमसीपी) के अंतरर्गत ₹ 829.25 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) स्थापना-ग्राम और लघु उद्योग हेतु प्रयोजन शीर्ष 'मोटर वाहन', 'मशीनरी और उपस्कर' तथा 'मुख्य कार्य' के अंतर्गत क्रमश ₹ 2 करोड़, ₹ 1.20 करोड़ और

> ₹ 9.80 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- Component charged by MSME Technology Centres.
- (vi) Meeting additional requirement of ₹ 0.11 crore under 'Grants-in-Aid General' towards Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna(General Component).
- (vii) Meeting additional requirement of ₹ 829.25 crore Under National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP) towards 'Subsidies' to clear the pending liabilities of Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional requirement of ₹ 2 crore, ₹ 1.20 crore and ₹ 9.80 crore under the object head 'Motor Vehicle', 'Machinery and Equipment' and 'Major Works' respectively towards Establishment-Village and Small Industries.

मांग संख्या DEMAND NO 65

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In	₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.05	1899.25	1899.30
पूंजी	Capital	•••	170.22	170.22
जोड़	Total	0.05	2069.47	2069.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	0.05	2069.48	2069.53
राजस्व	Revenue	0.05	1899.26	1899.31
प्ंजी	Capital	•••	170.22	170.22
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	following Major H	ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय खिनज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) के लिए प्रयोजन शीर्षों 'घरेलू यात्रा व्यय', किराया, दर और कर', 'कार्यालय प्रशासनिक व्यय', 'व्यावसायिक सेवाएं तथा 'सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत क्रमश: ₹ 0.40 करोड़, ₹ 1 करोड़, ₹ 0.40 करोड़, ₹ 190.10 करोड़, और ₹ 185 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु एसांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary Grant is required for:

Meeting additional requirement of ₹ 0.40 crore, ₹ 1 crore, ₹ 0.40 crore, ₹ 190.10 crore, ₹ 185 crore under the object heads 'Domestic Travel Expenses', 'Rent, Rates and Taxes', 'Office Administrative Expenses', 'Professional Services' and 'Grants-in-aid General' respectively towards National Mineral Exploration Trust (NMET).

मांग संख्या DEMAND NO 68

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

उपलब्ध कराने के लिए।

मांगा जाता है।

(ঘ)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करॉड़)	(In ₹ c	rores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		825.17		825.17
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	•••	825.17		825.17
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.04		0.04
पूंजी	Capital	***			
जोड़	Total	•••	0.04		0.04
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	825.21		825.21
राजस्व	Revenue	•••	825.21		825.21
प्ंजी	Capital				
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde	r the following M			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes		0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.04		0.04

	करोड़) और 'अन्य प्रभार' (₹ 2.50 करोड़) के अंतर्गत निधियां उपलब्ध करने के लिए।	crore) under the restructured scheme 'Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan' (RGSA).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	नई पुनर्गठित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (आरजीएसए) स्कीम के अंतर्गत (b)	Providing 'Grants-in-aid General' to North Eastern Areas under
	पूर्वीतर क्षेत्रों को 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹ 80.50 करोड़) उपलब्ध करने	the restructured scheme 'Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan'
	के लिए।	(RGSA)
		(₹ 80.50 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान	Taking into account the savings available in the same section of
	मांगा जाता है।	the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	नई पुनर्गठित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (आरजीएसए) स्कीम के (c)	Providing 'Grants-in-aid General' (₹ 459.41 crore) and 'Grants for
	अंतर्गत राज्य सरकारों को 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹ 459.41 करोड़)	Creation of Capital Assets' (₹ 145.85 crore) to State
	और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 145.85 करोड़) उपलब्ध	Governments under the restructured scheme 'Rashtriya Gram
	कराने के लिए।	Swaraj Abhiyan' (RGSA).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान	Taking into account the savings available in the same section of
	मांगा जाता है।	the Grant, a token supplementary is sought.

नई पुनर्गठित स्कोम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत

सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25 करोड़), 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹ 7.50

नई पुनर्गठित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (आरजीएसए) स्कीम के

अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को 'सामान्य सहायता अनुदान' ((₹ 0.02

करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के स्ज़न के लिए अन्दान (₹ 0.02 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान

Creation of Capital Assets' (₹ 0.02 crore) to Union Territory Governments under the restructured scheme 'Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan' (RGSA). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Providing 'Grants-in-aid General' (₹ 0.02 crore) and 'Grants for

Providing funds under 'Grants-in-aid General' (₹ 25 crore),

'Professional Services' (₹ 7.50 crore) and 'Other Charges' (₹ 2.50

मांग संख्या DEMAND NO 70

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

	•	,	(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	4.29	1438.68		1442.97
पूंजी	Capital	2.15	81.88		84.03
जोड़	Total	6.44	1520.56		1527.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital		0.09		0.09
जोड़	Total	•••	0.10		0.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6.44	1520.66		1527.10
राजस्व	Revenue	4.29	1438.69		1442.98
प्ंजी	Capital	2.15	81.97		84.12
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Majo	r Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मृख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		0.09	(खb)	0.09
जोड़ (पूर्क)	Total (Supplementary)		0.10	, ,	0.10

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत 'विभागीय कैंटीनों का आधुनिकीकरण' के लिए आबंटन करने हेतु (₹ 0.50 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।
- (ख) 'मशीनरी और उपकरण' के अंतर्गत सीबीआई के लंबित भुगतानों को पूरा करने के लिए (₹ 0.09 करोड़)।
 - अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

- (a) making allocation for 'Modernization of Departmental Canteens' under Grants in aid-General (₹ 0.50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - meeting the pending payment for CBI's under Machinery & Equipments
 (₹ 0.09 crore)
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

संख्या NO. 71 (विनियोग)(APPROPRIATION)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
I.विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
राजस्व	Revenue	32.61		32.61	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	32.61		32.61	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	0.01		0.01	
पूंजी	Capital	•••			
जोड़	Total	0.01		0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	32.62		32.62	
राजस्व	Revenue	32.62		32.62	
पूंजी	Capital				
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for	or under the following Ma	ijor Head:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2062-सतर्कता	2062-Vigilance	0.01		0.01	

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: स्वच्छ कार्य योजना (एसएपी) हेतु नकद शीर्ष खाता खोलने के लिए (र 0.10 करोड़)। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grant/Appropriation is required for: opening of new head of account for Swachhta Action Plan (SAP) (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 72

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ cro		crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मू <i>ल</i> अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		27391.55		27391.55
पूंजी	Capital	***	3709.00		3709.00
जोड़	Total	•••	31100.55		31100.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	***	1708.01		1708.01
पूंजी	Capital	***	•••		
जोड़	Total	•••	1708.01		1708.01
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	***	32808.56		32808.56
राजस्व	Revenue	***	29099.56		29099.56
पूंजी	Capital		3709.00		3709.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	er the following Maj	or Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum		1708.00	(कa)	1708.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	1708.01		1708.01

यह प्रक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) (क) फूलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना (₹ 1674.00 करोइ) (ख) इंडियन इंस्टिट्यूटऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी (आईआईपीई), विशाखापट्टनम (₹ 32 करोड),
 - (ग) ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, असम (₹ 1 करोड़) और (घ) ऊर्जा उत्कृष्ट्ता केंद्र, बैंगलुरु (₹ 1 करोड़) के तहत 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन' के लिए अनुदान उपलब्ध करवाना (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र (₹ 70 करोड़) सहित अन्य दी जाने वाली सिस्सिडी योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियां और स्वायत निकायों को सहायता पेट्रोलियम लेबोरेटरी सोसाइटी को सहायता योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियां (₹ 0.17 करोड़)।

इन अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध (₹ 1708 करोड़) की बचत के अभ्यर्पण हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध (₹ 70.17 करोड़) की बचत को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) केरोसीन वितरण सुधार (₹ 177 करोड़) के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (a) Providing (i) 'Grants for creation of Capital Assets' under the schemes
 (a) Phulpur-Dhamra-Haldia Pipeline Project (₹ 1674.00 crore); (b) Indian Institute Petroleum and Energy (IIPE), Visakhapatnam (₹ 32 crore);
 (c) Centre of Excellence for Energy, Assam (₹ 1 crore) and (d) Centre of Excellence for Energy, Bengaluru (₹ 1 crore); (ii) additional funds under the scheme 'Other subsidy payable including North Eastern Region
 - (₹ 70 crore); and (iii) additional funds under the scheme Assistance to Autonomous Bodies-'Society for Petroleum Laboratory' (₹ 0.17 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 1708 crore available in the Capital Section of the Grant and utilizing the savings of ₹ 70.17 crore available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.
 - b) Providing 'Grants-in-Aid General' to State Governments under the scheme 'Cash incentive to State Governments for Kerosene Distribution Reforms' (₹ 177 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 73

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ cro		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	338.97	338.97
पूंजी	Capital		0.68	0.68
जोड़	Total		339.65	339.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		20.90	20.90
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		20.90	20.90
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		360.55	360.55
राजस्व	Revenue		359.87	359.87
प्ंजी	Capital	•••	0.68	0.68
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखा	या जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the fo	llowing Major He	ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		20.90	20.90

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इनके व्यय को पूरा करने के लिए (i) सम्मेलन और एक्सपो आयोजित करवाने के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 18.90 करोइ); (ii) विज्ञान भवन और नीति भवन के नवीकरण/रख-रखाव से संबंधित निर्माण के लघु कार्य (₹ 12.21 करोइ); (iii)(ख) योजना निर्माण मूल्यांकन और समीक्षा- साथ-ई परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़े अंतःक्षेप भागीदारों को भुगतान के लिए और एसईक्यूआई में एजेंसियों के विस्तारित कार्य के लिए भुगतान हेतु ₹ 14.73 करोइ की अतिरिक्त राशि की अपेक्षा एवं (iv) विकेन्द्रीकृत आयोजना के लिए सुदृढ़ीकरण क्षमता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.04 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 20.90 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards (i) 'Other Administrative Expenses' for organizing the Summit and EXPO (₹ 18.90 crore) (ii) 'Minor Works' for the work related to renovation/maintenance of Vigyan Bhawan and NITI Bhawan (₹ 12.21 crore) (iii) Professional Services for payments to the intervention partners from implementation of Project SATH-E and payments towards the extended work of agencies in SEQI (₹ 14.73 crore) & (iv) Grants-in-aid General for "Strengthening Capacities for Decentralized Planning" (₹ 0.04 crore)

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 20.90 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 74

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (Ir	n ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		13434.97	13434.97
पूंजी	Capital		2334.95	2334.95
जोड़	Total	***	15769.92	15769.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		15769.93	15769.93
राजस्व	Revenue	•••	13434.98	13434.98
पूंजी	Capital	•••	2334.95	2334.95
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गित दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	er the following Major F	łead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	2801-Power		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'सहज बिजली हर घर योजना-शहरी' (₹ 800 करोड़) तथा 'सहज बिजली हर घर योजना-ग्रामीण' (₹ 2440 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान;

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

'Grant for creation of Capital Assets' under the schemes 'Sahaj Bijli Har Ghar Yojana - Urban' (₹ 800 crore) and 'Sahaj Bijli Har Ghar Yojana- Rural' (₹ 2440 crore);

मांग संख्या DEMAND NO 76

लोक सभा

LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 99 देखिये)

(See page 99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करॉड़) (In ₹ crores			
		भारित		स्वीकृत		जॊड़
		Charged		Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	1.15		773.82		774.97
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	1.15		773.82		774.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now					
	required:					
राजस्व	Revenue	0.10		20.00		20.10
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	0.10		20.00		20.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.25		793.82		795.07
राजस्व	Revenue	1.25		793.82		795.07
पूंजी	Capital	•••				
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेग	Π:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be ac			llowing Maj	jor Heads	s:
		भारित		स्वीकृत		जॊड़
		Charged		Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	0.10	(क a)	20.00	(खb)	20.10

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

एमपी अधिनियम 1954 में वेतन, भते और पेंशन में किए गए हालिया संशोधन के अनुसार माननीय स्पीकर और उप-स्पीकर महोदय के बढ़े हुए वेतन और भर्तों के भ्गतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

एमपी अधिनियम 1954 में वेतन, भत्ते और पेशन में से हाल में किए गए संशोधन के (ख) अनुसार लोकसभा के सांसदों के बढ़े हुए वेतन और भत्तों के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए । उपरोक्त पर नकद व्यय होगा ।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- meeting additional requirement for payment of enhanced salary and allowances of Hon'ble Speaker and Deputy Speaker as per recent amendment to the Salary, Allowances and Pension to MPs Act, 1954. The above expenditure will entail a cash outgo.
- meeting additional requirement for payment of enhanced salary and allowance to MPs of Lok Sabha as per recent amendment to Salary, Allowances and Pension to MPs Act, 1954.

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 77

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 देखिये)

(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ croi				
		भारित		स्वीकृत		जॊड़	
		Charged		Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue	1.22		386.72		387.94	
पूंजी	Capital						
जोड़	Total	1.22		386.72		387.94	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now						
	required:						
राजस्व	Revenue	1.13		23.84		24.97	
पूंजी	Capital						
जोड़	Total	1.13		23.84		24.97	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>2.35</i>		410.56		412.91	
राजस्व	Revenue	<i>2.35</i>		410.56		412.91	
पूंजी	Capital						
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:						
		भारित		स्वीकृत		जॊड़	
		Charged		Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	1.13	(कa)	23.84	(खb)	24.97	

यह पूरक अनुदाने विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) माननीय सभापति, राज्य सबा के वृद्धित वेतन तथा माननीय उपसभापित, राज्य सभा के वेतन और भतों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसमें से ₹ 0.74 करोड़ भारत की आकस्मिक निधि में से स्वीकृत किए गए थे, जिसकी प्रतिपूर्ति पूक अनुदानपारित होने के पश्वात् वापस भारत की आकस्मिक निधि में कर दी जाएगी।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

(ख) (i) माननीय नेता, विपक्ष, राज्य सभा तथा सदस्यों, राज्य सभा के वृद्धित वेतन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 23.84 करोड़)। (ii) भारत का दौरा करने वाले विदेशी सांसदों के उपरी सदनों के प्रतिनिधिमंडलों पर नया शीर्ष खोलना (₹ 0.20 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.20 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 23.84 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) Meeting additional expenditure on enhanced Salary of Hon'ble Chairman, Rajya Sabha and Salary & Allowances of Hon'ble Dy. Chairman, Rajya Sabha . Out of this, ₹ 0.74 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India, which shall be recouped to the Contingency Fund of India after the Supplementary grant is passed. The above expenditure will entail a cash outgo.
- (b) (i) Meeting additional expenditure on enhanced Salary of Hon'ble Leader of Opposition, Rajya Sabha and Members, Rajya Sabha (₹ 23.84 crore). (ii) Opening of new head of account for meeting expenditure on Delegation of the Upper Houses of Foreign Parliaments visiting India (₹ 0.20 crore).

Taking into account the savings of \ref{eq} 0.20 crore available in the same section of the Grant this will entail a cash outgo of \ref{eq} 23.84 crore .

मांग संख्या DEMAND NO 80

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 देखिये)

(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करौड़) (II	n ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	395.93	252703.08	253099.01
पूंजी	Capital	167.46	193103.31	193270.77
जोड़	Total	563.39	445806.39	446369.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
प्ंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>563.39</i>	445806.40	446369.79
राजस्व	Revenue	<i>395.93</i>	252703.08	253099.01
पूंजी	Capital	167.46	193103.32	193270.78
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत र्1	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under th	e following Majo	or Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्य लाइन पर पूंजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- लातुर-मध्य रेलवे हेतु उत्पादन इकाइयों सिहत वर्कशॉप शीर्ष के अंतर्गत ₹ 492.73 करोड़ की लागत से कोच विनिर्माण इकाई की स्थापना;
- (ii) रेलवे बोर्ड के लिए चल संपत्ति शीर्ष के अंतर्गत ₹ 300.00 करोड़ की लागत से₹ 60 लाख प्रति रेक की दर से 500 रेकों का उन्नयन;
- (iii) वाल्मिकी नगर रोड-पहनीयहवा- पूर्व मध्य रेलवे के लिए पुल निर्माण शीर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के माध्यम से ₹ 41.92 करोड़ की लागत से गर्डर पूलों (2 अदद) का निर्माण;
- (iv) सोनीपत- उत्तर रेलवे के लिए उत्पादन इकाइयों सिहत वर्कशॉप शीर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के माध्यम से ₹ 96.72 करोड़ तथा ₹ 386.88 करोड़ की लागत से कोच की आविधक मरम्मत और नवीनीकरण वर्कशॉप की स्थापनाः
- (v) झांसी- उत्तर केन्द्रीय रेलवे के लिए उत्पादन इकाइयों सहित वर्कशॉप शीर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के माध्यम से ₹ 90.98 करोड़ तथा ₹ 363.91 करोड़ की लागत से कोच की आवधिक मरम्मत और नवीनीकरण वर्कशॉप
- (vi) उत्तर रेलवे के लिए संयुक्त उद्दयम/विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था सहित 'गैर-सरकारी उपक्रमों में निवेश 'शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1 करोड़ की लागत से नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट युनिवर्सिटी फाउंडेशन में निवेश;
- (vii) रेलवे बोर्ड के लिए 'चल संपत्ति' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 179.50 करोड़ की लागत से अधिक हॉर्स पावर इंजनों के लिए ₹ 3.59 करोड़ प्रति पैक की दर से टर्बी सुपर चार्जर सहित पावर पैक (50 अदद);
- (viii) रेलवे बोर्ड के लिए 'चल संपति' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 52.40 करोड़ की लागत से अधिक हॉर्स पावर इंजनों के लिए ₹ 1.31 करोड़ प्रति असेम्बली की दर से मोटराइज्ड ट्रक असेम्बली (40 अदद);
- (ix) रेलवे बोर्ड के लिए 'चल संपत्ति' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 27 करोड़ की लागत से अधिक हॉर्स पावर इंजनों के लिए ₹ 27 लाख प्रति शाफ्ट की दर से बीजी क्रैंक शाफ्ट (100 अदद):
- (x) रेलवे बोर्ड के लिए 'चल संपत्ति' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 88 करोड़ की लागत से अधिक हॉर्स पावर इंजनों के लिए ₹ 88 लाख प्रति केस की दर से क्रैंक केस

- (i) Latur Setting up of coach manufacturing factory costing ₹ 492.73 crore under the head 'Workshop including Production Units' for Central Railway;
- (ii) Upgradation of 500 rakes at the rate of ₹ 60 lakh per rake costing ₹ 300 crore under the head 'Rolling Stock' for Railway Board'
- (iii) Valmikinagar Road-Pahniyahawa Construction of girder bridges (2 Nos) costing ₹ 41.92 crore , through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh, under the head 'Bridge Works' for East Central Railway:
- (iv) Sonipat Setting up of coach periodical overhauling and refurbishment workshop costing ₹ 96.72 crore and ₹ 386.88 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh, under the head 'Workshop Including Production Units' for Northern Railway;
- (v) Jhansi Setting up of coach periodical overhauling and refurbishment workshop costing ₹ 90.98 crore and ₹ 363.91 crore, through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh, under the head 'Workshop Including Production Units' for North Central Railway;
- (vi) Investment in National Rail Transport University Foundation, costing ₹ 1 crore under the head 'Investment in non-Government Undertakings including JV/SPVs' for Northern Railway:
- (vii) Power pack with Turbo Super Charger for high horse power locos (50 Nos) at the rate of ₹ 3.59 crore each costing ₹ 179.50 crore under the head 'Rolling Stock' for Railway Board;
- (viii) Motorized Truck Assembly for high horse power locos (40 Nos) at the rate of ₹ 1.31 crore each costing ₹ 52.40 crore under the head 'Rolling Stock' for Railway Board;
- (ix) BG crank shaft for high horse power locos (100 Nos) at the rate of ₹ 27 lakh each costing ₹ 27 crore under the head 'Rolling Stock' for Railway Board;
- (x) High horse power engine crank case (100 Nos) at the rate of ₹ 88 lakh each costing ₹ 88 crore under the head 'Rolling Stock'

(100 अदद) ;

- (xi) रेलवे बोर्ड के लिए 'चल संपत्ति' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 30 करोड़ की लागत से अधिक हॉर्स पावर इंजनों के लिए ₹ 30 लाख प्रति सेट की दर से माटराइज्ड व्हील सेटस (100 अदद);
- (xii) उत्तर रेलवे के लिए 'कर्षण विभाजन कार्य' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 3.48 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश में कर्षण सब-स्टेशनों पर 0.2 एस-क्लास करंट/पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मरों सहित ' उपलब्धता आधारित भाड़ा' मीटरों का प्रावधान: और
- (xiii) उत्तर रेलवे के लिए संयुक्तविशेष प्रयोजन माध्यम संस्थाओं सहित 'गैर-सरकारी उपक्रमों में निवेश' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ की लागत से कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड में इक्विटी लगाना।
- (xiv) उत्तर मध्य रेलवे हेतु यात्री सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत इलाहबाद व कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर त्विरत जल प्रदान व्यवस्था का अभिकल्प, आपूर्ति, स्थापना व क्रियान्वयन, लागत ₹ 5.79 करोइ (विकास निधि के तहत), यात्री सुविधाएं हेत्।
- (xv) वाल्तेरु मंडल के पारलाखेमुंडी-गृन्पुर खंड में ऑप्टिक फाइबर केबल व 6-क्वाड केबल बिछाना, लागत ₹ 3.82 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत), पूर्व तटीय रेलवे हेत् 'सिगनल व दूरसंचार कार्य' शीर्ष के अंतर्गत।
- (xvi) भारतीय रेलों पर भेद्य स्थलों पर रेलवे लाइन के साथसाथ चाहरदीवारी का निर्माण (फेज-2) लागत ₹ 150 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत), उत्तर रेलवे हेत् 'अन्य विनिर्दिष्ट कार्य' शीर्ष के अंतर्गत।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- for Railway Board;
- (xi) Motorised wheel sets for high horse power locos (100 Nos) at the rate of ₹ 30 lakh each costing ₹ 30 crore under the head 'Rolling Stock' for Railway Board;
- (xii) Provision of 'availability based tariff' meters including 0.2 S-class current/potential transformers at traction sub stations in Uttar Pradesh, costing ₹ 3.48 crore under the head 'Traction Distribution Works' for Northern Railway;
- (xiii) Equity Infusion in Konkan Rail Corporation Limited costing ₹ 100 crore under the head 'Investment in non-Government Undertakings including JV/SPVs' for Northern Railway;
- (xiv) Design, supply, installation and commissioning of quick watering system at Allahabad and Kanpur Central stations costing
 ₹ 5.79 crore through 'Development Fund' under the head 'Passenger Amenities' for North Central Railway;
- (xv) Laying of optic fibre cable and 6-quad cable in Parlakhemundi-Gunupur section of Waltair Division (51 rkm) costing ₹ 3.82 crore through 'Rashtriya Rail Sanraksha Kosh' under the head 'Signalling & Telecommunication Works' for East Coast Railway: and
- (xvi) Construction of boundary wall along Railway track at vulnerable locations in Indian Railways (Phase-2) costing ₹ 150 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh under the head 'Other Specified Works' for Northern Railway.

मांग संख्या DEMAND NO 81

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 देखिये)

(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (।	'n ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		23153.10	23153.10
पूंजी	Capital	10.00	118170.50	118180.50
जोड़	Total	10.00	141323.60	141333.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	j :		
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	141323.61	141333.61
राजस्व	Revenue		23153.10	23153.10
प्ंजी	Capital	10.00	118170.51	118180.51
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur	nder the following Major	Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- राष्ट्रीय राजमार्ग परस्पर संयोजन सुधार कार्यक्रम (एनएचआईआईपी) के विश्व बैंक विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों हेतु मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 39 करोड़)।
- (ii) एशियाई विकास बैंक विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 129 करोइ)।
- (iii) जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए मृख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 135 करोड़)।
- (iv) एनएचआईआईपी की विश्व बैंक विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए प्रतिरूप निधि हेतु मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 56 करोत).
- (v) एशियाई विकास बैंक विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए प्रतिरूप निधि के लिए मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 116
- (vi) जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए प्रतिरूप निधि के लिए मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 100 करोड़).
- (vii) वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क (रा.रा. और राज्यीय सड़कों) के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम हेतु मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 100 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

- (i) providing additional funds under Major Works for World Bank Externally Aided Schemes of National Highway Inter-connectivity Improvement Programme (NHIIP) (₹ 39 crore).
- (ii) providing additional funds under Major Works for the Asian Development Bank Externally Aided Schemes (₹ 129 crore).
- (iii) providing additional funds under Major Works for the Japan International Cooperation Agency Externally Aided Schemes (₹ 135 crore).
- (iv) providing additional funds under Major Works for the Counterpart Fund for World Bank Externally Aided Schemes of NHIIP (₹ 56 crore).
- (v) providing additional funds under Major Works for the Counterpart Fund for Asian Development Bank Externally Aided Schemes
 (₹ 116 crore)
- (vi) providing additional funds under Major Works for the Counterpart Fund for Japan International Cooperation Agency Externally Aided Schemes (₹ 100 crore).
- (vii) providing additional funds under Major Works for the Special Programme for Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremists Affected Areas (₹ 100 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 82

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In ₹ cro		
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		183393.17		183393.17
पूंजी	Capital		5.25		5.25
जोड़	Total		183398.42		183398.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.03		0.03
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total	•••	0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		183398.45		183398.45
राजस्व	Revenue		183393.20		183393.20
पूंजी	Capital		5.25		5.25
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के .	अंतर्गत दिखाया जाये	गा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the following	g Major Head		
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes		0.01	(कa)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(खb)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory		0.01	(गc)	0.01
अनुदान	Governments				
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराने हेतु नया प्रयोजन शीर्ष खोलना (₹ 1 करोड़) तथा (ii) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सर्वेक्षण के लिए सामाजिक आर्थिक लागत जनगणना स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 311.25 करोड़);
 अन्द्रान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अन्दान मांगा
- (ख) ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) को केंद्रीय सहायता के लिए राज्य सरकार को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए नया प्रयोजन शीर्ष खोलना (₹ 1 करोइ)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) के लिए विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए नया प्रयोजन शीर्ष खोलना (₹ 0.01 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (a) (i) Opening of new object head for providing funds under the scheme Management Support to Rural Development programme and Strengthening District Planning Process (₹ 1 crore) and (ii) providing additional funds under the scheme Social Economic Cost Census for BPL Survey (₹ 311.25 crore);
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Opening new object head for providing Grants-in-Aid-General to State Government for Central Assistance for Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) (₹ 1 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Opening new object head for providing Grants-in-aid-General to Union Territory Government with Legislature for Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) (₹ 0.01 crore) .
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 84

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़) (In	₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5067.36	5067.38
पूंजी	Capital	***	67.50	67.50
जोड़	Total	0.02	5134.86	5134.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		•••	
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	5134.87	5134.89
राजस्व	Revenue	0.02	5067.37	5067.39
पूंजी	Capital		67.50	67.50
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	er the following Major H	ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनु संधान	3425-Other Scientific Research		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इनके लिए व्यय को पूरा करने के लिए (i) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसन्धान बोर्ड के अंतर्गत (₹ 50 करोड़) और (ii) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड हेतु अनुस्चित जनजाति उप-योजना (₹ 6.50 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान। 2. विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड हेतु अनुस्चित जनजाति उप-योजना हेतु पूजींगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनज़र सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General for (i) Science and Engineering Research Board (₹ 50 crore) and (ii) Scheduled Tribe Sub- Plan for Science and Engineering Research Board (₹ 6.50 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets for Scheduled Tribe Sub- Plan for Science and Engineering Research Board (₹ 3.50 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 85

जैव प्रौदयोगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 देखिये)

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

	·	,	(₹ करोड़) (In ₹	crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2411.53		2411.53
पूंजी	Capital	•••			
जोड़	Total	***	2411.53		2411.53
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	•••	0.02		0.02
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	•••	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2411.55		2411.55
राजस्व	Revenue		2411.55		2411.55
पूंजी	Capital		•••		
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under th	e following Major	r Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(क a)	0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक अनु संधान	3425-Other Scientific Research		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक के अन्तर्गत अनिवार्य प्रावधान को पूरा करने के लिए (₹ 20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।

(ख) (1) नए शीर्ष जैव फार्मा मिशन (i) कार्यक्रम घटक (₹ 49.00 करोड़) और (ii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक (₹ 48.50 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (2) नए शीर्ष जैव फार्मा मिशन (i)कार्यक्रम घटक (₹ 49.00 करोड़) तथा (ii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक (₹ 48.50 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting mandatory provision under North Eastern Region (NER) component (₹ 20 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards (1) Grants in Aid General for new head Bio Pharma Mission for (i) Programme Component (₹ 49.00 crore) and (ii) Externally Aided Project component (₹ 48.50 crore) (2) Grants for creation of Capital Assets for new head Bio Pharma Mission (i) Programme Component (₹ 49 crore) and (ii) Externally Aided Project component (₹ 48.50 crore)

मांग संख्या DEMAND NO 87

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोंड़) (In ₹		crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मू <i>ल</i> अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		1839.47		1839.47
पूंजी	Capital	***	421.66		421.66
जोड़	Total		2261.13		2261.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:			
राजस्व	Revenue	***	218.60		218.60
पूंजी	Capital	***			
जोड़	Total	•••	218.60		218.60
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	2479.73		2479.73
राजस्व	Revenue	•••	2058.07		2058.07
प्ंजी	Capital		421.66		421.66
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the following Major	r Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses		0.01	(कa)	0.01
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	3056-Inland Water Transport		218.59	(खb)	218.59
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		218.60		218.60

यह प्रक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) चार लेन की सड़क संपर्क परियोजना को पूरा करने के लिए मरमुगांव पतन न्यास को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को जारी करना (₹ 4.74 करोड़)।
 - (ii) मुंबई और वाईजंग के लिए सागरमाला के अंतर्गत तटीय समुदाय विकास कार्यक्रम के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को जारी करना (₹ 25.04 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक
 - पूर अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत वाराणसी और साहिबगंज में आधुनिक भाड़ा ग्राम विकसित करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को जारी करना (ईएपी घटक ₹ 218.59 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।

- (i) release of Grants for creation of Capital Assets to Mormugao Port
 Trust for completion of Four Lane Connectivity Road Project
 (₹ 4.74 crore).
 - (ii) release of Grants for creation of Capital Assets for Coastal Community Development Programme under Sagarmala for Mumbai and Visakhapatnam (₹ 25.04 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - release of Grants for creation of Capital Assets for developing modern Freight Village at Varanasi and Sahibganj under Jal Marg Vikas Project (EAP Component ₹ 218.59 crore).
 - The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 89

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(111)		/	(₹ करोड़ ,) (In ₹ c	crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	_			
राजस्व	Revenue		7342.60		7342.60
पूंजी	Capital		407.40		407.40
जोड़ जोड़	Total		7750.00		7750.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now required:				
अनु मान:					
राजस्व	Revenue		156.50		156.50
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		156.51		156.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		7906.51		7906.51
राजस्व	Revenue		7499.10		7499.10
पूंजी	Capital		407.41		407.41
•	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जार	वेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the followin				
		भारित	स्वीकृत		ऒॾ
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	•			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनु सूचित जाति, अनु सूचित	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other		50.00	(कa)	50.00
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और	Backward Classes and Minorities			(/	
अल्पसंख्यकों का कल्याण					
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		106.50	(खb)	106.50
जोड़ (राजस्व भाग) [ँ]	Total (Revenue Section)		156.50		156.50
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
्र मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 4225-अनु सूचित जाति, अनु सूचित	4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled		0.01	(गc)	0.01
जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों और	Tribes , Other Backward Classes and Minorities			, ,	
अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी					
परिव्यय					
जोड़ (प्रक)	Total (Supplementary)		156.51		156.51
		वस्लियों को शामित	न नहीं किया गर	ग है जिन्हें	व्यय में से
	Note: The above estimates of additional requirements do not take into	account the rec	overies show	n below,	which are
	adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		(-)106.50		(-)106.50

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. पिछड़े वर्गों के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 30 करोड़), 2. अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय

(₹ 10 करोड़), और 3. कूड़ा बीनने वालों के पूनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (₹ 50 करोड़)। (ii) अन्सूचित जाति के व्यक्तियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना के अन्तर्गत छात्रवृति /वृतिका ₹ 30 करोड़) (iii) राष्ट्रीय अन्सूचित जाति आयोग योजना के अन्तर्गत नई व्यावसायिक सेवाएं (₹ 3 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर इस पर ₹ 50 करोड़ का नकद व्यय होगा।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अन्दान (ख) (₹ 106.50 करोड़), (ii) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से

The supplementary Grants are required for:

(b)

(i) Grants in Aid General under the scheme 1. Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes (₹ 30 crore), 2. National Overseas scholarship for OBCs (₹ 10 crore), and 3. Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (₹ 50 crore). Scholarship/Stipend under the scheme Top Class Education for SCs (₹ 30 crore). (iii) New Professional Service under the scheme National Commission for Scheduled Castes (₹ 3 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo. of ₹ 50 crore.

(i). Grants in Aid General under the scheme of Rasthriya Vayoshri Yojana (₹ 106.50 crore). (ii). Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Institute of Social Defence (₹ 10 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of

प्राप्त ₹ 106.50 करोड़ को ध्यान में रखते हु एइसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ग)

अनु स्चित जातियों के लिए उद्यम पूंजीगत निधि स्कीम के अंतर्गत निवेश के (c) लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता (र 20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। the grant and ₹ 106.50 crore met from Senior Citizens Welfare Funds, this will not entail any additional cash outgo.

Additional fund requirement for Investment under the Scheme Venture Capital Fund for Schedule Castes (₹ 20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 91

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(111)		,	(₹ करोंड़	ਭ) (In ₹	crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.60	5495.58		5496.18
पूंजी	Capital	0.40	5286.84		5287.24
जोड़	Total	1.00	10782.42		10783.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:			
राजस्व	Revenue	***	0.01		0.01
प्ंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total	•••	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	10782.44		10783.44
राजस्व	Revenue	0.60	5495.59		5496.19
पूंजी	Capital	0.40	5286.85		5287.25
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the following Majo	or Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3402-अंतरिक्ष अनु संधान	3402-Space Research		0.01	(क a)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5 402-अंतरिक्ष अनु संधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) इनके व्यय को पूरा करने के लिए (i) परियोजना की भुगतान की तय मात्रा के अनुसार रमन अनुसंधान संस्थान (आर.आर.आई.) हेतु निधियां जारी करने के लिए इसरो उपग्रह केन्द्र (आइसैक) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.40 करोड़) और सेमी कन्डक्टर लेबोरेटरी (एससीएल) तथा वेफर फैब सुविधा हेतु एएमसी व्यय के लिए (₹ 65.00 करोड़) और वर्ष 2018-19 हेतु परिकल्पित पूंजीगत मदों के स्थगित भुगतान एवं खरीद के लिए सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी (एससीएल) की पूंजीगत आस्तियों के सुजन हेतु अनुदान (₹ 170 करोड़) और राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) के उन्नत पेटास्केल कम्प्युटिंग प्रणाली के विकास के लिए (₹ 15 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) नई अनुमोदित परियोजनाओं के अन्य पूंजीगत व्यय शीर्ष के तहत व्यय पूरा करने के लिए अर्थात जीएसएलवी., एम के 111 सतत कार्यक्रम (चरण-1) (₹ 150 करोइ), पीएसएलवी सतत कार्यक्रम (चरण-6) (₹ 300 करोइ), लघु उपग्रह प्रक्षेपक व्हिकल (एसएसएलवी) विकास (₹ 15 करोइ) जीएसएटी-29 उपग्रह (₹ 50 करोइ) और जीएसएटी 30/31/32 उपग्रह (₹ 145 करोइ) भारतीय चन्द्र मिशन - चन्द्रयान 1 और 2 हेतु बाह्य नेटवर्क सहायता (₹ 20 करोइ:, उन्नत संचार उपग्रह (जी सेट -11) के माल भाइा एवं बीमा प्रभार जिसमें प्रक्षेपण सेवाएं शामिल हैं (₹ 46 करोइ) जीएसएलवी (प्रचालनात्मक) परियोजना (₹ 101 करोइ) एवं सेमी क्रायोजेनिक चरण विकास परियोजना (₹ 50 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards (i) Grant-in-aid General of ISRO Satellite
Centre (ISAC) towards release of funds for Raman Research Institute
(RRI) (₹ 3.40 crore) as per the payment milestones of the Project and
Semi-Conductor Laboratory (SCL) and towards AMC expenses for
Wafer Fab facility (₹ 65 crore) and (ii) Grants for creation of Capital
Assets of Semi-Conductor Laboratory (SCL) towards spill over
payments & procurement of capital items envisaged for the year 2018-

(₹ 170 crore) and National Atmospheric Research Laboratory (NARL) (₹ 15 crore) towards development of advanced petascale computing system.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

 meeting expenditure under the head 'Other Capital Expenditure' of newly approved Projects viz., GSLV Mk-III Continuation Programme (Phase-1)

(₹ 150 crore), PSLV Continuation Programme (Phase-6) (₹ 300 crore), Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) Development (₹ 15 crore), GSAT-29 Satellite (₹ 50 crore) and GSAT-30/31/32 Satellites (₹ 145 crore), external network support for Indian Lunar Mission-Chandrayaan-1&2 (₹ 20 crore), freight and insurance charges of Advanced Communication Satellite (GSAT-11) including launch services (₹ 46 crore), GSLV (Operational) Project (₹ 101 crore) & Semi-cryogenic Stage Development Project

(₹ 50 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 92

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 देखिये)

(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/	<i>-</i> 5		
) (In ₹	crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		4844.00		4844.00
पूंजी	Capital		15.00		15.00
जोड़	Total		4859.00		4859.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	•••	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4859.02		4859.02
राजस्व	Revenue		4844.02		4844.02
प्ंजी	Capital		15.00		15.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Majo	r Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2553-सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	2553-MPs Local Area Development Scheme		0.01	(क a)	0.01
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	···	0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) एमेपीएलएडी के तीसरे पक्ष की मानीटरिंग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यावसायिक सेवाओं हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 5 करोड़)। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के महेनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) अनुसंधान, अध्ययन, आयोजित कराने वाले सेमिनार/सम्मेलन/वर्कशाप कराने के लिए पात्र संस्थाओं/संगठनों को वितीय सहायता प्रदान करने के लिए 'क्षमता विकास योजना' हेतु सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.32 करोड़)।
 - अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (a) meeting expenditure towards 'Professional Services' for meeting requirement of third party monitoring of MPLADs (₹ 5 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards 'Grant-in-aid General' for 'Capacity Development Scheme' for providing financial assistance to eligible institutions/organizations for conducting research study, organising seminar/conference/workshop (₹ 0.32 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 93

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		((₹ करोड़) (In ₹	crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल</i> अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		47.90	47.90
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		47.90	47.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		47.91	47.91
राजस्व	Revenue		47.91	47.91
प्ंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the follo	wing Major He	ad:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
	2852-Industries		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इस्पात जनरल हस्पताल, राउरकेला का उन्नयन स्प्र स्पेशियालिटि हस्पताल एवं मेडिकल कालेज में करने के लिए प्रयोजन शीर्ष 'प्ज़ीगत आस्तियों' के सृजन के लिए अनुदान के अंतर्गत ₹ 10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

Meeting additional requirement of ₹ 10 crore under the object head "Grants for Creation of Capital Assets" for upgradation of Ispat General Hospital, Rourkela to a super speciality hospital and medical college.

मांग संख्या DEMAND NO 94

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

	,	,	(₹ करोड़	.) (In ₹	crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मू <i>ल</i> अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		7109.84		7109.84
पूंजी	Capital		37.89		37.89
जोड़	Total	***	7147.73		7147.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		1500.02		1500.02
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total	•••	1500.03		1500.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	8647.76		8647.76
राजस्व	Revenue	•••	8609.86		8609.86
पूंजी	Capital		37.90		37.90
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		r Head		
	,,	भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries		0.01	(खb)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries		1500.00	(गc)	1500.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		1500.02		1500.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
्. मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4851-ग्राम एवं लघ् उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	***	0.01	(ঘd)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		1500.03	, ,	1500.03
•					

(a)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

- (i) मानव संसाधन विकास स्कीम में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1.50 करोड की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - (ii) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में
 ₹ 1.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - (iii) धागा आपूर्ति स्कीम में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।

(i) हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय में स्वाना प्रौद्योगिकी के रूप में ₹ 0.50 करोड़ (ii) प्रशिक्षण एवं विस्तार में वेतन के रूप में ₹ 3.50 करोड़ (iii) मानव संसाधन विकास में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 3.20 करोड़ (iv) हस्तिशिल्प मेगा क्लस्टर में व्यावसायिक सेवा के रूप में ₹ 0.50 करोड़ (iv) हस्तिशिल्प मेगा क्लस्टर में व्यावसायिक सेवा के रूप में ₹ 0.50 करोड़ (v) डीसी (हस्तिशिल्प) के संग्रहालय कार्यालय में वेतन के रूप में ₹ 2.00 करोड़ (vi) घरेलू यात्रा व्यय के रूप में ₹ 0.10 करोड़ और पावर टेक्स इंडिया स्कीम में अन्य प्रभारों के रूप में ₹ 0.10 करोड़ (vii) डीसी (हस्तिशिल्प) का कार्यालय में मानव संसाधन विकास के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 2.00 करोड़ (viii) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 4.85 करोड़ और अभिकल्प एवं तकनीकी उन्नयन स्कीम में अन्य प्रभार के रूप में ₹

(ix) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 4.00 करोड़ और मानव संसाधन विकास में अन्य प्रभार के रूप में ₹ 1.00 करोड़ (x) विज्ञापन एवं प्रचार के रूप में ₹ 0.30 करोड़ और हस्तशिल्प शिल्पकार व्यापक कल्याण स्कीम में अन्य प्रभार के रूप में ₹ 2.00 करोड़ (xi) विज्ञापन एवं प्रचार के रूप में ₹ 0.10 करोड़, सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 0.80 और अनुसंधान एवं विकास स्कीम में अन्य प्रभारों के रूप में ₹ 0.10 करोड़ (xii) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 9.25 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

The supplementary Grants are required for:

- (i) Meeting additional requirement of ₹ 1.50 crore as Grants-in-Aid General in Human Resource Development Scheme.
- (ii) Meeting additional requirement of ₹ 1.00 crore as Grants-in-Aid General in National Handloom Development Programme.
- (iii) Meeting additional requirement of ₹ 5.00 crore as Grants-in-Aid General in Yarn Supply Scheme.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional requirement of (i) ₹ 0.50 crore as Information Technology in Office of Development Commissioner of Handloom.(ii) ₹ 3.50 crore as Salaries in Training & Extension. (iii) ₹ 3.20 crore as Grants in-aid General in Human Resource Development. (iv) ₹ 0.50 crore as Professional Service in Handicrafts Mega Cluster. (v) ₹ 2.00 crore as Salaries in Museum Office of DC (Handicrafts).(vi) ₹ 0.10 crore as Domestic Travel Expenses and ₹ 0.10 crore as Other Charges in Power Tex India Scheme.(vii) ₹ 2.00 crore as Grants-in-aid General under Human Resource Development in Office of DC (Handicrafts), (viii) ₹ 4.85 crore as Grants in-aid General and ₹ 0.15 crore as Other Charges in Design and Technical Upgradation Scheme.(ix) ₹ 4.00 crore as Grants in-aid General and ₹ 1.00 crore as Other Charges in Human Resource Development. (x) ₹ 0.30 crore as Advertising and Publicity and ₹ 2.00 as Other Charges in Handicraft Artisans Comprehensive Welfare Scheme. (xi) ₹ 0.10 crore as Advertising and Publicity, ₹ 0.80 crore as Grants in-aid General and ₹ 0.10 crore as Other Charges in Research and Development Scheme. (xii) ₹ 9.25

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (i) राज्य लेवी की छूट (आरओएसएल) स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभारों के रूप में (c
 ₹ 1500.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 उपर्युक्त में निवल नकद व्यय होगा;
- (घ) अवसरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना स्कीम में मुख्य कार्यों के रूप (d) में

₹ 9.37 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- crore as Grants in-aid General in National Handloom Development Programme.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting additional requirement of ₹ 1500.00 crore as Other Charges under Remission of State Levies (RoSL) Scheme.
 - The above expenditure will entail a net cash outgo;
 - Meeting additional requirement of $\stackrel{?}{\sim} 9.37$ crore as Major Works in Infrastructure & Technology Development Project Scheme.

मांग संख्या DEMAND NO 95

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिये)

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करॉड़) (In	₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	2149.99	2149.99
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		2150.00	2150.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2150.01	2150.01
राजस्व	Revenue		2150.00	2150.00
प्ंजी	Capital		0.01	0.01
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	er the following Major H	lead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन	3452-Tourism	•••	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) 'स्वदेश दर्शन' स्कीम के अंतर्गत विविध खर्चों के लिए नया प्रयोजन शीर्ष खोलना (₹ 0.50 करोड़); (ii) तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक वृद्धि अभियान' (प्रसाद) स्कीम के अंतर्गत स्कीम संबंधी विविध खर्चों को लेखाबद्ध करने के लिए नया प्रयोजन शीर्ष खोलना (₹ 0.50 ; (iii) ' निदेशन और प्रशासन (स्थापना)' स्कीम के अंतर्गत नए कार्यालय भवन के किराए, दर और करों को लेखाबद्ध करने के लिए नया प्रयोजन शीर्ष खोलना (₹ 6 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(i) Opening of new object head for miscellaneous expenses under the scheme 'Swadesh Darshan' (\mathfrak{T} 0.50 Crore); (ii) Opening of new object head for booking scheme related miscellaneous expenses under the scheme 'Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive' (PRASAD) (\mathfrak{T} 0.05 Crore); (iii) Opening of new object head for booking of Rent, Rate and Taxes of new office building under the scheme 'Direction and Administration (Establishment)' (\mathfrak{T} 6 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 96

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

				(₹ करॉड़) (In ₹ c	crores)
		भारित		स्वीकृत		जॊड़
		Charged		Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	4935.92		999.08		5935.00
पूंजी	Capital			65.00		65.00
जोड़	Total	4935.92		1064.08		6000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now					
	required:					
राजस्व	Revenue	0.01		0.01		0.02
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	0.01		0.01		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4935.93		1064.09		6000.02
राजस्व	Revenue	4935.93		999.09		5935.02
प्ंजी	Capital			65.00		65.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गित दिखाया जा	येगा:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be ac	counted for ur	nder the f	ollowing Ma	ajor Head	ls:
		भारित		स्वीकृत		जॊड़
		Charged		Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2225-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति,	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled			0.01	(क a)	0.01
अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Tribes, Other Backward Classes and Minorities					
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	0.01	(खb)			0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01		0.01		0.02

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) लघुँ वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थैन मूल्य योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा

(ख) निम्निलिखित योजनाओं के अन्तर्गत प्ंजीगत आस्तियों के स्जन हेतु अनुदान (क) संविधान के अनुच्छेद 275 के परतुंक के अन्तर्गत स्वच्छता कार्य योजना अनुदान (₹ 40 करोइ) जनजाति उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (₹ 52 करोइ) और (ख) लघु वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹ 30 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) Grant-in-Aid General under the scheme Minimum Support Price for Minor Forest Produce (₹ 25 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- b) Grant for Creation of Capital Asset under the scheme (a) Swachhta Action Plan; Grants under proviso to Article 275 (1) of the Constitution" (₹ 40 crores), Special Central Assistance to Tribal Sub Schemes (₹ 52 crore) and (b) Minimum Support Price for Minor Forest Produce (₹ 30 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 97

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 देखिये)

(See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(See page 122 of the Demands for C	Drants of Gentral Government for the year 2010	2013)			
		(₹ करोड़) (In ₹ crc		crores)	
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	1.00	8188.51		8189.51
पूंजी जोड़	Capital	0.01	730.87		730.88
जोड़	Total	1.01	8919.38		8920.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.04		0.04
प्ंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		0.05		0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.01	8919.43		8920.44
राजस्व	Revenue	1.00	8188.55		8189.55
पूंजी	Capital	0.01	730.88		730.89
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गर	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Maj	or Head		
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa)	0.01
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation		0.01	(खb)	0.01
3435-पारिस्थितीकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment		0.01	(गc)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अन्दान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(ਬd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.04		0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मृख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4701-वृहत और मध्यम सिंचाई पर प्रंजी परिव्यय	4701-Capital Outlay on Major and Medium Irrigation		0.01	(ਝe)	0.01
जोड़ (प्रक)	Total (Supplementary)		0.05	(30)	0.05

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- महानदी जल विवाद अधिकरण के संबंध में स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए नया लेखा शीर्ष खोलना (₹ 4.32 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत नया लेखा शीर्ष खोलना (₹ 0.01 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।
- (ग) राष्ट्रीय गंगा नदी प्रवाह क्षेत्र प्राधिकरण (ईएपी घटक) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 66 करोड़) और प्ंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 634 करोड़) की
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।
- (घ) विधर्ब और मराठवाडा के जिलों और महाराष्ट्र के अन्य सूखा संभावित क्षेत्रों में कृषि संबंधी दयनीय स्थिति को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज के रूप में पूजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करना (₹ 900 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ङ) राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र के लिए बड़े निर्माणों और मशीनरी एवं उपस्कर पर व्यय को पूरा करने के लिए नया शीर्ष खोलने के लिए (₹ 0.01 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (a) opening of new head of accounts for meeting establishment expenditure in respect of Mahanadi Water Disputes Tribunal (₹ 4.32 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) opening of new head of accounts for meeting expenditure under various heads for National Water Informatics Centre (₹ 0.01 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) release of Grants-in-aid General (₹ 66 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 634 crore) to National Ganga River Basin Authority (EAP Component).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) release of Grants for creation of Capital Assets as Special package for irrigation projects to address agrarian distress in districts of Vidharba and Marathawada and other chronically drought prone areas of Maharashtra (₹ 900 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - opening of new head of accounts for meeting expenditure on 'Major Works' and 'Machinery & Equipments' for National Water Informatics Centre
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 98

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124 देखिये)

(See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

·	·	•	(₹ करोड़) (In ₹ crores)			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	***	25199.99		25199.99	
पूंजी	Capital	•••	0.01		0.01	
जोड़	Total	•••	25200.00		25200.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.04		0.04	
पूंजी	Capital		27.00		27.00	
जोड़	Total	•••	27.04		27.04	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		25227.04		25227.04	
राजस्व	Revenue		25200.03		25200.03	
प्ंजी	Capital	•••	27.01		27.01	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित	स्वीकृत		ऒड़	
	DEVENUE OF OTION	Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	•••	0.01	(कa)	0.01	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc)	0.01	
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory	•••	0.01	(घd)	0.01	
अनुदान	Governments					
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.04		0.04	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare		27.00	(ਤe)	27.00	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		27.04		27.04	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) इन स्कीमों के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (₹ 14.91 करोड़) 2. केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेन्सी (₹ 1.80 करोड़) 3. एकल केन्द्र (₹ 75.63 करोड़) 4. बाल संरक्षण योजना (₹ 97.30 करोड़) और 5. विधवा

(₹ 0.05 करोड़) (ii) एकल केन्द्र के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के स्जन हेतु अनुदान (₹ 105.27 करोड़) (iii) इस स्कीम के अन्तर्गत वेतन सहायता अनुदान 1. राष्ट्रीय जन सहकारिता और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) (₹ 4.75 करोड़) और 2. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण एजेन्सी (₹ 2.45 करोड़) (iv) किशोरी स्कीम के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.25 करोड़) और राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम घटक स्कीम के तहत किराया दर, और कर (₹ 1.15 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (i) एकल केन्द्र स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.27 करोइ) (ii) एकल केन्द्र स्कीम के अंतर्गत प्ंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 10.53 करोइ)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) विधवा गृह स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.94 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।
- (घ) विधवा गृह स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।

- (a) (i) Grants-in-aid General under the schemes 1. Central Social Welfare Board (₹ 14.91 crore), 2. Central Adoption Resources Agency (₹ 1.80 crore), 3. One Stop Centre (₹ 75.63 crore), 4. Child Protection Scheme (₹ 97.30 crore) and 5. Home for Widows (₹ 0.05 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme One stop centre (₹ 105.27 crore). (iii) Grants-in-Aid Salary under the scheme 1. National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹ 4.75 crore), and 2. Central Adoption Resources Agency (₹ 2.45 crore), (iv) Professional Services under the Scheme for Adolescent Girls (₹ 0.25 crore) and Rent, Rate and Taxes under the scheme National Nutrition Mission-Programme Component (₹ 1.15 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) Grants-in-aid General under the schemes One Stop Centre (₹ 6.27 crore). ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme One Stop centre (₹ 10.53 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid General under the scheme Home for Widows (₹ 7.94 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Grants-in-aid General under the scheme Home for Widows (₹ 0.01

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।

(इ) राष्ट्रीय पोषण मिशन-कार्यक्रम घटक के अंतर्गत मुख्य कार्य पोषण संबंधी एकीकृत मिशन (27 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त व्यय पर कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा । crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

e) Major Works under the scheme National Nutrition Mission-Programme Component (Integrated Education in Nutrition (₹ 27 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 99

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 देखिये)

(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोंड़) (In ₹ crores)			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		2138.31		2138.31	
पूंजी	Capital		58.04		58.04	
जोड़	Total		2196.35		2196.35	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.02		0.02	
प्ंजी	Capital					
जोड़	Total		0.02		0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2196.37		2196.37	
राजस्व	Revenue		2138.33		2138.33	
पूंजी	Capital		58.04		58.04	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services		0.01	(कa)	0.01	
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02	

यह प्रक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) (1) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (₹ 1 करोड़), (2) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 141.95 करोड़), (3) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹ 14.82 करोड़) और (4) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (₹ 6.98 करोड़) और (5) भारतीय खेल प्राधिकरण स्टेडियम नवीनीकरण-राष्ट्रमंडल खेल 2010 (₹ 163 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) (1) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (₹ 0.40 करोड़), (2) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 123.43 करोड़), (3) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹ 5.39 करोड़) और (4) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (₹ 44.08 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (iii) इस स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 11.35 करोड़), (2) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹ 2.50 करोड़), (3) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹ 35.55 करोड़) और (4) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (₹ 3.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 42.65 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) GIA General under the scheme (1)National Anti-Doping Agency (₹ 1 crore), (2) Sports Authority of India (₹ 141.95 crore), (3) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 14.82 crore), and (4) Nehru Yuva Kendra Sanghthan (₹ 6.98 crore) and (5) SAI Stadia Renovation-CWG 2010 (₹ 163 crore). (iii). GIA Salary under the scheme (1)National Anti-Doping Agency (₹ 0.40crore), (2) Sports Authority of India (₹ 123.43 crore), (3) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 5.39 crore), and (4) Nehru Yuva Kendra Sanghthan (₹ 44.08 crore). (iii). Grants for Creation of Capital Asset under the scheme (1) Sports Authority
 - (₹ 11.35 crore), (2) National Dope Test Laboratory (₹ 2.50 crore), (3) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 35.55 crore), and (4) Nehru Yuva Kendra Sanghthan (₹ 3.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- o) Grants in Aid General under the scheme of Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 42.65 crore) .